खण्ड-335, अंक-2
गुरूवार, 16 अग्रहायण, शक संवत् 1900
(7 दिसम्बर, 1978 ई0)

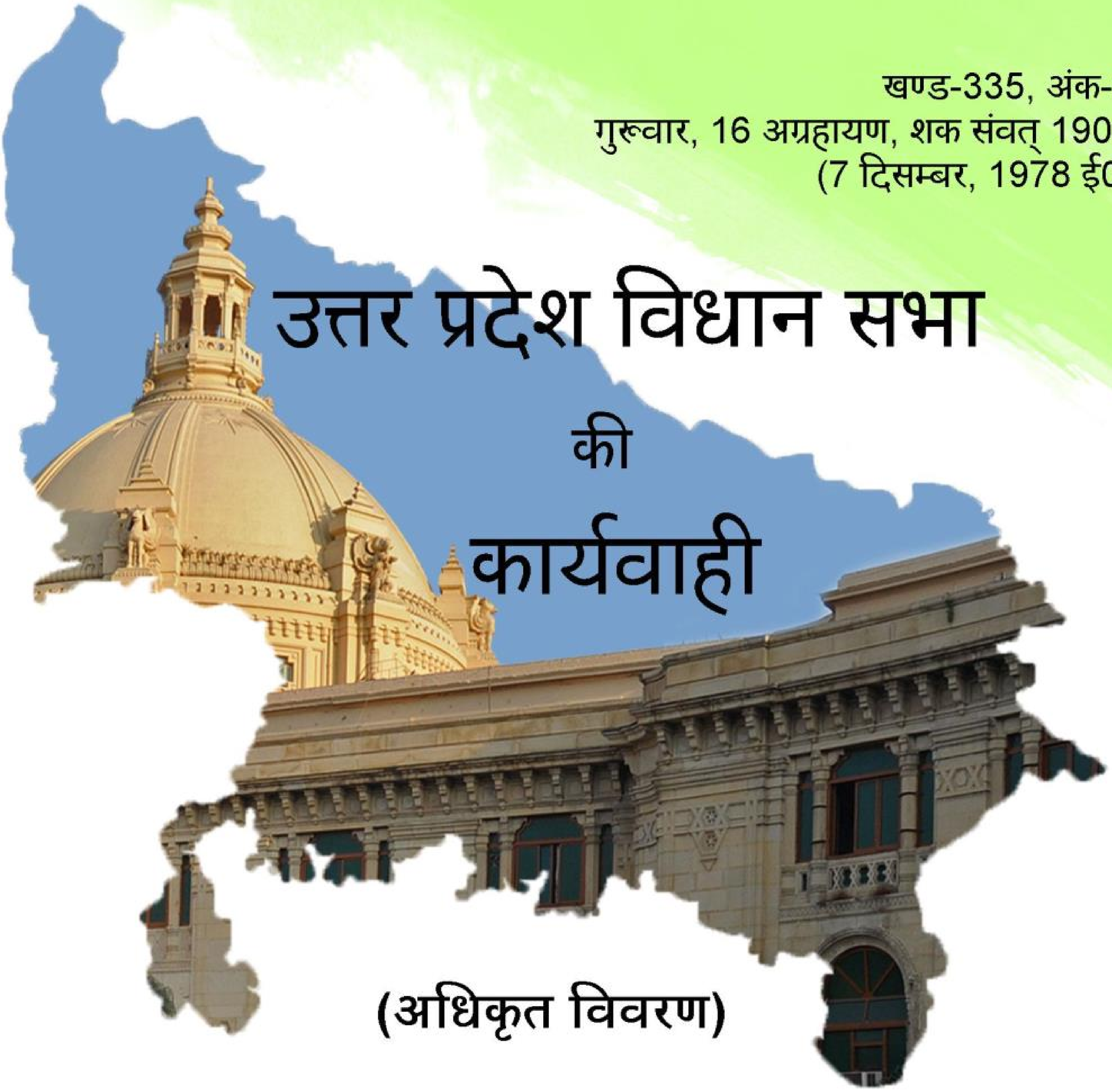

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 335 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१३३–१३७
सचिवालय के एक चपरासी की मृत्यु तथा उसकी लाश विधान भवन के अन्दर लाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग ..	१३९–१४०
प्रश्नोत्तर	१४१–२१०
सचिवालय के न्याय विभाग के चपरासी श्री गोमती प्रसाद की मृत्यु के सम्बन्ध में जानकारी ..	२१०–२११
विधान सभा के वर्ष में ९० उपवेशन न किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति ..	२११
पंतनगर विश्वविद्यालय के अनिश्चित काल के लिये बन्द किये जाने से छात्रों की पढ़ाई का नुकसान तथा फार्म की फसल की कटाई बोआई न होने से क्षति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	२११–२१२
प्रदेश में डीजल व मिट्टी के तेल के अभाव में ट्रैक्टर व पम्पिंग सेट न चलने से फसलों की क्षति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	२१२–२१३
बहराइच जिले के तिरसिया व हरिहरपुर रानी ब्लाकों में ओला के वृष्टि के विषय में नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	२१३
कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने से व्याप्त असंतोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	२१३–२१४
लखनऊ में रकाबगंज रेलवे पुल के नीचे की दीवार धस जाने से पाइप लाइन फट जाने से पानी की समस्या के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	२१४
आगरा के फिरोजाबाद क्षेत्र के किसानों को राजकीय कृषि खाद भन्डार व एग्रो इंडस्ट्रियल शाखा द्वारा मिट्टी मिली हुई खाद व रिजेक्टेड गेहूं बेचने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	२१५–२१६
वर्ष में ३ अधिवेशन तथा ९० उपवेशन होने के सम्बन्ध में विधान सभा द्वारा पारित संकल्प के पूरा न किये जाने के विषय में व्यवस्था का प्रश्न ..	२१६–२२१
विधान सभा सदस्य श्री राम आसरे अग्निहोत्री की सुरक्षा तथा घाटमपुर, कानपुर में पुलिस की ज्यादतियों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जार) ..	२२२– २२४

८ सितम्बर, १९७८ की कार्यवाही के कुछ अंश को कार्यवाही से निकाले जाने पर आपत्ति .. २२४

विधान सभा सदस्य, श्री राम आसरे अग्निहोत्री की सुरक्षा तथा घाटमपुर, कानपुर में पुलिस की ज्यादतियों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. २२४–२३७

विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के अनुसार विधान सभा आहूत करने तथा कार्य-क्रम की सूचना सदस्यों को समय से न मिलने पर आपत्ति .. २३८–२४०

श्री सत्य प्रकाश मालवीय द्वारा विधान सभा सदस्य, श्री गुरुदत्त सोलंकी के बारे में सूचना देने का प्रश्न .. २४०–२४१

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. २४१–२४२

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७८ (सदन के पटल पर रखा गया) .. २४३

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ २४३

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) अध्यादेश, १९७८ (सदन के पटल पर रखा गया) .. २४४

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९७८ (सदन के पटल पर रखा गया) .. २४४

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ (सदन के पटल पर रखा गया) .. २४४

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७८ (सदन के पटल पर रखा गया) .. २४४

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ (सदन के पटल पर रखा गया) .. २४४

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, १९७८ (सदन के पटल पर रखा गया) .. २४४

उत्तर प्रदेश ग्रामसभा (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, १९७८ (सदन के पटल पर रखा गया) .. २४४

उत्तर प्रदेश कोलियरल प्रापिटग नियमावली, १९७४ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. २४५

यू० पी० स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ की वर्ष १९७५–७६ की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी, .. २४५

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का अट्ठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन, १९७५–७६ (सदन के पटल पर रखा गया) .. २४५

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट, १९७५ एवं वर्षिक रिपोर्ट तथा लेखे १९७६ तथा किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड की वर्षिक रिपोर्ट तथा लेखे १९७५ एवं वार्षिक रिपोर्ट लेखे १९७५-७६ (सदन के पटल पर रखे गये) .. २४५-२४६

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र (भाग प्रथम तथा द्वितीय) वर्ष १९७८-७९-(सदन के पटल पर रखा गया) २४६

वित (बिक्री-कर) अनुभाग २ की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं) .. २४६

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (दसवां संशोधन) नियमावली, १९७८ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. २४६

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे, १९७६-७७ (सदन के पटल पर रखे गये) .. २४६

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७८ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. २४७

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, अग्रेषण और वितरण के कारबार में लग अभिकर्ताओं को लाइसेन्स देना नियमावली, १९७८ (सदन के पटल पर रखी गयी) २४७

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) .. २४७

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. २४७

उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. २४८

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना .. २४८

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण और सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. २४८

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. २४८

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. २४८

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. २४९

उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक विधेयक, १९७८ विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. २४९

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. २४९

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा प्रारोपण (संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. २४९

उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. २४९

उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. २५०

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, १९७८ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. २५०

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७२-७३ के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७८ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. २५०

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का अनुपूरक) विधेयक, १९७८ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. २५०

उत्तर प्रदेश आबकारी तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७८ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. २५१

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटाफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. २५१

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक १९७८ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. २५१

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, १९७८ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. २५१

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक १९७८ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. २५२

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. २५२

उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. २५२

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक १९७८ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. २५२

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक १९७८ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. २५२-२५३

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. २५३

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. २५३

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई की सूचनाएं .. २५३

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न .. २५३

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम २५४

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. २५४-२५६

उत्तर प्रदेश नर्सेज मिडवाइव्ज-कौंसिल में कार्य करने के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. २५६

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, १९७७ के लिये गठित प्रवर समिति के कार्यकाल की वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. २५६-२५८

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर किये गये अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार की जांच के लिये गठित समिति का कार्य-काल बढ़ाने तथा समाप्त करने के प्रस्ताव (समय बढ़ाने का प्रस्ताव अस्वीकृत तथा समिती को समाप्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत) .. २५९-२६४

विशेषाधिकार समिति में लम्बित कतिपय विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. २६४-२६५

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर किये गये अशोभनीय व्यवहार पर गठित जांच समिति की समाप्ति से पूर्व हुई बैठकों को नियमित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. २६५

उत्तरप्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ (पुरःस्थापित किया गया) .. २६५-२६६

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, १९७८ (पुरःस्थापित किया गया) .. २६६

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (तृतीय) विधेयक १९७८ (पुरःस्थापित किया गया) .. २६६-२६७

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ (पुरः स्थापित किया गया) .. २६७

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ (पुरः स्थापित किया गया) .. २६७

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ (पुरः स्थापित किया गया) .. २६८

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७८ (पुरः स्थापित किया गया) .. २६८

उत्तर प्रदेश के प्रशासन की अयोग्यता, अक्षमता के कारण प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता की स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना .. २६८-२७८

विषय	पृष्ठ संख्या
अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	.. २७९–२९०
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की अन्य सूचनायें	.. २९०
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	.. २९०–२९१
प्रदेश के विद्युत् कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य	.. २९१–२९३
नस्थियां	.. २९५–३०७

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक ७ दिसम्बर, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई :

उपस्थित सदस्य ३६५

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैस नाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खां, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इसमाईल, श्री
ईशवक्ष यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उचित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औलान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करम सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आरिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री

गुन्नेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीप नरायन, श्री
दुखी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह जोहन, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री

अविकल प्रदर्शन

बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृजलाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुक्कीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल बेहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उस्मान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल फुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री

राम मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे शर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन्द, श्री
राम जनम, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बख्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देव, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लखनी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलबत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री

विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शत्रुघ्न प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
सगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (बिन्नू)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री

सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट--विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही तथा हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

विधान सभा प्रदेश

सचिवालय के एक चपरासी की मृत्यु तथा उसकी लाश विधान भवन के अन्दर लाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न प्रहर के पूर्व एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक चपरासी की लाश गेट के बाहर रखी हुई है....

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

तमाम लोग सचिवालय के और विधान सभा के हड़ताल पर जा रहे हैं। कर्मचारी मुझसे मिले और उन्होंने ऐसा कहा कि लाश जला दी गयी। आप श्रीमन्, देखिये हमारा काम कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष--

श्रम मंत्री कृपया किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजकर दिखलायें।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

फाटक बंद है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

माननीय सदस्य आ नहीं पा रहे हैं। आप यहां उपस्थिति को ही देख लें कितनी कम है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, एक वक्तव्य दिलवायें कि किन परिस्थितियों में उस व्यक्ति की लाश सचिवालय के अन्दर आयी ? उसकी मौत किस तरह हुई ?

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सारे सेक्रेटेरिएट में हड़ताल हो गयी है।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठें। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

गेट बन्द है। हमारे सदस्य अन्दर नहीं आ पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय विद्युत् मंत्री, मैं आपका ध्यान....

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं गुजारिश करूंगा कि इसके सम्बन्ध में हालात से सदन को अवगत कराया जाय और पूरी रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिए ।

एक सदस्य--

लाश अन्दर कैसे आयी, यह भी बतलायें ।

श्री राम सागर वर्मा (जिला हरदोई)--

गृह मंत्री को बुलवायें । विद्युत् मंत्री क्या करेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

बाहर कोई लाश है किसी चपरासी की । इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर प्रश्न काल के बाद सदन को सूचना दें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

फाटक बंद हैं । सचिवालय के कर्मचारी और माननीय सदस्य अन्दर नहीं आ पा रहे हैं ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

यह शासन है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

आपने एक निर्देश दिया विद्युत् मंत्री जी को लेकिन वह न खड़े हुए और न हां ही की । यह आपकी अवमानना है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उनको निर्देश दिया ।

विद्युत् मंत्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)--

श्रीमन्, आपका निर्देश था इसलिए खड़े होने की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

आप मुख्य मंत्री जी को बुला लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने निर्देश दे दिया है कि जांच कर के प्रश्नों के बाद शीघ्रातिशीघ्र सदन को सूचना दें । अब क्या आप चाहते हैं कि सदन स्थगित कर दिया जाय ?

श्री श्याम धर मिश्र--

आपने श्रम मंत्री जी को आदेश दिया तो वह भाग गये । अब यह (विद्युत् मंत्री) भाग जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था करने गये हैं । दुबारा फिर प्रश्न उठाया गया तो वह वरिष्ठ मंत्री हैं इसलिए उनको मैंने निर्देश दिया ।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

आप बैठें । यह अनुचित है कि आप बार-बार व्यवधान डालते हैं ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सीतापुर जिले की कृषि उपज में भंगरी कीट का प्रकोप

**१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) तथा श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या कृषि मन्त्री को इस की जानकारी है कि सीतापुर जिले में खेतों में खड़ी सम्पूर्ण कृषि उपज, पेड़ों की हरी पत्तियों तथा धान आदि में भंगरी लग जाने से भीषण क्षति हो रही है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह) -

सीतापुर में गेहूं, दलहनी फसलों, लाही, बरसीम, आलू एवं कुछ अन्य सब्जियों के पौधों पर भंगरी कीट लगा हुआ है ।

प्राथमिक रोकथाम तथा नियन्त्रण हेतु कृषकों को आवश्यक परामर्श के अतिरिक्त कीट के निवारण के लिये कीट नाशक रसायनों एवं कृषि रक्षा संयंत्रों की समुचित व्यवस्था विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर की गयी है ।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित दलहन--उत्पादन योजना के अन्तर्गत दलहनी फसलों पर इस कीट के निवारणार्थ रसायनों के मूल्य का २५ प्रतिशत अधिकतम १५ रु० प्रति हेक्टेयर सहायक अनुदान कृषकों को देय है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वहां परिस्थिति बहुत गंभीर है और सम्पूर्ण उपज नष्ट हो गयी है लेकिन उत्तर में यह कहा गया है कि प्राथमिक रोकथाम तथा नियन्त्रण हेतु कृषकों को आवश्यक परामर्श के अतिरिक्त कीट के निवारण के लिये कीट नाशक रसायनों एवं कृषि रक्षा संयंत्रों की समुचित व्यवस्था विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर की गयी है । इसका अर्थ यह है कि कोई काश्तकार चाहे तो पैसा देकर ले सकता है । गरीब काश्तकार इतना परेशान है वह उसको खरीद नहीं सकता जिससे उसे कोई लाभ होने वाला नहीं है । तो क्या सरकार सम्पूर्ण जिले की फसल पर कीट नाशक दवाओं का युद्ध स्तर पर निःशुल्क छिड़काव करायेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जो नियम हैं उनके अन्दर यह किया गया था । लेकिन यहां अभी बतलाया गया कि यह स्थिति बहुत भयंकर है और २२ हजार हेक्टेयर जमीन इस बीमारी से प्रभावित है और उपचार निश्चित रूप से बहुत कम हुआ है । यह भी सच है कि उपचार के लिये जो दवायें लगती हैं वे बहुत कीमती हैं । मैंने वित्त मंत्रालय से बातचीत की है और निश्चित रूप से यह धनराशि बढ़ा दी जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि केवल दलहन की फसलों पर यह सुविधा दी जा रही है । फौरा नाम की दवा इस बीमारी में असर करती है ।

तो क्या सरकार दलहन की फसल के अलावा अन्य सभी फसलों पर सबसिडी देने पर विचार करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

ऐसी कोई बात नहीं है । इसके लिये केन्द्र से पैसा मिलता है, जो दलहनी फसल हैं उनके लिये अब मुख्य मंत्री जी से बातचीत हो गयी है और सभी फसलों के लिये कीट नाशक दवा के लिये अनुदान बढ़ाने जा रहे हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

भंगरी लग जाने से भीषण क्षति फसलों को हो रही है, तो इसकी सूचना सरकार को कब मिली ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न परसों आया था । शासन को इस बीमारी की सूचना इससे एक सप्ताह पहले मिल गयी थी और रोटीन-वे में दवाओं का इन्तजाम भी वहां कर दिया गया है और दवा को इस्तेमाल करने के जो यंत्र हैं उनकी भी व्यवस्था कर दी गयी थी लेकिन यह चीज बढ़ती जा रही है इसलिये उसे कंट्रोल करने हेतु बड़े पैमाने पर व्यवस्था की जा रही है ।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

आस-पास के जिलों में भी यह बीमारी फैल रही है तो वे कौन-कौन से जिले हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

जब खड़ी हुई फसल पर बीमारी लग गयी है और यह नष्ट हो रही है, तो क्या सरकार निःशुल्क दवा छिड़कानें की व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

इसी प्रकार की बीमारी गोरखपुर जिले में और वहां के तराई अंचलों में फैली हुई है और लेट पैडी नष्ट हो गयी है, तो क्या सरकार उसकी क्षतिपूर्ति का आश्वासन देगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे उत्पन्न नहीं होता ।

अब प्रश्न संख्या २ लिया जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मुझे भी एक प्रश्न करने दें ।

श्री अध्यक्ष--

अब इजाजत नहीं दी जायगी । प्रश्न दो ले लिया गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[***]

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक प्रश्न करना है । मेरा मूल प्रश्न में नाम है । मुझे इस अधिकार के बेसिस पर एक प्रश्न कर लेने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छी बात है । मैंने आपका नाम देखा नहीं था ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

सीतापुर जनपद अभी बाढ़ से पीड़ित हो चुका है । अब दूसरी विभीषिका यह महामारी लग गयी है, तो क्या सरकार व्यापक रूप से स्प्रे कराने की व्यवस्था करेगी ? दूसरे जिले के अधिकारियों ने जब लखनऊ के उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी, तो उन्होंने यह सलाह दी कि किसानों से कह दो कि कीड़ों को पकड़ कर जमीन में गाड़ दें लेकिन यहां पर बैठे हुए अधिकारी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि एक-एक पेड़ पर सैकड़ों की तादाद में ये कीड़े बैठे हुए हैं, तो कैसे ये कीड़े नष्ट किये जा सकेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

इस जनपद के अलावा जहां कहीं ये कीड़े पाये जायेंगे, उनको रोक थाम के लिये पूरा प्रयास किया जायगा और इसके लिये धनराशि को भी बढ़ा रहे हैं । फी हेक्टर पैसा ज्यादा खर्च होता है, तो जहां भी प्रदेश में यह रोग लगा हुआ है, वहां उसके निवारण के लिये प्रयास किया जा रहा है और अधिक धनराशि की व्यवस्था आज ही कर दी जायगी ।

वाराणसी जिले के सिगरा स्थित राजकीय क्रीड़ांगन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सभा का आयोजन

**२--श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

क्या क्रीड़ा मंत्री यह बतायेंगे कि दिनांक २३ नवम्बर, १९७८ को जनपद वाराणसी में सिगरा स्थित राजकीय क्रीड़ांगन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सभा हुई थी जिसे सरसंघ चालक श्री बाला साहब देवरस ने सम्बोधित किया था ? अगर हां, तो किसकी अनुमति से और अनुमति देने के क्या कारण थे ?

विद्युत् मंत्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)--

शासन की अनुमति से । अनुमति हेतु संघचालक वाराणसी का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर अनुमति दी गई ।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

क्या खेलकूद मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि राजकीय क्रीड़ांगनों का दुरुपयोग रोकने के लिये शासन का कोई आदेश है ? यदि हां, तो माननीय मंत्री उस शासनादेश के सम्बन्ध में शासन को अवगत करायेंगे और उसे सदन में पढ़ने का कष्ट करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

क्रीड़ांगन पहले किराये पर दिये जाते थे, लेकिन १९७४ में एक शासनादेश निकला । जब यह देखा गया कि ग्राउन्ड को खराब करने की कोशिश की जाती है, तो यह निर्णय लिया गया कि सामान्यतः खेलकूद के अलावा किसी अन्य काम के लिये क्रीड़ांगनों को नहीं दिया जायगा । फिर भी शहरों की आबादी के घनत्व को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों की कमी है, इसलिये कई बार इन क्रीड़ांगनों के लिए विशेष परिस्थितियों में शासन ने अनुमति दी है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मैंने यह प्रश्न भी किया था कि खेल-कूद मंत्री उस शासनादेश को पढ़ने का कष्ट करेंगे ? लिहाजा वह उसको सदन के सामने पढ़ने की कृपा करें ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां, मैं पढ़े देता हूं । वह शासनादेश इस प्रकार है :--

खेल-कूद अनुभाग, लखनऊ, दिनांक २९ जून, १९७४ विषय सरकारी क्रीड़ांगनों का खेलकूद के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किये जाने पर रोक ।

शासन को ज्ञात हुआ है कि शासनादेश संख्या एस०पी० ८१३-४९ एस० पी०/७३, दिनांक २७ जुलाई, १९७३ को पालन न करके समय-समय पर मंडलों तथा जिलों में जो सरकारी क्रीड़ांगन खेलकूद के लिए बनाये गये हैं, उनको सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शादियों आदि के लिए भी किराये पर दिया जाता है । इस प्रकार के आयोजनों के लिए क्रीड़ांगनों को देने से उन्हें बहुत क्षति पहुंचती है । इसके अतिरिक्त इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन से क्रीड़ांगनों में खेलकूद कई दिनों के लिए बन्द हो जाते हैं और जिस मुख्य अभिप्राय से वह बनाया गया है वह विफल हो जाता है । इसलिये शासन ने निर्णय लिया है कि क्रीड़ांगनों को किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति संस्था को खेलकूद के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्यक्रमों के लिए न दिया जाय । मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय और क्रीड़ांगनों का खेलकूद के आयोजन के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए किराये पर न दिया जाय ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह बात अनुचित है । सब लोग बोलने लग जाते हैं । मेरे सामने जो खड़े हैं उनको अनुमति दूंगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि जो शासनादेश २७ जुलाई, १९७३ का है, वह वर्तमान परिस्थितियों में निरर्थक हो चुका है इसलिए क्या उसको निरस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मैंने ८-१२-७७ को ही इस तरह का एक नोट भेजा था। जब मैंने फाइल देखी कई जगहों से लोगों ने व्यायाम, शारीरिक प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मांगना शुरू किया। मैंने उस पर लिखा कि जो टेंट पिच करते हैं उनके अलावा खेलकूद धार्मिक संस्थाओं, शारीरिक व्यायाम आदि के लिए शुल्क पर उठाने की व्यवस्था की जाय। इससे आर्थिक सहायता भी मिल जाती है, परन्तु इसके लिए अन्य प्रदेशों से भी स्थिति जान ली जाय।

श्री शत्रुरुद्ध प्रकाश--

एक प्रश्न और पूछना है।

श्री अध्यक्ष--

आप दो प्रश्न कर चुके हैं।

श्री शत्रुरुद्ध प्रकाश--

अभी एक ही प्रश्न किया है।

श्री अध्यक्ष--

एक और कर लीजिये।

श्री शत्रुरुद्ध प्रकाश--

क्या माननीय खेलकूद मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस शासनादेश के बाद किसी भी प्रकार का दूसरा शासनादेश जारी नहीं किया गया, तो इस शासनादेश के रहते जो अनुमति दी क्या उससे इसका उल्लंघन नहीं होता है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बनारस में जो २३ नवम्बर को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यक्रम हुआ उसमें भाषण भी हुआ क्या यह सही है ? तो इस तरह से क्या शासनादेश का उल्लंघन नहीं हुआ है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूं कि समय-समय पर जैसा मैंने निवेदन किया स्टेडियम किराये पर दिये जाते रहे हैं। गोरखपुर का स्टेडियम लाटरी के लिए २४-३-७७ से १४-७-७७ तक दिया गया, झांसी स्टेडियम परिवार नियोजन के लिए २७-९-७६ से ३-१०-७६ तक दिया गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। उत्तर आने दें।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जहां भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, खेलकूद होते हैं वहां भाषण भी होते हैं । माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होनी चाहिये ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मंत्री जी ने अभी पढ़ा कि लाट्री, परिवार नियोजन आदि के लिए उन्हें दिया गया है, तो क्या उस दरम्यान किसी सार्वजनिक संस्था, राजनैतिक पार्टी या सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु भी किसी स्टेडियम को किसी को दिया गया है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मैंने पहले ही निवेदन किया ऐसा हुआ है, हलद्वानी का स्टेडियम जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा रामलीला आयोजन के लिए दिया गया और मोहम्मद रफी नाईट मनाने के लिए लखनऊ का स्टेडियम दिया गया था, ५-११-७८ तथा १८-११-७८ को । इसी तरह रोटरी क्लब, गोरखपुर को भी स्टेडियम दिया गया है । ये सब किराये पर दिये जाते हैं ।

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वाराणसी का सिगरा स्टेडियम उस शासकीय आदेश के बाद भी किसी राजनैतिक दल के मंत्री को भाषण करने के लिए दिया गया था और कब दिया गया था ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

उस समय तो हर चीज बिना कानून के थी । बिना इजाजत के एक भाषण श्रीमती इन्दिरा गांधी का वहां हुआ ।

(व्यवधान)

श्री श्यामदेव--

अब सुनिये, और उस भाषण में हमने और शत्रुघ्न जी ने मार भी खाया था ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्द शहर)--

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, उन्होंने जिस शासनादेश का जिक्र किया और मंत्री जी की खुद अपनी टिप्पणी के अनुसार अगर कोई क्रीड़ांगन खाली हो, क्रीड़ा प्रतियोगिता न हो तो वह सार्वजनिक सभा के लिए दे दिया जाय, तो क्या उस तारीख यानी २३ नवम्बर को इस सभा को इजाजत देने से पहले इस क्रीड़ांगन में किसी क्रीड़ा प्रतियोगिता की पहले से इजाजत थी और इसको देने के लिए उसे कैंसिल करके आगे बढ़ाया गया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(व्यवधान)

(श्री मैनजर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

[***]

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें कुछ नहीं, यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मंत्री जी की अगर जानकारी में नहीं है, तो वह जानकारी करके बतायें ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७४ और १९७५ के समय में जो शासन यहां था। उत्तर प्रदेश में और केन्द्र में [× × × ×] और जन भावनाओं के विपरीत उस वक्त अनेक राजाज्ञायें जारी हुई थीं, जिसमें एक यह भी राजाज्ञा है । इस राजाज्ञा को अब तक निरस्त न करने का क्या कारण है, और क्या तत्काल इस जन विरोधी राजाज्ञा को निरस्त करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल आप का स्पष्ट नहीं है । आप क्या निरस्त कराना चाहते हैं ?

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर) आप बैठिए ।

श्री मैनजर सिंह—

मेरा सवाल यह है, १९७४ में इस प्रदेश और देश में [× × ×] शासन था और उस जमाने में जो इस प्रकार की राजाज्ञायें जारी हुई, जैसी यह है, जन भावनाओं के विपरीत, इस राजाज्ञा को अब तक निरस्त न करने का क्या कारण है, और क्या अब करेंगे ?

(व्यवधान तथा शोर)

श्री अध्यक्ष—

(श्री देव बहादुर सिंह के खड़े होने पर) आप बैठिये ।

श्री श्यामधर मिश्र—

आप अन्याय करते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए अपनी जगह ।

श्री मैनेजर सिंह—

१९७४ में नंगा नाच करने वाले लोग बोल रहें हैं । शर्म नहीं आती है, इन लोगों को ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी जगह पर बैठिए ।

श्री श्यामधर मिश्र—

आपकी बात नहीं सुनायी देती है, तो क्या करें ?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह ने जो आक्षेप किया है [× × ×] उनको कहने का अधिकार नहीं है । वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना प्रश्न स्वीकार कर रहा हूं कि १९७४ में जो प्रपत्र क्रीड़ा स्थलों को प्रयोग करने के बारे में जारी किया गया था क्या मंत्री जी ने उसमें कोई संशोधन किया है या निरस्त करने पर विचार किया है या विचार कर रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया था इस तरह की टिप्पणी लिख दी गयी है कि कोठरियों को खाली रहने पर किराये पर सार्वजनिक रूप से जो चाहते हैं, उन्हें उठाने की व्यवस्था की जाय । शीघ्र ही शासनादेश जारी कर दिया जायगा ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

यह तरीका आपका गलत है । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट ने माइक्रोफोन तोड़ दिया)

श्री अध्यक्ष—

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

जो लोग चिल्लायेंगे उनको मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर) यह आवश्यक नहीं है कि मैं आपके ही तरफ के लोगों को इजाजत दूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो टिप्पणी उन्होंने पत्रावली पर लिखी है, उसके अनुसार क्या राजाज्ञा जारी हो गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक जारी हो जायगी ?

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मैंने जिस प्रकार निर्देश दिये, छानबीन हो रही है कि किराये का रेट क्या रखा जाय, शीघ्र ही शासनादेश जारी हो जायगा ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग बैठ जाइये । बैठ जाइये । मैं प्रश्नों को स्थगित कर दूंगा । आप बैठ जाइये । मैं सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर बिना इजाजत बोलेंगे, तो मैं सदन की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा । आप प्रश्नों को प्रश्नों की तरह चलने दें । श्री श्यामधर जी, आप प्रश्न कीजिये ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूं कि २३ नवम्बर को सभा हुई क्या यह सही है कि उन्होंने उसके पहले पार्टी के सचिव जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, माननीय वर्मा जी और दूसरे सदस्य श्री शतरुद्र प्रकाश ने २३ नवम्बर के पहले पत्र लिखा और यह अनुरोध किया कि आज्ञा न दी जायें ? क्या शासन ने उस पर विचार किया और शासन ने क्या किया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मेरे द्वारा आदेश हो जाने के बाद शतरुद्ध प्रकाश ने टेलीफोन पर बात की थी और उनकी एप्लीकेशन भी प्राप्त हुई ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं पत्र की बात कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि मुझे पत्र मिला । मुझे अभी सूचना मिली कि गौरी शंकर जी ने माइक तोड़ दिया है, इसकी जांच की जाये । इस प्रकार का व्यवहार करना उचित नहीं है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मैं आधे घंटे से बोलने के लिए खड़ा हो रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप सदन से चले जायें ।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट सदन छोड़ कर चले गए)

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मान्यवर, जब मेरे निष्कासन का प्रश्न था तो माननीय मुख्य मन्त्री जी को एक मिनट की देर नहीं लगी और प्रस्ताव कर दिया कि आरिफ को निकाल दिया जाये, लेकिन इस समय माननीय मुख्य मन्त्री को सदन की गरिमा का कोई ख्याल नहीं है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

श्री आरिफ को नियमावली के अनुसार निकालने का प्रस्ताव किया गया था। आप लोग शांत रहिए। जब तक मैं किसी को इंगित न करूं कोई प्रस्ताव नहीं कर सकता है। माननीय गौरी शंकर को, चूंकि उन्होंने माइक तोड़ डाला है, निष्कासित किया गया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी उस समय प्रस्ताव कर सकते थे जब मैं उनको इंगित करता।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि श्री शतरुद्र प्रकाश का पत्र लेट स्टेज पर मिला था, तब तक मेरे आदेश हो चुके थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न स्थगित किया जाता है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

विद्युत् परिषद् द्वारा कापर कन्डक्टर्स के स्थान पर लगाये गये अल्युमिनियम कन्डक्टर्स

*१—श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या विद्युत् मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे क्या विद्युत् परिषद् द्वारा प्रदेश में लगे कापर कन्डक्टर्स को बदल कर अल्युमिनियम कन्डक्टर्स लगाए गए हैं? यदि हां, तो निकाले हुए कापर कन्डक्टर्स की संख्या क्या है और वह कितने मूल्य के हैं तथा उन निकाले हुए कापर कन्डक्टर्स को विद्युत् परिषद् ने क्या किया तथा जो अल्युमिनियम कन्डक्टर्स लगाए गए उनका मूल्य क्या है?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

श्रीमन्, यह प्रश्न मैंने ६ जुलाई, १९७८ को दिया था और २ अगस्त को यह शासन को भेजा गया था। ४ माह बीत जाने पर भी इसका उत्तर नहीं आया इसका क्या कारण है? क्या वे यह आश्वाशन देंगे कि वे अगला सत्र शुरू होने के प्रथम गुरुवार को इसका उत्तर अवश्य देंगे।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में कोई अवधि नहीं दी थी कि वे किस अवधि की जानकारी चाहते हैं। जब उनसे यह जानकारी की गई तो उन्होंने बहुत

देर से सूचना दी कि वे दो वर्ष की सूचना चाहते हैं। सारे स्टेट में लम्बे पैमाने पर कन्डक्टर्स लगाये जाते हैं। यह उसी तरह का प्रश्न है कि प्रदेश भर में कितने बल्ब लगाये गये और कितने बदले गए, तो इसमें समय लगेगा सूचना मंगाने में।

श्री अध्यक्ष—

इस समय यह स्थगित किया जाता है, आप १५ दिन के अन्दर उत्तर दे दें।

(व्यवधान)

नगर पालिका बांदा के खजांची, श्री ब्रज मोहन त्रिपाठी की सेवा समाप्ति एवं पुनर्नियुक्ति

*२—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतावेंगे कि नगरपालिका, बांदा में ४ अक्तूबर, १९७५ को सेवा समाप्त किए गए किसी खजांची की मई, १९७६ में पुनः उसी पद पर अवैधानिक नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, बांदा व प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, बांदा ने माह जनवरी, १९७६ से ३१ मई, १९७८ तक किन-किन तिथियों में प्रस्तरवार अपनी क्या-क्या आख्या प्रस्तुत की तथा जिलाधिकारी व प्रशासक, नगरपालिका, बांदा और शासन ने किन-किन तिथियों में क्या-क्या आदेश पारित किए और क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त (बाजपेयी स्वायत्त शासन मंत्री)—

नगर पालिका, बांदा के खजांची श्री बृज मोहन त्रिपाठी की सेवायें तत्कालीन पालिका अध्यक्ष द्वारा दिनांक ४ अक्तूबर, १९७५ को समाप्त कर दी गई थी, जिसके विरुद्ध वे मुन्सिफ न्यायालय, बांदा के यहां से अस्थायी स्थगन आदेश ले आये थे। उक्त आदेश को प्रभावी मानते हुए तत्कालीन कार्यवाहक पालिका अध्यक्ष द्वारा उन्हें अपने आदेश दिनांक १३ मई, १९७६ द्वारा पूर्ववत् कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था। चूंकि नगर पालिका, बांदा के उक्त खजांची श्री त्रिपाठी की सेवा समाप्ति से सम्बन्धित वाद मुंसिफ न्यायालय से स्थानान्तरित होकर अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण में लम्बित है, अतः इस सम्बन्ध में पालिका तथा शासन की पत्रावलियों में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों में दी गई आख्याओं तथा आदेशों का जो कि गोपनीय प्रकृति के हैं, विवरण दिया जाना जनहित में उचित न होगा।

मान्यवर, त्रिपाठी को निलंबित भी कर दिया गया है।

*३—श्री राम सजीवन—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतावेंगे कि क्या यह सही है कि असिस्टेंट इक्जामिनर, लोकल फंड्स एकाउन्ट्स, कानपुर ने दिनांक ३१ मार्च, १९७८ को नगरपालिका, बांदा में निरीक्षण किया और पालिका के एकाउन्ट रजिस्टर में अनेकों अनियमिततायें पाई थीं ? क्या यह सत्य है कि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

३१ मार्च, १९७८ को नहीं, अपितु सहायक सम्परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, कानपुर मंडल द्वारा ७ अप्रैल, १९७८ को नगरपालिका बांदा का निरीक्षण किया गया और केवल चार अनियमिततायें उनके द्वारा पायी गयीं ।

श्री राम सजीवन--

मंत्री जी ने बताया है कि अधिकारी का आदेश और कार्यवाही गोपनीय है, गोपनीय तो है, लेकिन शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

प्रक्रिया नियमावली की धारा ५९ आप देख लेंगे, अधिक नहीं कहना है, मामला सब-जुडिस है, निर्णय का जो आपने कहा, सस्पेंड तो हम कर चुके हैं, अदालत का जो फैसला होगा, उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे ।

श्री राम सजीवन--

आडिट में अनियमिततायें पकड़ी गयीं, क्या माननीय मंत्री जी ने इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चालू किया है या चालू करने का विचार है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जो सम्बन्धित व्यक्ति हैं, वह बड़ी चतुराई से हमसे जानना चाहते हैं, मामला अदालत में पेश है, हम भी अपना काम जानते हैं ।

श्री मैनेजर सिंह--

मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे, पहले उत्तर में उन्होंने बताया कि गोपनीय है और बाद में कहा कि मामला सब-जुडिस है, तो दोनों में कौन सा कारण है, जो बताना नहीं चाहते हैं, कौन उत्तर सही है ?

श्री अध्यक्ष--

दोनों ही सही हैं ।

नगरपालिका, बांदा के खजांची की सेवा समाप्ति एवं वेतन का भुगतान तथा अन्य कर्मचारियों को दिया गया वेतन

*४--डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा (जिला बांदा) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, बांदा में मई, १९७६ में खजांची पद पर किसी ऐसे कर्मचारी की पुनः उसी पद पर नियुक्ति व एकाउन्टेन्ट पद पर पदोन्नति की गई है जिसका मामला ट्रिब्यूनल के गठन के कारण जनवरी, १९७६ में मुकदमा ही श्रवेट हो गया था ? यदि हां, तो उक्त खजांची/एकाउन्टेन्ट को वेतन दिए जाने का क्या औचित्य है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां ।

तत्कालीन पालिका अध्यक्ष ने अपने आदेश दिनांक १३ मई, १९७६, १५ जून, १९७६ के द्वारा उक्त खजांची को बराबर सेवारत माना तथा उसे यथापूर्व

कार्य करने हेतु आदेशित किया । बाद में पालिका में लेखाकार का पद रिक्त होने पर तत्कालीन पालिका अध्यक्ष के आदेश दिनांक १ मार्च, १९७७ के द्वारा उक्त खजांची को लेखाकार के पद पर प्रोन्नति कर दी गई । अतः पालिका अध्यक्ष के उक्त आदेशों के आधार पर उक्त कर्मचारी को वेतन दिया गया ।

*५--डाक्टर सुरेन्द्र पाल--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह अक्तूबर, १९७५ से मई, १९७६ तक नगरपालिका, बांदा के किन-किन कर्मचारियों को किस-किस माह का वेतन किन-किन तिथियों में दिया गया ? क्या यह सत्य है कि ४ अक्तूबर, १९७५ को सेवा समाप्त किए गए किसी खजांची को भी वेतन दिया गया है ? यदि हां, तो किन तिथियों में, किस-किस माह का तथा किस नियमानुसार ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

नगरपालिका, बांदा में २७४ कर्मचारी हैं । अक्तूबर, १९७५ से मई, १९७६ तक इन कर्मचारियों को प्रत्येक माह का वेतन भिन्न-भिन्न तिथियों में दिया गया । प्रत्येक कर्मचारी का विवरण दिया जाना समय व श्रम साध्य है जो वांछित सूचना की उपयोगिता की तुलना में कहीं अधिक होगा ।

यह सही है कि ४ अक्तूबर, १९७५ को सेवा समाप्त किये गए खजांची को वेतन दिया गया है ।

माह सितम्बर, १९७५ से मई, १९७६ तक के वेतन का भुगतान दिनांक ४ नवम्बर, १९७७ को एवं १७ जून, १९७६ से १६ जुलाई, १९७६ तक के वेतन का भुगतान दिनांक २१ अगस्त, १९७६ को श्री बृज मोहन त्रिपाठी, खजांची को तत्कालीन पालिका अध्यक्ष के आदेशानुसार, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी की स्वीकृति से किया गया ।

प्रदेश में शराब के ठेके की नीलामी

*६---श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के कितने जिलों में वर्ष १९७८-७९ में शराब की नीलामी में नीलामी की बोली समाप्त होने पर निर्धारित धनराशि से कम पैसा लेकर ठेका दिया गया ? ऐसे जगहों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(आबकारी मंत्री) श्री रमाशंकर कौशिक--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मान्यवर, मेरी आपत्ति है और मेरा आग्रह है कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें । मैंने यह प्रश्न पिछले सत्र में भी पूछा था, उस समय स्थगित कर दिया गया था, पूरे ५ महीने हो गये हैं, इस प्रश्न को पूछे हुए । मैं आपके जरिये माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि कब तक यह सूचना हमको दे देंगे । मान्यवर, यह सूचना ऐसी नहीं है, जो दी न जा सके ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मैं इसे स्वीकार करता हूं कि इसमें देर हुई है ।

श्री अध्यक्ष--

अगले सप्ताह में इस सत्र के उठने से पहले इसका उत्तर अवश्य दे दें ।

सिविल अस्पताल, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल की एक्सरे मशीन

*७—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिविल अस्पताल, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल की एक्सरे मशीन सन् १९७८ में कब खराब हुई थी और कब वह ठीक हो गई और इस बीच जिन मरीजों का एक्सरे किया जाना आवश्यक था, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई थी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)—

सिविल अस्पताल, कोटद्वार की एक्सरे मशीन जनवरी, १९७७ में खराब हुई थी। उसकी मरम्मत दिनांक २३-५-१९७८ को की गई। इस बीच जिन मरीजों का एक्सरे किया जाना आवश्यक था, उन्हें जिला चिकित्सालय पौड़ी-गढ़वाल में एक्सरे कराने की राय दे दी गई थी।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २३-५-७८ से मशीन तो ठीक हो गई, परन्तु वहां पर टेक्निशियन न होने के कारण से अभी तक कोई कार्य नहीं हो रहा है, अभी तक उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, वहां पर एक्सरे टेक्निशियन है अथवा नहीं, ऐसी सूचना नहीं है। अगर वहां पर एक्सरे टेक्निशियन नहीं है, तो वहां पर तुरन्त व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, जैसा मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि उनको इसकी सूचना नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या इसके साथ-साथ सारे गढ़वाल मन्डल में अस्पतालों में कहां डाक्टर नहीं हैं, या कंपाउन्डर नहीं हैं या मशीनें नहीं हैं, या टेक्नीशियन नहीं हैं, इसकी भी जानकारी करके तुरन्त इनकी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, इसका तो हम सर्वेक्षण करा ही रहे हैं कि प्रदेश के अन्दर कहां डाक्टर नहीं हैं और कहां आवश्यक कर्मचारी नहीं हैं। जहां कमी है, वहां इनकी व्यवस्था करेंगे ही।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि जनवरी, ७७ में मशीन खराब हुयी थी और मई, ७८ में मरम्मत की गई। पूरे एक साल ५ महीने बाद मरम्मत हुई, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतने बड़े विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, विभाग की ओर से इस कम्पनी के पास सूचना भेजी गयी थी। यह मशीनें मेसर्स सीमेन्स इंडिया लिमिटेड द्वारा आयी थी। इस फर्म से पत्र-

व्यवहार इस सम्बन्ध में किया गया । फर्म ने अपना टेक्निशियन १२-१०-७७ को भेजा । उसके बाद उन्होंने २३-५-७८ को इसकी मरम्मत की है । कठिनाई यह है कि जिस फर्म की मशीन होती है, वहीं का टेक्नीशियन इसकी मरम्मत कर पाता है, तो इसमें मशीन खराबी की इत्तला आने में जितना टाइम लग जाता है, उसी कारण देर होती है । यद्यपि हम प्रयास करते हैं कि अधिक समय न लगे ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जून से लेकर ५ महीने में लगभग मैंने ५-६ लेटर लिखे हैं और स्वयं वार्तालाप किया है । तहसील ठाकुर द्वारा में ३० बेड का जो अस्पताल बना है, उसमें आज तक ताला पड़ा है और आपके आर्डर के बावजूद किसी डाक्टर ने ज्वाइन नहीं किया । क्या इसका प्रबन्ध करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था करूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, आमतौर पर देखा गया है कि पहाड़ों के अन्दर एक दफे जब एक्सरे मशीन खराब हो जाती है, तो बरसों रिपेयर नहीं हो पाती है, तो क्या वह ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अगर एक्सरे मशीन खराब हो जाय, तो कम से कम २ महीने में वह रिपेयर हो जाय ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, न केवल पहाड़ों के लिए, बल्कि हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में जैसे एक्सरे मशीन खराब हों, उनकी शीघ्र मरम्मत कर दी जाय । लेकिन हमारी कठिनाई यह है कि जिस फर्म की मशीन होती है, वहीं का टेक्नीशियन उसको ठीक कर पाता है । हमारे स्तर पर विलंब का प्रश्न नहीं उठता है ।

[बृहस्पतिवार, ७ दिसम्बर, १९७८ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

हिन्डालको द्वारा राज्य विद्युत् परिषद् पर हरजाने का दावा

*१--श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि "हिन्डालको" ने उत्तर प्रदेश सरकार (उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्) पर दस करोड़ रुपये के हर्जाना का दावा कुछ मास पूर्व किया है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ? और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां । शासन द्वारा हिन्डालको को विगत अप्रैल, १९७७ से बिजली में कटौती की गयी, जिसके परिणामस्वरूप हिन्डालको ने परिषद् पर माह अप्रैल, १९७७ से मई, १९७८ तक लगभग रु० १५,०२,६२,५६९.३० पैसे हुई क्षति का 'क्लेम' दायर किया है । उनका 'क्लेम' परिषद् से अस्वीकार कर दिया गया है । हिन्डालको ने विवाचन की नोटिस परिषद् को भेजी, जिसके प्रत्युत्तर में उन्हें यह

स्पष्ट कर दिया गया कि चूंकि बिजली की कटौती शासन ने लगाई थी और उन्होंने उसका अनुपालन किया अतएव इस विषय पर विवाचक नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता है। हिन्डालको ने अपने विवाचक को एक मात्र विवाचक मानकर विवाचन की कार्यवाही प्रारम्भ की। परिषद् ने इस कार्यवाही के विरुद्ध आरबीट्रेशन ऐक्ट की धारा ३३ के अन्तर्गत न्यायालय, सिविल जज, लखनऊ के न्यायालय में वाद दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। वाद अभी अनिर्णीत है।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हिन्डालको ने अपने दावे में क्या-क्या मुद्दे उठाये थे और सरकार ने उनका क्या जवाब दिया था ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, यह दावा क्षतिपूर्ति के नाम पर विद्युत् परिषद् पर उन्होंने किया है। विद्युत् परिषद् के और उनके बीच में एग्रीमेन्ट हुआ है। लेकिन शासन को अधिकार है अपने आवश्यकता के अनुसार बिजली रेगुलेट करने का, इसलिए विद्युत् परिषद् ने उन क्लेमों को रेजेक्ट कर दिया है और जब एक पक्षीय आर्बीट्रेटर नियुक्त किया, तो सिविल जज के वहां से स्टे किया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, हिन्डालको जिस ढंग से काम करता है, उसको मन्त्री जी जानते हैं। उसने सरकार का रुपया मार रखा है, तो मन्त्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि इसको टेकओवर करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मेरी मन्त्री जी से दरख्वास्त है कि जो कठिनाई है, वास्तव में उसे स्पष्ट रूप से मन्त्री जी बतला दें।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, इस मामले में जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, तो यह मामला भारत सरकार का है। इसलिये इस पर हम विचार विमर्श करेंगे, लेकिन वह उन्हीं पर निर्भर करता है। यदि कोई जानकारी चाहते हैं, तो उसको हम बतायेंगे।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, डेढ़ वर्ष हो गये हैं, तो पंच निर्णय से जो गलत पैसा हिन्डालको से विद्युत् परिषद् ने ले लिया था, उसमें से कितना पैसा हिन्डालको को विद्युत् परिषद् ने अब तक वापस किया है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, यह अलग का प्रश्न है। इधर का शासन आने के बाद उनके क्लेम का कोई पैसा वापस करने की बात नहीं है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने इस फर्म का राष्ट्रीयकरण करने के लिये प्रधान मन्त्री और उद्योग मन्त्री को कितने पत्र लिखे और शासन

की तरफ से कितने पत्र लिखे गये हैं ? उनका उत्तर भारत सरकार की तरफ से आया है कि नहीं और यदि आया है, तो वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, जब आपने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एलाऊ कर दिया, तो उसी उत्तर के संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार और मन्त्री जी ने भारत सरकार को कई पत्र लिखे, तो वहां से कोई उत्तर हां या न में आया है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप पृथक् से प्रश्न करेंगे तो जानकारी आपको मिलेगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मन्त्री जी ने मंत्रि परिषद् में इस सम्बंध में कोई प्रस्ताव रखा है ?

श्री अध्यक्ष—

यह भी प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, हिन्डालको और उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् के बीच में जो सम्बन्ध हैं, उनमें जो कठिनाई पैदा हुई है, उनको देखते हुए हिन्डालको के राष्ट्रीयकरण में उत्तर प्रदेश सरकार का क्या मत है, यह मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । मूल प्रश्न १० करोड़ रुपये के हरजाने के बारे में है । इससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि विद्युत् परिषद् और हिन्डालको के बीच एग्रीमेन्ट है और उस एग्रीमेन्ट के तहत मुकदमा दायर किया है । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी को पता है कि एग्रीमेन्ट के तहत में यह भी व्यवस्था है कि देश में जब युद्ध होगा और युद्ध का असर देश पर पड़ेगा, तो जो कन्सेशनल रेट है एग्रीमेन्ट में वह बढ़ाया जावेगा आपसी बातचीत से या आर-बिट्रेशन से ? जो देश में तीन युद्ध हुए, उस दौरान क्या विद्युत् परिषद् ने कोई रेट बढ़ाने का प्रयास किया ?

श्री अध्यक्ष—

यह नया प्रश्न है, इससे उत्पन्न नहीं होता ।

*२—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल तथा श्री डी० पी० बोरा—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।]

*३—श्री शिव प्रसाद—

[१ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राज्य विद्युत् परिषद् के सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का आरक्षण कोटा

*४—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पहली अप्रैल, १९७३ से ३१ अगस्त, १९७८ तक जिन कर्मचारियों की पदोन्नति सहायक अभियन्ता (विद्युत्) एवं अधिशासी अभियन्ता (विद्युत्) के पद पर की गयी है उनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के आरक्षित कोटे की पूर्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी नहीं । राज्य विद्युत् परिषद् में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को क्रमशः १८ प्रतिशत एवं २ प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नति किये जाने के आदेश मात्र मई, १९७५ में ही जारी किये गये थे । तदनुसार २० मई, १९७५ के उपरान्त सम्पन्न हुए कतिपय चयनों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पूर्ण आरक्षित कोटे की पूर्ति पात्रता के क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण न हो सकी । फिर भी यथासम्भव उक्त पदोन्नतियों में उनका चयन किया गया ।

सोहावल बिजलीघर, जिला फैजाबाद के सहायक अभियन्ता, श्री पी० पी० सिंह द्वारा आत्महत्या एवं मुआवजा

*५—श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गत वर्ष १४ मार्च को सोहावल बिजली घर के विद्युत् अभियन्ता (श्री पी० पी० सिंह) की आत्महत्या के कारणों की जांच हेतु जो आदेश दिया गया था उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या मृतक परिवार को उपयुक्त मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

श्री पी० पी० सिंह, सहायक अभियन्ता की हत्या के मामले में एक तो विभागीय जांच की गई और दूसरी पुलिस द्वारा । विभागीय जांच में श्री सुरेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खंड, फैजाबाद जिनके चार्ज में सोहावल पावर हाउस था, के विरुद्ध श्री पी० पी० सिंह, सहाय अभियंता के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ और विचारोपरान्त मामला समाप्त कर दिया गया । पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद ने पुलिस जांच के विषय में सूचित किया है कि विधिक दृष्टि से यह मामला क्रीमिनल अफेन्स का नहीं है अतः पुलिस जांच की आवश्यकता नहीं है । मृतक के परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि श्री सिंह अधिकारी श्रेणी में आते हैं और कर्मकार

क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९२३ के अन्तर्गत इनके वैधानिक आश्रितों को मुआवजा देय नहीं है ।

श्री फजलुलबारी--

मान्यवर, इसमें मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि विभागीय जांच करायी गयी, लेकिन यह नहीं बताया कि विभागीय जांच किस अफसर के जरिये करायी गयी क्योंकि वहां पावर हाउस इन्चार्ज, अधिशासी अभियन्ता जो हैं, उसी के खिलाफ शिकायत थी । उस शिकायत का पता लगाने के लिए माननीय मन्त्री जी ने किस एजेन्सी से जांच करायी, विभागीय ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, यह जांच श्री एस० के० जैन, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर जो इनक्वायरी आफीसर हैं, इनके द्वारा करायी गयी थी ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो जांच करायी गयी है, उसके दौरान जांचकर्ता से जिन लोगों ने शिकायत की थी, उनके बयान ले लिये हैं ? अगर हां, तो वे बयानात क्या हैं ?

मान्यवर, क्या बात है । क्या माननीय मन्त्री जी को उत्तर नहीं मिल रहा है ? बड़ी देर लगा रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

नहीं, मान्यवर, मैं देख रहा हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, टाल दीजिए आज अगर उत्तर नहीं मिल पा रहा है । वैसे भी माननीय मन्त्री जी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं । तो उचित होगा, इसको किसी दूसरे दिन के लिये छोड़ दें ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, इसमें कोई तथ्य तो है नहीं । डिटेल के लिए समय भी नहीं है क्योंकि प्रश्नोत्तर काल का समय समाप्त हो रहा है । लेकिन अगर उत्तर चाहते हैं, तो रिपोर्ट तो देखना ही पड़ेगा ।

विद्युत् परियोजना हेतु प्रधान मन्त्री से मुख्य मन्त्री का कथित अनुरोध

*६--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मन्त्री ने जुलाई, १९७८ में डा० लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में माननीय प्रधान मन्त्री से उत्तर प्रदेश में बड़ी विद्युत् परियोजना प्रारम्भ करने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो प्रधान मन्त्री जी ने क्या आश्वासन दिया और उस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में कर्मचारियों की प्रोन्नति एवं अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति का कोटा

*७--श्री बिहारी लाल हंस--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेश सं० १३/फ/४९७/६०-६१८८, दिनांक ५ अगस्त, १९७८ द्वारा पदोन्नत १२ कर्मचारियों को जिनमें पिछड़ी जाति के ५ तथा अनुसूचित जाति के शून्य कर्मचारी आरक्षण के आधार पर पदोन्नत किए गए थे, को शासनादेश संख्या १००-एस० सी०/२-बी-३१६-१९६४, दिनांक १५ माच, १९६५ के आधार पर बनाए गए क्रमावली (रोस्टर) के अनुसार पदोन्नत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त पदोन्नति में अनुसूचित जाति आरक्षित सीट को अनारक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग से पूर्व अनुमति ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा अनुसूचित जाति का आरक्षण प्रतिशत पूरा करने के लिए किस सीमा तक प्रयास किया जा रहा है ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित स्वास्थ्य सेवा निदेशक के आदेश दिनांक ५-८-७८ द्वारा विभिन्न श्रेणियों के निम्नलिखित १२ पदों पर कर्मचारियों की प्रोन्नति की गई :--

मुख्य सहायक	..	१
मुख्य लिपिक	..	२
नोटर ड्राफ्टर	..	४
संदर्भ लिपिक	..	५

मुख्य सहायक, मुख्य लिपिक, नोटर ड्राफ्टर के एक-एक पद एवं संदर्भ लिपिक के दो पदों पर पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति की गई तथा शेष पदों पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कोई कर्मचारी निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पदोन्नति का पात्र नहीं पाया गया तथापि अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन पूर्णतः किया गया अथवा नहीं इसका परीक्षण किया जा रहा है ।

*८--श्री बिहारी लाल हंस--

[१ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आचार्य नरेन्द्र देव महिला महाविद्यालय, महापालिका, कानपुर के प्रधानाचार्य को आवंटित बंगला

*९--श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर महापालिका द्वारा संचालित आचार्य नरेन्द्र देव महिला डिग्री कालेज की प्राचार्या को आवास हेतु जो बंगला दिया गया है, उसका नियमानुसार किराया लिया जाता है ? यदि नहीं, तो उन्हें बिना किराए (रेन्ट फ्री) आवास किन नियमों के अन्तर्गत दिया गया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी नहीं ।

नगर महापालिका, कानपुर द्वारा संचालित आचार्य नरेन्द्र देव महापालिका महिला महाविद्यालय की वर्तमान प्राचार्या को निःशुल्क आवास की सुविधा उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका सेवा नियमावली, १९६२ के नियम-५ के अन्तर्गत प्रदान की गयी है ।

*१०--श्री राम नरायन वर्मा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*११--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[४थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

प्रतापगढ़ कोल्ड स्टोरेज के विद्युत् लोड का सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

*१२--श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

क्या विद्युत् मन्त्री बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में विजिलेन्स विभाग ने प्रतापगढ़ कोल्ड स्टोरेज के विद्युत् लोड सम्बन्धी जांच माह जून, १९७८ में की थी ? यदि हां, तो कितना हार्स पावर अधिक लोड था और जांच के बाद क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

प्रतापगढ़ जनपद में दिनांक ७ जून, १९७८ को फैजाबाद स्थित प्रवर्तन दल आदि द्वारा प्रतापगढ़ कोल्ड स्टोरेज के विद्युत् लोड सम्बन्धी जांच की गयी जिसमें कि २८ किलोवाट विद्युत् भार अधिक पाया गया इस पर कोई कार्यवाही वांछित नहीं थी क्योंकि कोल्ड स्टोरेज आदि बड़े कन्जयूमर्स को विद्युत् एम० डी० आई० ट्राइवेक्टर मीटर द्वारा दी जाती है तथा उन्हें अनुबन्धित भार से अधिक भार के मीटर लगाने का अधिकार है ।

स्वास्थ्य निदेशालय के कर्मचारी श्री मजहर सिद्दीकी व श्री के० के० शर्मा के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*१३--श्री प्रतापसिंह पुष्पवान (जिला चमोली)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने जो प्रार्थना-पत्र ५ जून, १९७८ को स्वास्थ्य निदेशालय में कार्यरत कर्मचारी सर्वश्री मजहर सिद्दीकी सहायक लिपिक तथा के० के० शर्मा, प्रधान लिपिक के विरुद्ध घूसखोरी व भ्रष्टाचार

की शिकायत के सम्बन्ध में दिया था, उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह--

कथित शिकायत के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का प्रार्थना-पत्र दिनांक ५-६-७८ प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता । अतः उसके आधार पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१४--श्री प्रताप सिंह पुष्पवान--

[१ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*१५--श्री सन्त बक्श रावत, श्री जयशंकर पान्डेय तथा श्री नारायण सिंह भंसोरा--

[२रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न सख्या ६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

फैजाबाद जिले के जहांगीरगंज में महिला अस्पताल की स्थापना की मांग

*१६--श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्वास्थ्य समिति, फैजाबाद द्वारा प्रस्ताव सं० स/ए०-११/७७, दिनांक १६ नवम्बर, १९७७ को निदेशक, स्वास्थ्य विभाग की सेवा में जहांगीरगंज ब्लाक, जहांगीरगंज, फैजाबाद में महिला अस्पताल बनाने हेतु भेजा है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, किन्तु महिला अस्पताल तथा कर्मचारियों के आवास के लिये उपयुक्त भवनों के न मिलने के कारण जहांगीर गंज, जिला फैजाबाद में महिला अस्पताल की स्थापना करना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

सुल्तानपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जामो के डाक्टरों की अनुपस्थिति

*१७--श्री तेजभान सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रा० स्वा० केन्द्र, जामो, जनपद सुल्तानपुर में फैले कालरा के बावजूद अस्पताल में बगैर छुट्टी समस्त डाक्टरों के एक हफ्ते तक गायब होने की सूचना प्रश्नकर्ता के दिनांक १८ अगस्त, १९७८ के तार तथा लिखित पत्र द्वारा प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जामो, जनपद सुल्तानपुर में फैले कालरा के बावजूद वहां पर तैनात डाक्टर बगैर अवकाश के एक सप्ताह अनुपस्थित रहे । उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु मुख्य चिकित्सा-धिकारी, सुल्तानपुर से आख्या मांगी गई थी जो दिनांक ४-१२-७८ को प्राप्त हुई है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

बलरामपुर अस्पताल के डाक्टरों द्वारा आपरेशन थिएटर एवं प्राइवेट वार्ड को निवास के रूप में कथित प्रयोग

*१८—श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को जानकारी है कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के कुछ डाक्टर्स प्राइवेट एवं स्पेशल वार्ड्स एवं आई आपरेशन थिएटर से लगे हुए कमरे को अपने एवं परिवार के व्यक्तियों के आवास के उपयोग में इस समय ला रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी अविलम्ब खुफिया जांच कराकर उनके नाम तथा उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के सीनियर सुपरिंटेंडेंट तथा सुपरिंटेन्डेन्ट केवल प्रशासनिक कार्य ही करते हैं और मरीजों की चिकित्सा का कार्य बिल्कुल ही नहीं देखते हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या शासन ने इस प्रकार के कोई आदेश उनको हाल ही में दिए हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ का कोई भी चिकित्सक प्राइवेट तथा स्पेशल वार्ड एवं आई आपरेशन थिएटर से लगे हुए कमरे को अपने तथा अपने परिवार के व्यक्तियों के आवास के उपयोग में नहीं ला रहे है । अतः खुफिया जांच कराने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उक्त चिकित्सालय के सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट एवं सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रशासनिक कार्य के अतिरिक्त मरीजों की चिकित्सा का कार्य भी देखते हैं ।

महिला अस्पताल, लखनऊ की स्वास्थ्य निरीक्षिका का अवशेष वेतन का निर्धारण

*१९—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

द्वितीय सत्र १९७८ के दिनांक २४ अगस्त, १९७८ के नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित निरीक्षिका के वेतन निर्धारण का एरियर किस अवधि तक का है और उसकी धनराशि क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त का एरियर भुगतान अभी तक (२३-४-७८) नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और विलम्ब का क्या कारण है तथा कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री कल्याण सिंह—

सम्बन्धित स्वास्थ्य निरीक्षिका को दिनांक ११-७-७३ से २८-२-७५ तक का वेतन निर्धारण अवशेष है जो १०९९·७० रु० की धनराशि है ।

यह सही है कि उक्त एरियर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है । कुछ औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण उक्त एरियर के भुगतान में विलम्ब हुआ ।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से उक्त अवशेष के बिल के पूर्व सम्प्रेक्षण के उपरान्त भुगतान कर दिया जायगा ।

विष्णु प्रयाग जल विद्युत् गृह, चमोली का निर्माण एवं उत्पादन क्षमता

*२०—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विष्णु प्रयाग जल विद्युत् गृह, जिला चमोली का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हुआ है तथा कब तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जायगा ? उसकी लागत कितनी आंकी गयी है तथा इसकी क्षमता कितनी मेगावाट होगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

विष्णु प्रयोग जल विद्युत् गृह, जिला चमोली का निर्माण कार्य चालू वर्ष १९७८-७९ में ही प्रारम्भ हुआ है तथा इसका वर्ष १९८७-८८ में पूर्ण होने का अनुमान है। इस योजना की स्वीकृत अनुमानित लागत १०४·५१ रु० करोड़ है तथा इसकी अधिष्ठापित क्षमता २६२ मेगावाट है।

गोरखपुर के जलकल विभाग में हुए घोटाले की जांच

*२१—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अप्रैल, १९७८ में गोरखपुर के जिलाधीश ने पत्रकार सम्मेलन में गोरखपुर जलकल विभाग में लाखों रुपए के हुए घोटाले की जांच कराने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ? क्या जांच के फलस्वरूप कुछ अन्य अनियमिततायें भी नलकूपों के पुर्जों, सीवर पम्पों आदि के सन्दर्भ में प्रकाश में आईं ? उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

ऐसा नहीं है बल्कि गोरखपुर के जिलाधीश ने दिनांक १३-४-७८ के पत्रकार सम्मेलन में सीवरेज पम्पिंग स्टेशन के पम्प तथा पुर्जों के गायब होने तथा १९७२ में जलकल कर्मचारी संघ, गोरखपुर द्वारा तत्कालीन प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका गोरखपुर को दिए गए ज्ञापन के सम्बन्ध में जांच का आश्वासन दिया था।

नलकूपों के पुर्जों के सम्बन्ध में अभी तक कोई अनियमितता जांच के दौरान प्रकाश में नहीं आयी है। जहां तक सीवर पम्पों आदि के सन्दर्भ में अनियमितता का प्रश्न है, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन के पम्प तथा पुर्जों के गायब होने के सम्बन्ध में जांच जारी है। कुछ वाटर मीटरों के गायब होने की भी जांच चल रही है।

नगरपालिकाओं के जलकल संस्थानों के श्रेणी प्रोन्नयन की योजना

*२२—श्रीमती रामरति देवी—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि नगरपालिकाओं के जलकल संस्थानों के श्रेणी प्रोन्नयन की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें शीघ्रता कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां। प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। यथाशीघ्र इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

*२३--श्रीमती रामरति देवी--

[३रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*२४--श्री रियासत हुसैन--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

परिवार नियोजन विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों की अपने गृह जनपद में नियुक्ति

*२५--श्री रियासत हुसैन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस आशय की जानकारी है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में नियुक्त कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं, अपने ही निवास गृह जनपद मे शासन द्वारा निर्धारित शासन की नीतियों के विरुद्ध नियुक्त किए गए है और कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

दो प्रशासनिक अधिकारी अपने निवास गृह जनपद में कार्यरत हैं ।

एक ही नाम के दो अधिकारियों के होने के कारण भ्रमवश इनमें से एक प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती दिनांक १४-७-७७ को उनके निवास गृह जनपद में हो गयी । जैसे ही यह तथ्य जानकारी में आया उनका स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया । दूसरे प्रशासनिक अधिकारी के महिला होने के कारण उनको छूट देते हुए उनकी नियुक्ति, निवास गृह जनपद में की गयी है ।

फैजाबाद जिले के विद्युत् प्रेषण कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२६--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या जनपद फैजाबाद में विद्युत् विभाग के टेस्ट डिवीजन में कर्मचारियों की लापरवाही तथा उनमें व्याप्त अराजकता की स्थिति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का विद्युत् मंत्री को सम्बोधित कोई शिकायती-पत्र जुलाई, १९७८ में मिला है ? क्या यह भी सही है कि दिनांक ५ जुलाई, १९७८ को उक्त कार्यालय के अधिकतर कर्मचारी प्रातः १०·३० बजे तक कार्यालय में नहीं आए थ और प्रश्नकर्ता की शिकायत पर स्वयं अधिशासी अभियन्ता श्री पाठक ने कार्यालय का निरीक्षण करके उक्त बातों की सत्यता को देखा है ? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और कर्मचारियों की इस अनुशासनहीनता एवं लापरवाही की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां, इस सम्बन्ध में एक पत्र प्राप्त हुआ था । दिनांक ५-७-७८ को विद्युत् प्रषण फैजाबाद के कार्यालय में प्रश्नकर्ता की उपस्थिति के समय मात्र दो कर्मचारी १०·१५ बजे तक कार्यालय में नहीं आए थे । इनमें से एक विभागीय कार्यवंश दौरे पर गए थे तथा दूसरे कर्मचारी आकस्मिक अवकाश पर थे । जो कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के आकस्मिक अवकाश पर थे उन्हें भविष्य में ऐसी असंगत ढंग से अवकाश न लेने की चेतावनी दे दी गई है ।

वाराणसी जिले के जन स्वास्थ्य रक्षक, श्री सीताराम हरिजन का प्रशिक्षण

*२७—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक की ट्रेनिंग में ट्रेनिंग सेन्टर, पिंडरा, एलोपैथिक अस्पताल में जुलाई में एक हरिजन सीताराम, गांव सभा रतवार बेगपुर को चुना गया था और २१ दिन की ट्रेनिंग देने के बाद उसे प्रिंसिपल, ट्रेनिंग सेन्टर ने आदेश देकर अलग कर दिया जिस पर जिलाधीश, वाराणसी ने आदेश दिया था कि उसको ट्रेनिंग से अलग न किया जाय ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने सीताराम की दरख्वास्त डी० एम०, वाराणसी के आदेश के साथ एक पत्र माननीय स्वास्थ्य मंत्री को ७ सितम्बर, १९७८ को लिखा है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सत्य है कि जन स्वास्थ्य रक्षकों की ट्रेनिंग में हरिजनों की एकदम उपेक्षा की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह—

श्री सीताराम को जन स्वास्थ्य रक्षक का प्रशिक्षण दिनांक १ से २१ अगस्त, १९७८ तक दिया गया। चूंकि यह आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करते थे अतः इन्हें प्रशिक्षण से पृथक कर दिया गया। दिनांक ७-९-७८ का प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिस पर मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी द्वारा जांच कराने पर यह ज्ञात हुआ कि श्री सीताराम नियमानुसार ही प्रशिक्षण से पृथक किए गए थे और इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिलाधिकारी, वाराणसी ने अपने आदेश दिनांक २९-८-७८ को निरस्त कर दिया। वाराणसी जनपद में चारों सत्रों में कुल मिलाकर २३४१ जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था। जिसमें से ३०३ अनसूचित जाति के हैं।

राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, सिघोरा, वाराणसी का भवन निर्माण

*२८—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, सिघोरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की इमारत के लिए सिर्फ ५० हजार रुपया ही दिया गया है जिसकी वजह से इमारत अधूरी रह गई है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ३१ अगस्त, १९७८ को एक पत्र लिखा है कि उक्त अस्पताल की इमारत हेतु ४० हजार रुपए की और व्यवस्था की जावे। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां। धनराशि देने का प्रश्न विचाराधीन है।

*२९—श्री राजेश कुमार सिंह—

[३रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

*३०—श्री रघुवर दयाल बर्मा—

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

फिरोजाबाद, जिला आगरा के कांच व चूड़ी के श्रमिकों के कल्याण हेतु चिकित्सा, पुस्तकालय एवं कैंटीन की व्यवस्था

*३१—श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या श्रम मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के कांच व चूड़ी के प्रतिष्ठानों में सेवारत कांच व चूड़ी के श्रमिकों के कल्याण हेतु प्राथमिक चिकित्सक सामग्री व चिकित्सा एवं कैन्टीन (जलपान गृह) पुस्तकालय आदि की समुचित व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

फिरोजाबाद स्थित कांच व चूड़ी के कारखानों में सेवारत कर्मचारियों के लिए कारखाना अधिनियम की धारा ४५ के अन्तर्गत प्रत्येक कारखाने में प्राथमिक चिकित्सा एवं प्राथमिक चिकित्सक का प्रबन्ध होता है । जिन कारखानों में उक्त सुविधा प्रदान नहीं की गयी थी उनके विरुद्ध अभियोग चलाये गए हैं ।

कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा ४६ के अन्तर्गत केवल उन्हीं कारखानों म कैन्टीन (जलपान गृह) होना अनिवार्य है, जिन कारखानों में साधारणतया २५० से अधिक श्रमिक नियोजित किए जाते हों तथा वे कारखाने कैन्टीन (जलपान गृह) रखे जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा घोषित भी किए गए गये हों । फिरोजाबाद में ऐसे कोई कारखाने नहीं हैं ।

फिरोजाबाद में श्रमिकों को चिकित्सा पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा शासन द्वारा संचालित श्रम हितकारी केन्द्रों के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जाती है जिनमें चिकित्सक, कम्पाउण्डर तथा मिडवाइफ भी कार्यरत हैं ।

नगर पालिका अभियन्त्रण के सहायक/सिविल अभिन्ताओं का लोक सेवा आयोग द्वारा चयन

*३२—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पालिका अभियन्त्रण (प्रवर) सेवा के सहायक/सिविल अभियन्ता के सीधी भर्ती हेतु वर्ष १९७५ में उपलब्ध पदों के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गए प्रथम २८ व्यक्तियों की जो सूची शासन को प्राप्त हुई थी उनमें से कितने व्यक्तियों ने पदभार ग्रहण नहीं किए हैं ? क्या सरकार ने उनके स्थान को भरने के लिए लोक सेवा आयोग से प्रतीक्षा सूची में अंकित व्यक्तियों के नाम मांगे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

सहायक/सिविल अभियन्ता के पदों पर सीधी भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने चयन किए गए २७ व्यक्तियों की सूची भेजी थी । उसमें से ६ व्यक्तियों ने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है । ३ तो अभी तक चिकित्सा परिषद् के समक्ष स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं । उनको अंतिम रूप से लिखा गया है कि वे अपने निश्चय से शासन को अवगत करायें । अन्य ३ को तुरन्त कार्यभार ग्रहण करने के लिए लिखा गया है ।

जब तक उपरोक्त लोगों के मामले में अंतिम रूप से कार्यवाही नहीं हो जाती तब तक अन्य कोई कार्यवाही करना उचित नहीं है ।

परिवार कल्याण शिक्षक संघ के महामन्त्री का स्थानान्तरण एवं प्रसार शिक्षकों की वरिष्ठता सूची

*३३--श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण शिक्षक संघ के महामन्त्री को जिला प्रसार शिक्षक के पद से जनपदीय वरिष्ठता के आधार पर हटाया गया यद्यपि अभी तक वरिष्ठता की सूची बनी ही नहीं है ? क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि अभी तक कितने जनपद ऐसे हैं जहां कनिष्ठ प्रसार शिक्षक, जिला प्रसार शिक्षक या स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, जिला प्रसार शिक्षक तथा खण्ड प्रसार शिक्षक के पद एक ही वेतनमान के हैं । राज्य परिवार कल्याण अधिकारी ने प्रसार शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेशों में जिला अधिकारियों को यह आदेशित किया है कि वे अपने विवेकानुसार अपने जनपद में प्रसार शिक्षकों की ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर खण्ड प्रसार शिक्षक/जिला प्रसार शिक्षक के पदों पर तैनाती करें ।

परिवार कल्याण विभाग के प्रसार शिक्षकों और समाज शास्त्रीय प्रसार शिक्षकों के कार्य की विवेचना

*३४--श्री विद्या शंकर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शासन परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से सफल बनाना चाहता है ? यदि हां, तो समाज शास्त्रीय प्रसार शिक्षकों के कार्यों की विवेचना इस बदलते कार्यक्रम में की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां । सभी प्रसार शिक्षक एक ही प्रसार का कार्य करते हैं । समाज शास्त्रीय प्रसार शिक्षकों के कार्य में कोई भिन्नता नहीं है । अतः इनके कार्यों की अलग से विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है ।

रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों की आयु-सीमा में छूट दिये जाने की मांग

*३५--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीयन अवधि में रोजगार प्राप्त न कर सकने पर ओवर-एज हो जाने वाले बेरोजगारों को पंजीयन अवधि की आयु-सीमा में छूट देने पर विचार करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी नहीं ।

राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों का कनवेयेन्स एलाउन्स

*३६—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत परिषद् के अधिकारियों को २२५ रु० प्रतिमाह कनवेन्स भत्ता दिया जाता है जबकि अन्य विभागों में ऐसा भत्ता देने के प्राविधान नहीं है और ऐसा भत्ता देने से परिषद् पर करीब १ लाख रुपया धनराशि व्यय प्रतिवर्ष व्यय करनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

हरदुआगंज, ओबरा एवं पनकी के रसायनज्ञों को घरेलू उपयोग हेतु विद्युत की छूट

*३७—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

विधान सभा के प्रथम सत्र १९७८ के पांचवे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के क्रम में क्या विद्युत मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रसायनज्ञ को जिन्हे हरदुआगंज, ओबरा एवं पनकी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स की आवासीय कालोनियों में क्वार्टर आवंटित किए गए है, को घरेलू विद्युत उपयोग में २२ यूनिट प्रतिमाह की छूट से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां, रसायनज्ञों जिन्हे हरदुआगंज, ओबरा एवं पनकी पावर प्रोजेक्ट्स की आवासीय कालोनियों में क्वार्टर आवंटित किए गए हैं, को घरेलू विद्युत उपयोग में २२ यूनिट प्रतिमाह की छूट नहीं दी जाती है क्योंकि वे विद्युत सम्पूर्ति को निरन्तरता बनाए रखने के लिए उत्तर दायी नहीं हैं, और इस कारण उनको अपने आवासों पर पाइलट लाइट अनवरत जलती हुई नहीं रखनी पड़ती है ।

*३८—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[३रे गुरुवार के लिए स्थगित]

ग्राम रौसर, जिला शाहजहांपुर के विद्युतीकरण की मांग

*३९—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)

क्या विद्युत मन्त्री बतायगे कि ग्राम रौसर ब्लाक भावलखेड़ा जिला शाहजहांपुर में बिजली लगाए जाने के आदेश १९७७ में हुए थे ? क्या वह सही है कि कुछ ऐसे गांवों में बिजली लगाई जा चुकी है जिनमें ग्राम रौसर में बिजली लगाए जाने के फैसले के महीनों बाद फैसला लिया गया था ; यदि हां, तो बिजली लगाए जाने का क्राइटेरिया क्या है और उक्त गांव का अब तक विद्युतीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम रोसर का विद्युतीकरण वर्ष १९७८-७९ में किए जाने का प्राविधान है तथा आशा है कि इस ग्राम का विद्युतीकरण इस वर्ष के अन्त तक पूरा कर दिया जायेगा ।

यू० पी० स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लि० कताई मिल संडीला हरदोई में श्रमिक की मृत्यु एवं क्षतिपूर्ति प्रतिकर की मांग

*४०—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या श्रम मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि यू० पी० टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड कताई मिल सन्डीला, जिला हरदोई में वर्ष १९७७ में किसी श्रमिक कर्मचारी की मृत्यु काम करते समय मशीन से दबकर हुई थी ? क्या उसे प्रतिष्ठान की ओर से क्षतिपूर्ति कर प्रदान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि यह मृत्यु प्रतिष्ठान द्वारा कारखाना अधिनियम, १९४८ के प्राविधानों के उल्लंघन के फलस्वरुप हुई थी ? यदि हां, तो अधिनियम उल्लंघन के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां । दिनांक ६ अप्रैल, १९७८ को मेसर्स यू० पी० स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लि० कताई मिल संडीला जिला हरदोई में एक श्रमिक की मृत्यु मशीन में फंस जाने के कारण हुई थी । क्षतिपूर्ति दिलाये जाने के विषय में उप श्रमायुक्त कार्यालय, लखनऊ क्षेत्र द्वारा कार्यवाही की जा रही है । यह सही है कि श्रमिक की मृत्यु कारखाना अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन के कारण हुई जिसके लिए कारखाना प्रबन्धक के विरुद्ध चीफ जूडिसियल मजिस्ट्रेट, हरदोई के न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा चूका है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुरवल, जिला सीतापुर के चिकित्साधिकारी की अनधिकृत अनुपस्थिति एवं वेतन का भुगतान

*४१—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुरवल, जनपद सीतापुर के चिकित्साधिकारी दिसम्बर, १९७७ से जुलाई, १९७८ तक कितने दिन अस्पताल में उपस्थित रहे ? अस्पताल से जिन दिनों डाक्टर अनुपस्थित रहे क्या उन्हें उन दिनों का वेतन दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुरवल, जनपद सीतापुर का कुछ रिकार्ड तथा आलमारियां वर्ष १९७६ में सील करा दी गयी थीं ? यदि हां, तो इन आलमारियों को न खोलने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुरवल, जनपद सीतापुर के चिकित्साधिकारी दिसम्बर, ७७ से जुलाई, ७८ के मध्य ६४ दिन अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे ।

अपने वेतन के आहरण हेतु उक्त डाक्टर स्वयं सक्षम थे । उन्होंने उक्त दिनों का वेतन भी आहरित कर लिया है ।

एक आलमारी में कुछ रेकर्ड बन्द हैं, जिसकी एक चाबी श्री सी० पी० वर्मा, लेखा लिपिक जो इस समय निलम्बित हैं तथा दूसरी चाबी तत्कालीन चिकित्साधिकारी जो अब शासन की सेवा में नहीं हैं, के पास होने के कारण आलमारी खोली नहीं जा सकी है । उसे खोलने की कार्यवाही की जा रही है ।

जल निगम मुख्यालय, लखनऊ के गाड़ियों पर पेट्रोल का खर्च

*४२—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री की जानकारी है कि जल निगम, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय लखनऊ में अप्रैल, १९७७ से मार्च, १९७८ तक अनियमित रूप से लाग-बुक में इन्ट्री करके केवल लोकल (लखनऊ) चलने में ही नब्बे हजार (९०,०००) रुपय का पेट्रोल सरकारी वाहन पर खर्च हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को गबन आरोप में दंडित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

प्रश्नगत अवधि में स्थानीय यात्राओं के लिए पेट्रोल पर कुल रु० ६६,८६४·३३ का व्यय हुआ । गाड़ियों का नियमित प्रयोग सरकारी कार्य हेतु किया गया है तथा प्रविष्टियां भी लाग बुक में की गयी है । अतः जांच कराने या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*४३—श्री सोनपाल उर्फ सोहन लाल पिपल—

[माननीय सदस्य का निर्वाचन अवैध घोषित होने के कारण हटा दिया गया ।]

देवरिया जिले की भटनी टाउन एरिया के अस्पताल के भवन निर्माण की मांग

*४४—श्री राजमंगल तिवारी (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में भटनी टाउन एरिया में सरकारी अस्पताल के भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध हो गई है ? यदि नहीं, तो भूमि उपलब्ध करने के लिए सरकार या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवरिया कौन सी कार्यवाही कर रहे है ? भवन निर्माण का कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं । धनाभाव के कारण यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करना कब तक सम्भव होगा । आय व्ययक में भवन निर्माण हेतु धन उपलब्ध हो जाने के पश्चात ही भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जायगी ।

राज्य विद्युत परिषद मुख्यालय, लखनऊ के प्रवर वर्ग सहायकों की प्रोन्नति एवं अनुसूचित जाति के प्रवर वर्ग सहायक

*४५—श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर), श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ) तथा श्री कैलाश नाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

प्रथम सत्र १९७८ के चौथे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद के मुख्यालय शक्ति भवन, लखनऊ में कार्यरत सामान्य जाति के प्रवर वर्ग सहायकों में से किसी को ७ वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण न करने पर भी अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति परिषद द्वारा कर दी गई थी ? यदि हां, तो कितनों को और पदोन्नति दिये जाने का क्या आधार था ? यदि सामान्य जाति के प्रवर वर्ग

सहायकों को वांछित अर्हता एवं ७ वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किए बिना ही पदोन्नति दी जा सकती है तो अनुसूचित जाति के प्रवर वर्ग सहायकों की पदोन्नति के लिए इस अर्हता को क्यों आवश्यक माना गया है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

वर्ष १९७४ से १९७६ तक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद मुख्यालय में कार्यरत सामान्य जाति के ५ प्रवर वर्ग सहायकों को सात वर्ष की सेवा पूरी होने के पूर्व पूर्णतया अस्थायी रूप से तदर्थ व्यवस्थाओं में अनुभाग अधिकारी के पदों पर प्रोन्नत किया गया। यह ५ प्रवर वर्ग सहायक सबसे ज्येष्ठ थे और अस्थायी रूप से केवल तदर्थ व्यवस्था में उन्हें पदोन्नत किया गया था। इन सभी सहायकों की सेवा अब सात वर्ष से अधिक हो चुकी है।

अनुसूचित जाति के सबसे ज्येष्ठ प्रवर वर्ग सहायक सितम्बर, १९७२ से कार्यरत हैं और उस समय उनका अनुभव अत्यन्त कम था।

राज्य विद्युत परिषद में सहायक अभियन्ताओं की भर्ती एवं अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा जाति का आरक्षण

*४६—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा दिसम्बर, १९७६ में २०० विद्युत सहायक अभियन्ताओं के भर्ती हेतु प्रतियोगितात्मक परीक्षा ली गयी थी और परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या उसमें पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण प्रदान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां, परिषद ने २०० सहायक अभियन्ताओं (विद्युत) की भर्ती हेतु एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा वर्ष दिसम्बर, १९७६ में आयोजित कराई थी एवं परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार २५ जून से १७ अगस्त, १९७७ तक किया। इसके फलस्वरूप कुल १३१ विद्युत सहायक अभियन्ताओं का चयन किया गया।

आरक्षित पदों के विरुद्ध अनुसूचित जाति के जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में १० प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे, उन्हें साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। केवल ४ अभ्यर्थी ही साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए थे और उनमें से ३ अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

जहां तक पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण का प्रश्न है, संबंधित शासनादेश दिनांक २० अगस्त, १९७७ में यह निर्देश था कि इनके लिए १५ प्रतिशत आरक्षण उन चयनों पर लागू नहीं होंगे जिनके संबंध में प्रतियोगितात्मक परीक्षा प्रारम्भ या पूर्ण हो गई हो अथवा साक्षात्कार प्रारम्भ या पूर्ण हो गया हो। चूंकि परिषद में सहायक अभियन्ता पद हेतु लिखित परीक्षा दिसम्बर, १९७६ को ही पूर्ण हो गई थी तथा साक्षात्कार १७ अगस्त, १९७७ तक समाप्त हो चुका था, अतः उक्त चयन में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का कोई प्रश्न नहीं था।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में कर्मचारियों की पदोन्नति एवं अनुसूचित जाति का आरक्षण

*४७---श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या १३फ-/४२७/६०/६१८८, दिनांक ५ अगस्त, १९७८ के द्वारा मुख्यालय के जिन विभिन्न १२ पदों पर पदोन्नतियां की गयीं उनमें अनुसूचित जाति के आरक्षित रिक्ति पर क्या किसी दूसरे वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण के आधार पर पदोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह---

जी हां ।

विभिन्न पदों पर जो पदोन्नतियां की गई उनमें विभागीय चयन समिति द्वारा अनुसूचित जाति का कोई भी अभ्यर्थी प्रोन्नति हेतु पात्र नहीं पाया गया ।

जिला चिकित्सालय, बस्ती में भौतिक चिकित्सक के पद के सृजन की मांग

*४८---श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दो पत्र मुख्य मन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री को फरवरी, १९७७ तथा अगस्त, १९७८ में इस आशय के प्राप्त हुए हैं कि जिला चिकित्सालय, बस्ती में भौतिक चिकित्सक के पद का सृजन करने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो अब तक उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह---

जी हां, जिला चिकित्सालय बस्ती में भौतिक चिकित्सक के पद का सृजन करने के संबंध में माननीय सदस्य का मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक ३ फरवरी, १९७८ तथा मुझको सम्बोधित पत्र दिनांक २८ अगस्त, १९७८ प्राप्त हुआ था । प्रदेश के अन्य अस्पतालों के साथ साथ जिला चिकित्सालय, बस्ती में भी भौतिक चिकित्सक के पद के सृजन का मामला शासन के विचाराधीन है ।

*४९-५०---श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[३रे गुरुवार के लिए स्थगित ।]

*५१---श्री राम आसरे वर्मा--

[३१-८-७८ को अतारांकित प्रश्न संख्या २५ द्वारा उत्तरित]

राज्य विद्युत परिषद में अनुसूचित जाति के सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नति

*५२---श्री शिव प्रसाद---

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में १ अप्रैल, १९७३ से ३१ अगस्त, १९७८ तक कितने सहायक अभियन्ता (विद्युत) को अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) के पद पर पदोन्नति दी गई और उनमें कितने स्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के आरक्षित कोटे के अनुसार दिया गया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में दिनांक १ अप्रैल, १९७३ से ३१ अगस्त, १९७८ तक हुए विभिन्न चयनों में कुल ४४६ सहायक अभियन्ता (विद्युत) को अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) के पद पर पदोन्नति दी गयी। उनमें से १२ स्थान पात्रता के क्षेत्र में आने वाले कुल उपलब्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के सहायक अभियन्ताओं (विद्युत) द्वारा भरे गये।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में सीनियर आडिटर का अनुसूचित जाति का रिक्त पद

*५३--श्री बिहारी लाल हंस--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में सीनियर आडिटर के ९ पदों में एक पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की पदोन्नति के कारण रिक्त हुआ था ? यदि हां, तो इस पद पर शासनादेश सं० ४-एस० सी०/११-बी-३०२-६४, दिनांक १८ फरवरी, १९६४ के अनुसार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की पदोन्नति क्यों नहीं की गई, जबकि उक्त वर्ग का आरक्षण प्रतिशत शून्य है ? क्या इस आरक्षित पद को अनारक्षित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या शासनादेशानुसार शासन के राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग से पूर्व अनुमति ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां।

प्रश्न गत पद पर प्रोन्नति का विषय विचाराधीन है।

इस पद को अनारक्षित करने की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अतः राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग को अनुमति लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री बी० डी० जोशी, कम्पाउन्डर, श्री दयाल गिरी, बेसिक हेल्थ वर्कर और कुमारी माधो भण्डारी, ए० एन० एम० के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*५४--श्री प्रताप सिंह पुष्पवान--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २१ अगस्त, १९७८ को गरुड-बैजनाथ की जनता ने एक शिकायती-पत्र श्री बी० डी० जोशी, कम्पाउन्डर श्री दयाल गिरी, बेसिक हेल्थ वर्कर एवं कु० माधो भण्डारी, ए० एन० एम० के विरुद्ध दिया था जिसकी प्रतिलिपि अतिरिक्त निदेशक (पर्वतीय) उत्तर प्रदेश को भी दी गयी थी ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, किन्तु यह शिकायती पत्र दिनांक २० अगस्त, १९७८ का है न कि २१ अगस्त, १९७८ का। जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने शिकायत की है। जांच से आरोप सिद्ध नहीं हुए। जनहित में तीनों कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

अतारांकित प्रश्न

सरैया (सरदार नगर) गोरखपुर के मजीठिया परिवार के फार्म मजदूरों द्वारा धरना व प्रदर्शन

१—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरैया (सरदार नगर) गोरखपुर के मजीठिया परिवार से सम्बन्धित फार्म के मजदूरों ने जुलाई, १९७८ के दूसरे सप्ताह में धरना एवं प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ? उन्हें पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

सरैया (सरदार नगर) गोरखपुर के मजीठिया परिवार से सम्बन्धित फार्म के मजदूरों ने ७ जुलाई, १९७८ से धरना व प्रदर्शन किया था । मजदूरों की मुख्य मांग बकाया मजदूरी का भुगतान किये जाने से सम्बन्धित थी । श्रम विभाग के प्रयास से दोनों पक्षों में दिनांक ११ जुलाई, १९७८ को समझौता हो गया । समझौता सम्पन्न होने के पश्चात् तुरन्त वेतन वितरण प्रारम्भ करा दिया गया था । उपलब्ध सूचना के अनुसार मजदूरों को अक्तूबर, १९७८ तक वेतन का भुगतान हो चुका है ।

गोरखपुर जिले के ग्राम भोटी व मिर्जापुर में अस्पताल की स्थापना की मांग

२—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि ग्राम भोटी, ब्लाक पिपरौली, ग्राम मिर्जापुर, ब्लाक खोराबार, गोरखपुर में सरकारी अस्पताल खोलने के विषय में जून-जुलाई, १९७८ तथा इससे पूर्व भी कोई ज्ञापन पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या किया जा रहा है ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां । प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में नए औषधालयों की स्थापना विषयक प्राविधान के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के ग्रामों में राजकीय अस्पताल खोलने का मामला शासन के विचाराधीन है । शासन द्वारा निर्धारित मापदन्डों के अनुसार उपयुक्त पाए जाने वाले स्थानों पर नए चिकित्सालय स्थापित किए जा सकेंगे ।

सीतापुर जिले में मद्यनिषेध लागू किये जाने की मांग

३—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र मास अप्रैल, १९७८ में इस आशय का मिला कि सीतापुर जिले में मद्य निषेध लागू कर दिया जाय ? यदि हां, तो इस बारे में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

भारत सरकार के निदेशानुसार क्रमबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने क्षेत्रवार मद्यनिषेध लागू किये जाने का निर्णय अप्रैल, १९७८ से पूर्व कर लिया था और १ अप्रैल, १९७८ से लागू किये गये मद्य निषेध कार्यक्रम के प्रथम चरण में

५ पर्वतीय जिलों के अतिरिक्त जिन ७ अन्य जिलों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किये जाने की व्यवस्था की गयी थी उनमें सीतापुर जिला सम्मिलित नहीं किया जा सका था ।

विकास खंड परसेन्डी व खैराबाद के क्षेत्र के विद्युतीकरण की मांग

४—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में विकास खंड परसेन्डी एवं खैराबाद में ग्रामीण विद्युतीकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना के कार्यान्वयन की प्रगति क्या है तथा क्षेत्र का विद्युतीकरण कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

सीतापुर जनपद में खैराबाद एवम् परसेन्डी विकास खंडों के लिये एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है तथा आशा है कि यह योजना चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हो जायेगी । चूंकि योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है; अतः इसके अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को आरम्भ करने का अभी प्रश्न नहीं उठता । योजना की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद प्रस्तावित समस्त कार्यों को पांच वर्ष की अवधि में पूरा करने का लक्ष्य है ।

डाइरेक्टर जनरल आफ सप्लाइज एन्ड डिस्पोजल, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित प्रदेश के औषधि निर्माता

५—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग द्वारा इस आशय का प्रतिबन्ध लगाया गया है कि (निदेशक, चिकित्सा सेवा के पत्र सं० एफ/क्रय/टी-२२३/७७ ७८/६६०, दिनांक २० अप्रैल, १९७८) प्राण रक्षक और खतरनाक औषधियों तथा इन्फ्यूजन फ्लूइड्स उन्हीं औषधि निर्माताओं से क्रय किए जायेंगे जो डाइरेक्टर जनरल आफ सप्लाई एन्ड डिस्पोजल, नई दिल्ली द्वारा उच्च श्रेणी की औषधि की पूर्ति हेतु अनुमोदित हों ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की अनुमोदित औषधि निर्माता (फैक्ट्रीज) कौन-कौन हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां । इस समय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित औषधि निर्माता डाइरेक्टर जनरल आफ सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल नई दिल्ली से अनुमोदित हैं :—

१—श्रीमन्त इमसन एण्ड को० गाजियाबाद ।
२—श्रीमन्त हिन्द केमिकल लि० कानपुर ।
३—श्रीमन्त जय केमिकल्स इन्डस्ट्रीज, कानपुर ।
४—श्रीमन्त नार्दन इन्डिया केमिकल वर्क्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मेरठ ।
५—श्रीमन्त हिमालया ड्रग्स कम्पनी, कानपुर ।
६—श्रीमन्त सुपर स्टैन्डर्ड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, अलीगढ़ ।
७—श्रीमन्त न्यू इन्टर नेशनल केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, लखनऊ ।
८—श्रीमन्त स्विको फार्मास्यूटिकल्स देहरादून (ट्रायल बेसिस पर) ।

प्रदेश के भवन विहीन राजकीय एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, एवं यूनानी अस्पताल

६—श्री शिव प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं जिनके पास सरकारी चिकित्सालय भवन नहीं हैं ? क्या इनके भवनों के निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री कल्याण सिंह—

वांछित सूचना निम्नवत् है :—

(क) १—राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय-७९७ ।

२—राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय-२१७ ।

३—एलोपैथिक चिकित्सालयों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना काल में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण हेतु २० लाख रुपये का प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव है । इस धनराशि से लगभग ८ चिकित्सालय-भवन निर्माण किये जा सकेंगे । होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिये सरकारी भवनों के निर्माण की कोई योजना वर्तमान में नहीं है।

मलेरिया विभाग के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों की ज्येष्ठता सूची

७—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मलेरिया अनुरक्षण प्रावस्था में कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों की ज्येष्ठता सूची अभी तक क्यों नहीं बनाई गई जबकि यह लोग वर्ष १९६५ से कार्यरत हैं ? शासन ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह—

मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया अनुरक्षण प्रावस्था तथा उन्मूलन प्रावस्था में कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची प्रसारित की जा चुकी है । मलेरिया अनुरक्षण प्रावस्था के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों की पृथक् ज्येष्ठता सूची बनाये जाने का प्रश्न नही उठता ।

देवरिया जिले के ग्राम शिवपुर व बसन्तपुर में अस्पताल खोलने की मांग

८—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के ग्राम शिवपुर, बसन्तपुर में कोई अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो एक अस्पताल खोलने में सरकार के सामने कौन-कौन सी कठिनाइयां हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां, प्रश्नगत स्थान अलग-अलग ग्राम हैं उपर्युक्त दोनों में से किसी भी ग्राम में अस्पताल खोलना सम्भव नहीं है; क्योंकि ग्राम शिवपुर में उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं है जबकि ग्राम बसन्तपुर के आस पास पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान लिपिक के पद पर प्रोन्नति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का आरक्षण

९--श्री शिव प्रसाद--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् १९७३ से १५ सितम्बर, १९७८ तक स्वास्थ्य विभाग में प्रधान लिपिक के पद पर कितनी पदोन्नतियां की गयीं ? उनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के पदोन्नति में आरक्षित कोटे की पूर्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या वर्तमान रिक्त पदों पर पदोन्नति देकर आरक्षित कोटे की पूर्ति करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रश्नगत अवधि में कुल ७२ प्रधान लिपिक के पदों पर पदोन्नतियां की गयी हैं, उनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति में आरक्षित कोटे की पूर्ति नहीं की जा सकी । वर्तमान रिक्त पदों पर नियमानुसार पदोन्नति देकर आरक्षित कोटे की पूर्ति का प्रयास किया जायेगा ।

उप मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का अधिकारी

१०--श्री शिव प्रसाद--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उप मुख्य चिकित्साधिकारी पदों पर १९७३ से १५ सितम्बर, १९७८ तक कितने लोगों को पदोन्नति की गयी है ? उनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कितने चिकित्सकों की पदोन्नति की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह--

वर्ष १९७३ से १५ सितम्बर, १९७८ तक पी० एम० एच० एस० सीनियर स्केल में (जिसमें उप मुख्य चिकित्साधिकारी भी शामिल है) कुल ४३५ अधिकारियों की पदोन्नति की गई है, जिनमें एक अनुसूचित जाति का अधिकारी है तथा अनुसूचित जन जाति का कोई भी अधिकारी नहीं है ।

नगरपलिकाओं के गैंग मैनों का वेतन-क्रम

११--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार नगर-पालिकाओं में कार्यरत गैंगमैनों को सा० नि० विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बराबर वेतन तथा अन्य सुविधाएं देने के बारे में विचार कर रही है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग द्वारा समस्त पालिकाओं में कार्यरत गैंगमैनों की संख्या तथा उनको दिये जाने वाले वर्तमान वेतन आदि की वांछित सूचना प्राप्त हो जाने पर निर्णय यथाशीघ्र लिया जायेगा ।

ग्वालदम, जिला चमोली स्थित फ्रन्टियर एकेडमी के पम्प हाउस का निर्माण एवं ठेकेदार श्री रमेश आर्य का भुगतान

१२—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री रमेश आर्य पुत्र श्री दौलतराम, ग्राम घेटी, पो० आ० गंगोली, जिला अल्मोड़ा द्वारा जो वर्ष १९७३-७४ में ग्वालदम, जिला चमोली स्थित फ्रन्टियर एकेडमी के प्रयोजनार्थ पम्प हाउस का निर्माण कार्य रु० ७,००० के पीस वर्क पर कराया गया था और इस हेतु १० प्रतिशत के हिसाब से रु० ७०० जमानत के रूप में जमा किया गया था तथा प्रश्नकर्ता द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक १३ जून, १९७८ को स्वायत्त शासन मंत्री को भी लिखा जा चुका है पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त धनराशि एवं जमानत का भुगतान कब तक किया जायेगा और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

औषधि निर्माण संस्थान में आबकारी निरीक्षक की कथित नियुक्ति

१३—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि प्रत्येक अनुबन्धित (बान्डेड) औषधि निर्माण संस्थान में एक आबकारी निरीक्षक की नियुक्ति अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले में ऐसी औषधि निर्माण कम्पनियां कितनी हैं जहां पर इस प्रकार के आबकारी इन्सपेक्टरों की नियुक्ति नहीं है ? नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जे० के० जूट मिल, कानपुर के निकाले गये कर्मचारी

१४—श्री बाबू राम शुक्ल—

क्या श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आपातकालीन स्थिति के दौरान वर्ष १९७४ के बोनस के विषय को लेकर जे० के० जूट मिल, कानपुर के श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच हुए विवाद के परिणामस्वरूप प्रबन्धकों ने आपात स्थिति का लाभ उठाकर अक्तूबर, १९७५ में मिल के १५ कर्मचारियों को नौकरी से पृथक कर दिया था ? यदि हां, तो निकाले गए कर्मचारियों के नाम क्या है ? क्या श्रम मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शासन नीति के अनुसार इन कर्मचारियों को अब तक नौकरी में वापस न लिए जाने का क्या कारण है ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

जी हां, निकाले गये कर्मचारियों के नाम निम्नलिखित हैं :—

१—श्री चन्द्र बली

२—श्री महेन्द्र

३—श्री राज नारायण

४—श्री जगन्नाथ

५—श्री अब्दुल रहीम

६—श्री बांके बिहारी

७—श्री बृज लाल

८—श्री मोहम्मद सईद

९—श्री राम ललक राय

१०—श्री मेंहदी हसन

११—श्री राधे श्याम

१२—श्री दीनानाथ

१३—श्री कुद्दूस

१४—श्री हीरा लाल

१५—श्री हलीमुल्लाह

जहां तक इनको नौकरी में वापस न लिए जाने का मामला है, इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि दो कर्मचारियों (श्री राज नारायण तथा श्री जगन्नाथ) को जुलाई, १९७७ में ही कार्य पर वापस ले लिया गया था। दो कर्मचारी (श्री चन्द्र बली तथा श्री महेन्द्र) अपना चुकता हिसाब लेकर चले गये हैं। एक कर्मचारी (श्री अब्दुल रहीम) की मृत्यु हो गई है। शेष १० कर्मचारियों के मामले श्रम न्यायालय (१) कानपुर में अभिनिर्णय हेतु विचाराधीन हैं।

बदायूं जिले के विकास खण्ड उझानी व कादरचौक के ग्रामों का विद्युतीकरण

१५—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद में उझानी विकास खण्ड एवं कादर चौक विकास खण्ड में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है एवं वर्ष १९७८–७९ में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण करने की योजना है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

बदायूं जनपद के विकास खण्ड उझानी में २८ तथा विकास खण्ड कादरचौक में ११ ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इन ३९ ग्रामों का विद्युतीकरण एल० टी० मिन्स द्वारा वर्ष १९७७–७८ के अन्त तक किया जा चुका था।

वर्ष १९७८–७९ में इन विकास खण्डों में किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण करने की योजना नहीं है। इसका कारण परिषद् द्वारा लागू नियम के अनुसार अनुमानित लागत पर निर्धारित (१० प्रतिशत) प्रति लाभ प्राप्त न होना है।

फैजाबाद जिले की टाउन एरिया जलालपुर को नगरपालिका बनाये जाने की मांग

१६—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में स्थित टाउन एरिया जलालपुर और गांव सभा नगपुर को मिला कर जलालपुर नगरपालिका बनाने की सिफारिश कुछ वर्ष पूर्व तत्कलीन मंडलायुक्त श्री जी० पी० पाण्डे ने की थी ? यदि हां, तो जलालपुर टाउन एरिया और नगपुर गांव सभा को मिलाकर जलालपुर नगरपालिका घोषित करने में सरकार को क्या कठिनाई है और उक्त क्षेत्र के विकास की सम्भावनाओं को बढ़ाने और क्षेत्र की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार शीघ्र ही जलालपुर को नगरपालिका घोषित करेगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

तत्कालीन आयुक्त फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद श्री जी० पी० पाण्डेय ने अपने पत्र दिनांक ३ अक्तूबर, १९७२ द्वारा टाउन एरिया जलालपुर तथा ग्राम सभा नगपुर को मिलाकर जलालपुर नगरपालिका बनाने की संस्तुति की थी।

उक्त सस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् उसी के अनुरूप नगरपालिका जलालपुर बनाने के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या ४१४८/११-३-२७६(१)/७२, दिनांक १४ दिसम्बर, १९७३ जारी की गई थी।

किन्तु टाउन एरिया जलालपुर तथा ग्राम सभा नगपुर द्वारा उसके विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की गईं। विचारोपरान्त प्रस्तावित जलालपुर नगरपालिका बनाये जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

फैजाबाद जिले में स्टेडियम निर्माण हेतु जमा की गयी धनराशि

१७-१८—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

द्वितीय सत्र १९७८ के तीसरे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद में स्टेडियम बनाने के लिए कुल कितने रुपए कब से जमा हैं और ब्याज सहित यह धनराशि इस समय कितनी हो चुकी है ?

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद में खेलकूद के लिए स्टेडियम बनाने हेतु आज तक किन-किन जमीनों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया और यदि शहर में जमीन नहीं मिल रही है तो क्या सरकार जिले के अन्य प्रमुख शहरों अथवा केन्द्रों जैसे गोसाईगंज, अकबरपुर, जलालपुर, टाण्डा, बीकापुर आदि के पास जमीन अधिगृहीत करके उक्त स्टेडियम को शीघ्र बनवाने की कृपा करेगी या इस जिले से ही स्टडियम की योजना को हटाने का सरकार का इरादा है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मण्डलीय क्रीड़ा परिषद्, फैजाबाद को भतपूर्व उत्तर प्रदेश क्रीड़ा परिषद् द्वारा रुपये एक लाख १४ फरवरी, १९६४ को दिया गया था जो रकम अब ब्याज सहित ३० सितम्बर, १९७८ को एक लाख सत्तानबे हजार उन्नासी रुपया और नवासी पैसे (रु० १,९७,०७९.८९) हो चुकी है।

(श्री रवीन्द्र किशोर शाही)--

स्टेडियम के लिए निम्न जमीनों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया :

१--गुलाब बाड़ी क्षेत्र

२--राजकीय इन्टर कालेज

३--कैन्टोनमेन्ट एरिया

४--सिविल लाइन्स

५--लखनऊ-फैजाबाद रोड पर सरकिट हाउस के निकट रक्षा मंत्रालय की भूमि ।

६--वक्फ बोर्ड की भूमि ।

स्पोर्ट्स विभाग की नीति के अनुसार स्टेडियम के लिये निःशुल्क भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है । सम्प्रति स्टेडियम मुख्यालय में ही निर्माण किये जाने है ।

शासन का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि फैजाबाद से स्टेडियम की योजना को हटा दिया जाय ।

गोरखपुर जिले में क्षय रोग के रोगियों के उपचार हेतु क्षय नियंत्रण केन्द्र की स्थापना

१९--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय गोरखपुर मण्डल में क्षय रोग (टी० बी०) से कितने लोग पीड़ित है और उनके बचाव तथा क्षय रोग के भीषण प्रसार को रोकने की कौन सी व्यवस्था की जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह--

गोरखपुर मण्डल के क्षय रूजालयों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक ३१ अक्तूबर, १९७८ तक क्षय रोग से पीड़ितों की संख्या ९१,५१२ है।

क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को घरेलू चिकित्सा उपचार प्रदान करने हेतु मण्डल के प्रत्येक जनपद के मुख्यालय पर जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र स्थापित है तथा उनसे एक-एक बी० सी० जी० टीका दल सम्बद्ध है, जो क्षय रोग से बचाव के लिये २० वर्ष तक के लोगों को टीका लगाते हैं । इसके अतिरिक्त महाराजगंज (गोरखपुर), पड़रौना (देवरिया), मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) तथा खलीलाबाद (बस्ती) में एक-एक क्षयरु जालय भी स्थापित हैं ।

प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की कथित योजना

२०--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना इस सत्र में शासन के विचाराधीन है तथा ये स्वास्थ्य केन्द्र कब तक खोल दिए जायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह--

इस प्रकार की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

विद्युत् वितरण खण्ड, फर्रुखाबाद के प्रवर अभियन्ता का स्थानान्तरण

२१—श्री राम बक्श (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एक प्रवर अभियन्ता, विद्युत् वितरण खण्ड, फर्रुखाबाद को एक ही स्थान पर कार्य करते हुए पांच वर्ष से अधिक हो गए हैं और उन पर श्री आर० के० शर्मा, पाण्डुलिपिक को २६ मई, १९७८ को पीटने का गम्भीर आरोप है तथा जांच समिति की संस्तुति पर ही उनका १८ जुलाई, १९७८ को स्थानान्तरण आदेश इस आशय के साथ किया गया था कि उन्हें इस स्थान से अविलम्ब हटाया जाय ? यदि हां, तो किन कारणों से उनके स्थानान्तरण आदेश को दो बार स्थगित (स्टे) किया गया और उन्हें वहां से अभी तक क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां । किन्तु प्रशासनिक हित में उनका स्थानान्तरण आदेश मात्र एक बार दो माह के लिये स्थगित किया गया था । उन्हें दिनांक नवम्बर १०, १९७८ को फर्रुखाबाद से कार्यमुक्त (रिलीव) किया जा चुका है ।

फैजाबाद जिले के पहितीपुर में होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी के निर्माण की मांग

२२—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

द्वितीय सत्र १९७८ के तीसरे गुरुवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील के पहितीपुर (औरंगनगर) बाजार में राजकीय होम्योपैथिक डिस्पेंसरी खोलने के प्रश्न पर विचार करके शासन द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया गया है ? यदि हां, तो यह डिस्पेंसरी कब से कार्य करना शुरू कर देगी ? यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए क्या सरकार शीघ्र ही इस बारे में निर्णय लेकर डिस्पेंसरी को खोलने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं । ग्राम पहितीपुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक राजकीय होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी खोले जाने पर विचार किया जायेगा ।

प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी की योजना

२३—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या आबकारी मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी कब से लागू की जायगी ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

पूरे प्रदेश में १ अप्रैल, १९७९ से पूर्ण मद्य निषेध लागू किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

प्रदेश के एलोपैथिक चिकित्सालयों को दवाओं की आपूर्ति

२४—श्री शिव प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७७-७८ एवं १९७८-७९ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न एलोपैथिक चिकित्सालयों में कितनरा कि धी

(श्री शिव प्रसाद)—

की दवाएं उप निदेशक (ड्रग), लखनऊ द्वारा या लखनऊ मुख्यालय द्वारा सप्लाई की गई है और कितनी धनराशि की दवाइयां मुख्य चिकित्साधिकारियों, चिकित्सालय अधीक्षकों द्वारा क्रय की गयी हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

२५—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[४थे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बस्ती जिले के चिकित्सा कार्यालय के प्रधान लिपिक, श्री आर० पी० राय का स्थानान्तरण

२६—श्री दयाराम भास्कर—

द्वितीय सत्र १९७८ के दिनांक २४ अगस्त, १९७८ के नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी को जानकारी है कि दिनांक १ सितम्बर, १९७७ के नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या ४ से सम्बन्धित दोनों कर्मचारी जो बस्ती के एक ही कार्यालय में कार्यरत थे, को गोरखपुर में नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

सदन में दिये गये आश्वासन के अनुसार श्री आर० पी० राय, प्रधान लिपिक, का स्थानान्तरण बस्ती से गोरखपुर श्री एम० पी० यादव, प्रधान लिपिक के सेवा निवृत्त होने के कारण रिक्त पद पर फरवरी, १९७८ में किया गया था । श्री राम कृपाल लाल लिपिक को वार्षिक स्थानान्तरण के समय श्री जे० पी० राय के गोरखपुर से बस्ती स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप गोरखपुर में समायोजित किया गया ।

बस्ती जिले की सदर तहसील में निजी नलकूपों के काटे गये विद्युत् कनेक्शन

२७—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या विद्युत् मन्त्री को जानकारी है कि बस्ती जनपद की प्रापर तहसील में दिनांक १५ नवम्बर, १९७४ से ३१ मार्च, १९७५ के मध्य किन-किन काश्तकारों के निजी नलकूपों का कनेक्शन स्थायी रूप से काटा गया तथा कटे हुए कनेक्शन को निजी नलकूपों के लिए किन-किन काश्तकारों के नाम आवंटित किया गया था ? उक्त कनेक्शनों को काटने और नए काश्तकारों को कनेक्शन देने की तिथियां कौन-कौन सी हैं ? क्या यह सही है कि पुराने कनेक्शन काटने तथा नए कनेक्शन देने के मध्य की अवधि का भी बिजली का चार्ज किसानों से लिया जा रहा है ? यदि हां, तो वह रकम प्रति काश्तकार कितनी है और उसकी वसूली किस आधार पर की जा रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

बस्ती जनपद की प्रापर तहसील में दिनांक १५ नवम्बर, १९७४ से ३१ मार्च, १९७५ के मध्य १३ काश्तकारों के कनेक्शन स्थायी रूप से काटे गये थे, जिनकी सूची संलग्न है । इन कटे हुए कनेक्शनों में से संलग्न सूची के क्रमांक

९ पर अंकित श्री अवध बिहारी लाल, ग्राम बढ़या, पोस्ट कप्तानगंज, जिला बस्ती के कनेक्शन के स्थान पर जो दिनांक २२-२-७५ को स्थायी रूप से काटा गया था, श्री राम ओंकार तिवारी पुत्र श्री राम अवध तिवारी, ग्राम बढ़या, पोस्ट कप्तान गंज, जिला बस्ती को दिनांक २६-४-१९७८ को ५ अश्वशक्ति का नलकूप के लिए एक मात्र नया कनेक्शन दिया गया है, इस सम्बन्ध में पुराना कनेक्शन कटने की तिथि दिनांक २२-२-७५ तथा नये कनेक्शन देने की तिथि दिनांक २६-४-७८ के मध्य की अवधि का कोई बिजली का चार्ज किसी उपभोक्ता से नहीं लिया गया है ।

(देखिये नत्थी के आगे पृष्ठ २९५ पर)

बस्ती नगरपालिका द्वारा तारकोल की धनराशि का फर्जी भुगतान

२८--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती नगरपालिका द्वारा जाली फार्म के माध्यम से ८४,००० रुपए के तारकोल के नकद भुगतान करने सम्बन्धी घोटाले के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मन्त्री को जनवरी, १९७७ से मार्च, सन् १९७८ तक कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुए और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय क्षय रुजालयों के बी० सी० जी० टेक्नीशियन और हेल्थ विजिटरों के प्रार्थना-पत्रों का अग्रसारण

२९--श्री मंजूर अली खां तथा श्री मकबूल अहमद (जिला रामपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७५-७६ तथा १९७६-७७ में कितने बी० सी० जी० टेक्नीशियन तथा टी० बी० हेल्थ विजिटरों के प्रार्थना-पत्र अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु अग्रसारित करने के लिए प्राप्त हुए और उसमें से कितनों को अग्रसारित नहीं किया गया ? जिनको अग्रसारित नहीं किया गया, उनके क्या कारण थे ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रदेश के राजकीय क्षय रुजालयों में कार्यरत बी० सी० जी० टेक्नीशियनों तथा हेल्थ विजिटरों के अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु अग्रसारित करने के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का विवरण निम्न है ।

बी० सी० जी० टेक्नीशियन

वर्ष	कितने प्राप्त	कितने अग्रसारित
१९७५-७६	४	४
१९७६-७७	११	७

हेल्थ विजिटर

वर्ष	कितने प्राप्त	कितने अग्रसारित
१९७५–७६	२	२
१९७६–७७	२	२

उपरोक्त तालिका के आधार पर वर्ष १९७५–७६ तक प्राप्त सभी आवेदन–पत्रों को विभिन्न विभागों को अग्रसारित किया गया किन्तु वर्ष १९७७ में निदेशालय स्तर पर जन हितार्थ ४ प्रार्थना–पत्रों को अग्रसारित नहीं किया गया ।

एम० बी० बी० एस० के लिये अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का आवेदन–पत्र और उनका चयन

३०—श्री दयाराम भास्कर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७७–७८ में कुल कितने अभ्यर्थी एम० बी० बी० एस० के लिए आवेदन–पत्र दिये थे उसमें कितने प्रतिशत अनुसूचित व पिछड़ी जाति तथा अन्य जाति के थे ?

श्री कल्याण सिंह—

प्रदेश के छः राजकीय मेडिकल कालेजों तथा के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ की शैक्षिक वर्ष १९७७–७८ की एम० बी० बी० एस० प्रथम वर्ष की ७७९ सीटों पर प्रवेश के लिये गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित कराये गये कम्बाईन्ड प्री–मेडिकल टेस्ट में बैठने के लिये कुल १९,५७४ अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र दिया था । पिछड़ी जाति के लिये कोई सीट आरक्षित नहीं थी । अनुसूचित जाति तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों के प्रतिशत का विवरण संलग्न है ।

३०–ए—श्री दया राम भास्कर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त अभ्यर्थियों में से कुल कितनों का चयन किया गया, उसमें अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति को कितने प्रतिशत स्थान दिए गए तथा इस वर्ष अनुसूचित जाति का बकाया कोटा पूरा करने के लिए कितने प्रतिशत का चयन किया जायगा ?

श्री कल्याण सिंह—

कुल ७७९ सीटों के लिए ७७९ अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिनमें अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को ७.१ प्रतिशत सीटें मिलीं । पिछड़ी जाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी । अनुसूचित जाति/जनजाति की शेष सीटों को शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सामान्य पुरुष तथा सामान्य महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा चुका है । अतः उक्त श्रेणी की कोई सीट भरने हेतु शेष नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९६ पर ।)

आपात काल में सेवा मुक्त किये गये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी

३१---श्री ओंकार नाथ द्विवेदी (जिला हमीरपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि २५ जून, ११७५ से २१ मार्च, १९७७ तक की अवधि में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के अलग-अलग कितने कर्मचारी मुक्त किये गये ? इनमें रिटायर कितने हुए तथा आवश्यक सेवा मुक्त (कम्पलसरी रिटायरमेन्ट) कितने हुए तथा आपातकालीन स्थिति में अनुशासन आदि का अभियोग लगा कर कितनों की सेवायें समाप्त की गईं ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रश्नगत अवधि में स्वास्थ्य विभाग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के क्रमशः ८४२ और ४७५ कर्मचारी सेवा मुक्त हुये, जिनका प्रश्नानुसार विवरण निम्नवत् है :--

श्रेणी	सेवा निवृत	अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त	अनुशासन आदि के अभियोग में सेवा मुक्त
तृतीय	१२७	१५	७००
चतुर्थ	१७१	२५	२७९

बदायूं में स्टेडियम निर्माण की योजना

३२---श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या खेलकूद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं में स्टेडियम बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां ।

योजना के आरम्भ हेतु ६.२ एकड़ निःशुल्क भूमि की व्यवस्था हो जाने पर ।

जिला टिहरी गढ़वाल में डाक्टर विहीन एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक अस्पताल

३३---श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में किन-किन एलोपैथी अस्पतालों व आयुर्वेदिक अस्पतालों में और कब-कब से डाक्टर एवं वैद्य नहीं हैं और इसके कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह—

जिला टेहरी गढ़वाल के निम्न एलोपैथिक अस्पतालों में उनके सम्मुख लिखी तिथि से डाक्टर तैनात नहीं हैं :—

१—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कीर्तिनगर, अगस्त, १९७८ ।

२— तदेव पिलखो, जुलाई, १९७८ ।

३—राजकीय डिस्पेंसरी, देव प्रयाग, जुलाई, १९७८ ।

४— तदेव बक्सीर, जनवरी, १९७८ ।

५— तदेव पावकोदेवी, जुलाई, १९७८ ।

६— तदेव सेन डोयुगमाधार, जनवरी, १९७८ ।

७— तदेव कमन्ध, फरवरी, १९७८ ।

८— तदेव खरवारा, दिसम्बर, १९७८ ।

९— तदेव पौड़ीखाल, फरवरी, १९७८ ।

१०— तदेव छेकधार, जनवरी, १९७८ ।

११— तदेव थेगाधार म्यारहगांव, अप्रैल, १९७८ ।

१२— तदेव धन्तु, अप्रैल, १९७८ ।

१३— तदेव पनियाला, मई, १९७८ ।

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में डाक्टरों के पर्याप्त संख्या में पद रिक्त होने के कारण उक्त स्थानों पर डाक्टरों की तैनाती नहीं की जा सकी है ।

वर्तमान समय में सभी आयुर्वेदिक अस्पतालों में चिकित्साधिकारी तैनात हैं ।

बदायूं जिले के डाक्टर विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

३४—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनपर सरकारी भवन नहीं है एवं क्या निकट भविष्य में उनके भवनों को बनवाने की योजना है ?

श्री कल्याण सिंह—

बदायूं जनपद में ६ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जिनके पास सरकारी भवन नहीं है । इनके लिए सरकारी भवन निर्माण की कोई योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है ।

बदायूं नगर के व्यापारियों द्वारा सैम्पुल भरने सम्बन्धी दिया गया कथित ज्ञापन

३५—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बदायूं नगर के व्यापारियों ने जुलाई, १९७८ में सेम्पल भरने सम्बन्धी कुछ समस्याओं के सम्बन्ध में को

ज्ञापन उनकी सेवा में भेजा है ? यदि हां, तो वह ज्ञापन क्या है एवं शासन ने उसमें अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रश्नगत ज्ञापन प्राप्त हुआ नहीं पाया जाता । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

बदायूं जिले की जल सम्पूर्ति पुनर्गठन योजना

३६--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बदायूं नगर पालिका क्षेत्र में जल सम्पूर्ति योजना का पुनर्गठन किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा तथा इसमें कितना धन लगेगा ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां । बदायूं जल सम्पूर्ति पुनर्गठन योजना के प्राक्कलन विरचन का कार्य माह दिसम्बर, १९७८ तक पूर्ण किए जाने की आशा है । इस योजना की अनुमानित लागत लगभग १ करोड़ रु० होगी । प्राक्कलन बन जाने के पश्चात् इस योजना के निर्माण में लगभग २ १/२ से ३ वर्ष का समय लगेगा ।

एन्टी मलेरिया अधिकारी, प्रधान लिपिक सुड़ले एवं सीनियर मलेरिया इन्स-पेक्टर के विरुद्ध शिकायतों का जांच

३७--श्री रणवीर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि २२ अगस्त, १९७७ को एक प्रार्थना-पत्र एन्टी मलेरिया अधिकारी के शराब पीकर आफिस समय में प्रधान लिपिक सुड़ले एवं सीनियर मलेरिया इन्सपेक्टर के सम्बन्ध में दिया था उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या उक्त त्रिगुट ने वेतन बांटते समय कर्मचारियों को पूरा वेतन न देकर कम वेतन दिया ?

श्री कल्याण सिंह--

दिनांक २२ अगस्त, १९७७ की प्रश्नगत घटना की शिकायत की जांच मण्डलीय संयुक्त निदेशक, झांसी से कराई गई । जांच रिपोर्ट विचाराधीन है ।

फैजाबाद जिले के कस्बा टान्डा का डाक्टर विहीन महिला अस्पताल

३८--श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद के कस्बा टान्डा के जनाना अस्पताल में लगभग २ माह से कोई डाक्टर या नर्सिंग स्टाफ नहीं है जिससे जनता में बेचैनी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या डाक्टरों की शीघ्र व्यवस्था की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां । महिला अस्पताल टान्डा, जिला फैजाबाद में लगभग ४ माह से महिला डाक्टर नहीं थी । अब इस अस्पताल में महिला डाक्टर की तैनाती के आदेश कर दिये गये हैं । इस अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का पद स्वीकृत नहीं है ।

अलीगढ़ नगरपालिका के अधिकारी एवं कर्मचारियों को सफाई अभियान हेतु दिया गया पुरस्कार

३९—श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७५-७६ में शासन आदेशानुसार अलीगढ़ जिले की नगरपालिकाओं द्वारा सफाई अभियान चलाया गया था ? यदि हां, तो जिले की समिति ने किन-किन अधिकारियों के नाम वेतनवृद्धि अथवा अन्य पुरस्कार के लिये अच्छे कार्य के लिये शासन को भेजे थे ? क्या उन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही अब तक हुई ? यदि नहीं, तो कब तक होगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां । जिले की समिति द्वारा शासन को पुरस्कृत किए जाने के लिए कोई नाम नहीं भेजे गए । अतः शासन द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । जिला स्तर पर गठित समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २९७ पर)

अल्मोड़ा जिले के बागेश्वर क्षेत्र के कतिपय ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

४०—श्री पूरन चन्द्र—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो पत्र प्रश्नकर्ता ने २१ जनवरी, १९७८ को जिला अल्मोड़ा के बागेश्वर क्षेत्र के गरुड़ विकास क्षेत्र के ग्राम घेटी, मिलकोट, अमस्यारी, हरिनगरी, कुलाऊ, परकोटी, पिगलू मगड़ी जखेड़ा, बजूला फलांटिया, लोहा चौरा, लोहारी, अमोली, मटेना, भडारीधार, दुदिला, स्याली, छटिया, नवई, नौगांव कोटुडा के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में दिया था, उस पर क्या कार्यवाही हुई तथा इन ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक किया जायगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

ग्राम भटेना व मिलकोट का विद्युतीकरण क्रमशः दिनांक ३० मार्च, १९७७ व ३१ दिसम्बर, १९७७ को किया जा चुका था तथा तत्पश्चात् ग्राम छेटी का दिनांक ३१ जनवरी, १९७८ को, ग्राम लोहारी का दिनांक ३० अप्रैल, १९७८ को व ग्राम स्याली का दिनांक ३० अक्तूबर, १९७८ को विद्युतीकरण कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त ग्राम वज्यूला व छटिया का विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष १९७८-७९ में पूर्ण हो जायेगा ।

शेष ग्रामों का विद्युतीकरण सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत धन की उपलब्धता और निर्धारित (८ प्रतिशत) वित्तीय प्रतिलाभ प्राप्त होने की दशा में सम्भव होगा ? इसके लिये सर्वेक्षण कार्य जारी है ।

फिरोजाबाद नगरपालिका को सड़क निर्माण हेतु दिया गया ऋण

४१—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद की नगरपालिका फिरोजाबाद की सड़क निर्माण हेतु क्या कोई धनराशि वर्ष १९७६-७७ में दी गयी है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन-सी सड़क का निर्माण किया गया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां ।

नगरपालिका, फिरोजाबाद को वित्तीय वर्ष १९७६-७७ में १,८६,००० (एक लाख छियासी हजार रुपये) का साधारण सड़क अनुदान इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि इतनी ही धनराशि नगरपालिका, फिरोजाबाद तुल्य अंशदान के रूप में अपने कोष से व्यय करेगी । इस धनराशि के उपभोग करने की अवधि ३१ मार्च, १९७८ तक निर्धारित की गयी थी । पालिका की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण इस धनराशि में से कोई निर्माण कार्य नहीं हो सका । अतः पालिका द्वारा इस धनराशि के उपभोग करने की अवधि मंडलायुक्त आगरा द्वारा ३१ मार्च, १९७९ तक बढ़ा दी गयी है । सड़क निर्माण का कार्य संलग्न सूची के अनुसार है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २९८ पर)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के लिपिकों के स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश और आजमगढ़ के लेखा लिपिकों का स्थानान्तरण

४२-श्री शिव प्रसाद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिपिकों के सम्बन्ध में सरकार ने कोई ऐसा शासकीय आदेश जारी किया है जिनके अनुसार वे अपने गृह जनपद में नहीं रह सकते हैं ? यदि हां, तो क्या यह आदेश निदेशालय के लिपिक वर्ग के ऊपर भी लागू हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

लिपिकों के सम्बन्ध में नहीं वरन् लेखा लिपिकों एवं प्रधान लिपिकों को गृह जनपद से स्थानान्तरित करने के बारे में आदेश जारी किये गये हैं । निदेशालय का लिपिक संवर्ग अस्थानान्तरणीय होने के कारण यह आदेश उन पर लागू नहीं होता ।

४३--श्री शिव प्रसाद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त आदेशानुसार, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के कितने लिपिकों का दूसरे जनपद में स्थानान्तरण किया गया था ? क्या यह सही है कि जो अपने गृह जनपद में पांच वर्ष से अधिक अवधि से रह रहे हैं उनका स्थानान्तरण निरस्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

उक्त आदेशानुसार लिपिकों का नहीं बल्कि आजमगढ़ के १९ लेखा लिपिकों को स्थानान्तरित किया गया था । इनमें से दो के स्थानान्तरण आदेश कुछ समय के लिये स्थगित किये गये थे । उक्त दो लेखा लिपिकों में से एक को पुनः स्थानान्तरित कर दिया गया है किन्तु दूसरे लेखा लिपिक के स्थानान्तरण आदेश एक सरकारी मुकदमें के कारण प्रशासनिक आधार पर अभी भी स्थगित रखे गये हैं ।

गोरखपुर, महिला अस्पताल में गबन की कथित रिपोर्ट

४४-श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर महिला अस्पताल की किसी डाक्टर ने अक्तूबर, १९७७ में मुख्य चिकित्साधिकारी को वर्ष १९७६-७७ में अस्पताल में हुए किसी गबन की रिपोर्ट की थी ? यदि हां, तो तथ्य क्या थे और अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

४५-श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[३१-८-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ४५ द्वारा उत्तरित ।]

पनकी पावर स्टेशन, कानपुर की क्षतिग्रस्त इकाई

४६-श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, १९७८ के बाद पनकी पावर स्टेशन (कानपुर) के तीन प्लान्ट किन कारणों से बन्द हैं ? उक्त मास के बाद से आज तक का विद्युत् उत्पादन प्रति यूनिट खर्च क्या आ रहा है ? इतने न्यून उत्पादन के गिरावट का उत्तरदायित्व किन अधिकारियों पर है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

यह सत्य नहीं है कि पनकी विद्युत् गृह की तीन मशीनें जून, १९७८ से बंद हैं । केवल ११० मेगावाट क्षमता की एक इकाई जेनेरेटर ट्रान्सफार्मर के क्षतिग्रस्त होने के कारण १२ मई, १९७८ से बन्द है । शेष तीन मशीनों में ११० मेगावाट क्षमता की दूसरी इकाई संतोषजनक स्थिति में चलती रही है । शेष दो ३२ मेगावाट क्षमता की इकाइयां निम्नलिखित ओवरहालिंग की अवधि को छोड़कर चलती रही हैं :

पनकी इकाई नं०-१	.. ..	२७-६-७८ से २१-८-७८ तक
पनकी इकाई नं०-२	.. ..	१-८-७८ से १९-९-७८ तक

चूंकि ११० मेगावाट क्षमता की इकाई जेनेरेटर ट्रान्सफार्मर के क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद रही, अतः इसका उत्तरदायित्व किसी अधिकारी पर निर्धारित करने अथवा उनपर कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसके अतिरिक्त अन्य इकाइयों को सामान्य एवं वार्षिक रख-रखाव तथा अनुरक्षण के लिये ही बंद किया गया ।

इन महीनों में प्रजनन की लागत वस्तुतः और महीनों की भांति ही रही है । इकाई के कर्मचारियों को जो मशीन चलाते थे उन्हें दूसरी इकाइयों के ओवर-हालिंग के कार्य के लिए प्रयोग किया गया ।

टाउन एरिया कमेटी, महमूदाबाद, जिला सीतापुर को दिया गया अनुदान, आय एवं खर्च

४७-श्री राम नरायन वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७६-७७, १९७७-७८ में टाउन एरिया कमेटी महमूदाबाद, जनपद सीतापुर को कितना अनुदान सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ था तथा कितनी आमदनी अन्य मदों से हुई ? इस धन को किन-किन मदों में खर्च किया गया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

टाउन एरिया कमेटी, महमूदाबाद, जिला सीतापुर को वर्ष १९७६-७७ तथा १९७७-७८ में मिले अनुदान तथा हुई अन्य आय का विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष १९७६-७७

(१)	अनुदान	५०,०००
(२)	अन्य आय	१,६१,४२३·८९

वर्ष १९७७-७८

(१)	अनुदान	११,५००
(२)	अन्य आय	१,३५,२०४·५७

उपरोक्त धन कर्मचारियों के वेतन, सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था, सड़कों तथा नालियों के निर्माण एवं मरम्मत, जमानत की वापसी तथा कार्यालय के व्यय पर खर्च की गयी । आय-व्यय का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २९९ पर)

४८-४९-श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

[२रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ३६, ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

५०-श्री राजेश कुमार सिंह--

[३रे गुरुवार के लिए स्थगित ।]

श्री एम० आई० सिद्दीकी, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् विभाग, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

५१-श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि जून, १९७८ को मुख्य मन्त्री को प्रश्नकर्ता का गोरखपुर विद्युत् विभाग के अधीक्षण अभियन्ता (श्री सिद्दीकी) के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? क्या इस सन्दर्भ में मुख्य मन्त्री ने छानबीन कराने को लिखा था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां । उक्त पत्र में मुख्यतः श्री एम० आई० सिद्दीकी, अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर द्वारा सरकारी साधनों का दुरुपयोग कर अपना स्थानान्तरण रुकवाने का आरोप था । श्री सिद्दीकी का स्थानान्तरण कार्यान्वित हो चुका है तथा उन्होंने दिनांक २६-७-७८ को लखनऊ में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद के राजकीय नलकूपों का विद्युत् कनेक्शन

५२-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खण्ड, खैराबाद में दिनांक २२ सितम्बर, १९७८ तक किन-किन राजकीय नलकूपों में बिजली कनेक्शन देने हेतु सिंचाई विभाग से बी० एल० फार्म प्राप्त हो गया परन्तु बिजली नहीं लगवाई ? फार्म किस-किस तिथि को अधिशासी अभियन्ता (बिजली) के कार्यालय में प्राप्त हुए ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्युत वितरण मण्डल, मैनपुरी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति की मांग

५३—श्री मानपाल सिंह (जिला एटा)—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् वितरण मण्डल, मैनपुरी में आजकल चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी (जिनकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से लेकर एम० ए० तक है) तृतीय श्रेणी के पदों पर अनेक वर्षों से कार्य कर रहे हैं किन्तु वेतन चतुर्थ श्रेणी का प्राप्त कर रहे हैं और तृतीय श्रेणी के पदों पर कार्य करने के अनुभव, क्षमता एवं आवश्यक शैक्षिक योग्यता होने पर भी उनकी पदोन्नति तृतीय श्रेणी के पदों पर न करके नई भर्ती करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली है ? यदि हां, तो क्यों और उनकी पदोन्नति तृतीय श्रेणी के पदों पर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी नहीं, चतुर्थ श्रेणी का कोई भी ऐसा कर्मचारी तृतीय श्रेणी के पद पर कार्य नहीं कर रहा है और जो वेतन तो चतुर्थ श्रेणी का पा रहा हो और कार्य तृतीय श्रेणी का कर रहा हो । परिचालन संवर्ग के कुछ लोग ऐसे अवश्य हैं जिनसे जनहित में सैत्यिक श्रेणी लिपिक का कार्य लिया जाता रहा है । चूंकि परिचालन संवर्ग से लिपिक सवर्ग में पदोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है अतएव इन कर्मचारियों के पदोन्नति का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत् वितरण खण्ड, एटा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदोन्नति हेतु प्रार्थना-पत्र

५४—श्री मानपाल सिंह—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् वितरण खण्ड, एटा के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों ने दिनांक १० फरवरी, १९७६ से ३१ जुलाई, १९७८ तक कितनी बार कार्यालय विद्युत् वितरण मण्डल, मैनपुरी को तृतीय श्रेणी के पदों पर प्रोन्नति हेतु आवेदन पत्र दिया है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों, जबकि इसके लिए राजकीय विद्युत् परिषद् के आदेश संख्या ३६५४/एन० जी०-र० वि० प०-१९७८(४)—३३० एन० जी०, १९७५ दिनांक २७ जून सन् १९७८ के आदेश हैं ? यदि हां, तो परिषद् के उक्त आदेश के आधार पर कब तक उनकी पदोन्नति तृतीय श्रेणी के पदों पर कर दी जायगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

विद्युत् वितरण खण्ड, एटा के चतुर्थ श्रेणी के मात्र दो कर्मचारियों ने लिपिक संवर्ग में पदोन्नति हेतु दो बार आवेदन-पत्र मण्डल कार्यालय को भेजे हैं, जिसके संदर्भ में उनको लिपिक वर्ग की परीक्षा में सम्मिलित किया गया था किन्तु वे असफल रहे ।

नगर पालिका, मुरादाबाद के कर्मचारियों द्वारा तथा उनके सम्बन्धियों द्वारा दिये गये कोटेशन

५५—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद नगर-पालिका में किन-किन कर्मचारियों ने अपने या अपने भाई के नाम से कोटेशन देकर सप्लाई का कार्य सन् १९६७ से १९७८ तक किया है ? इन लोगों ने कुल कितने रुपये का कार्य किया है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरपालिका मुरादाबाद के ३ वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

५६—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका मुरादाबाद के कौन-कौन से कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हैं जो तीन साल से अधिक समय से वहां कार्य कर रहे हैं और उनके तबादले अभी तक क्यों नहीं किए गए ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

नगर पालिका मुरादाबाद में पालिका केन्द्रीयित सेवा के निम्नलिखित कर्मचारी ३ वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं :

नाम	तैनाती की अवधि
१—श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, कार्यालय अधीक्षक ।	१८-१०-१९७५
२—श्री के० एल० सेठी, मुख्य सफाई निरीक्षक ।	१०-१०-७३
३—श्री फूल सिंह, सफाई निरीक्षक	सन् १९७१

उपरोक्त क्रमांक १ व २ पर उल्लिखित कर्मचारी इस वर्ष सामान्य स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अवधि (५ वर्ष) की सीमा में न आने के कारण स्थानांतरित नहीं किये गये । क्रमांक ३ पर उल्लिखित कर्मचारी को रिश्वत लेने के आरोप में दिनांक ९-११-१९७१ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के कारण उन्हें निलम्बित कर दिया गया था, इसलिए उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सका ।

५७—श्री राम आसरे वर्मा—

[४ थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बहराइच जिले के वैक्सीनेटर श्री राज कुमार शर्मा की सेवा समाप्ति

५८—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले के श्री राजकुमार शर्मा आदि कई वैक्सीनेटर आपातकालीन समय में नसबन्दी अभियान में सेवा से अलग किए गए थे जिसके सम्बन्ध में बहराइच जिले के कई माननीय विधायकों व माननीय राज्य मन्त्री बिक्री-कर ने सितम्बर, १९७८ में शिकायती प्रार्थना पत्र संस्तुति के साथ स्वास्थ्य मन्त्री को भेजा था, उन्हे प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी और नसबन्दी योजना में आपातकाल में अवैधानिक तरीके से निकाले गए बहराइच के वक्सीनेटरों को कब तक पुनः वैक्सीनेटर के पद पर नियुक्त कर दिया जायगा ?

श्री कल्याण सिंह—

बहराइच जिले के श्री राज कुमार शर्मा व अन्य किसी वैक्सीनेटर की सेवाएं आपात कालीन समय में नसबन्दी केस न देने के कारण समाप्त नहीं की गयी थी ।

श्री राजकुमार शर्मा को वैक्सीनेटर के पद पर पुनः नियुक्त करने के सम्बन्ध में सर्वश्री ओम प्रकाश त्यागी, संसद सदस्य, राज्य मन्त्री, बिक्री-कर की संस्तुति प्राप्त हुई थी, जिस पर जांच कराई गयी । श्री राजकुमार शर्मा की सेवाएं उनकी अकर्मण्यता, अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति के कारण समाप्त की गयी थी । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जिले के ग्राम इस्लामपुर के हरिजन बस्ती के लोगों को दिये गये विद्युत् कनेक्शन

५९—श्री शिव प्रसाद—

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७८ के तीसरे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के सन्दर्भ क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम इस्लामपुर, जनपद वाराणसी की हरिजन बस्ती में जिन २६ व्यक्तियों ने अपना बी० एण्ड एल० फार्म जमा किया था उनमें अब कितने लोगों को वायरिंग हो गयी है और कितने लोगों को कनेक्शन दिया जा चुका है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

सभी २६ व्यक्तियों ने अपनी वायरिंग पूरी करा ली है ।

सभी २६ व्यक्तियों को दिनाक २६-१०-७८ को कनेक्शन दे दिया गया है ।

प्रदेश के रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत अभ्यर्थी

६०—श्री शिव प्रसाद—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के रोजगार दफ्तरों में अब तक (२७-९-७८) कितने रोजगार विहीन लोग विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत पंजीकृत हो चुके हैं और उन रोजगार दफ्तरों के माध्यम से वर्ष १९७७-७८ एवं वर्ष १९७८, २७ सितम्बर तक कितने लोगों को रोजगार मिला है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

उत्तर प्रदेश के रोजगार दफ्तरों में ३०-९-७८ तक कार्य प्रार्थियों की संख्या विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत १३,६९,३०२ रही ।

वर्ष १९७७-७८ में रोजगार दफ्तरों के माध्यम से ४९,७१९ अभ्यर्थियों को रोजगार मिला है एवं वर्ष १९७८ में ३०-९-१९७८ तक २८,५२७ लोगों को रोजगार मिला है ।

सीतापुर जिले के डाक्टर विहीन चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं डाक्टरों की नियुक्ति की मांग

६१—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के राजकीय चिकित्सालयों तथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में डाक्टरों के कितने स्थान रिक्त हैं तथा कब से तथा दिनांक २६ सितम्बर, १९७८ को ऐसे स्थान कितने हैं कि जहां डाक्टर नियुक्त तो हैं परन्तु दो मास हो गए अभी ज्वाइन नहीं किए ?

श्री कल्याण सिंह—

सीतापुर जिले में राजकीय चिकित्सालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल १२ डाक्टरों के स्थान निम्न अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उनके नाम के आगे लिखे दिनांक से रिक्त है :

१—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एलिया	..	२-७-७८
२— " बरई जलालपुर	..	१५-६-७८
३— " मछरेहटा	..	२३-७-७८
४— " सुरवल	..	मार्च, १९७८
५— " रामपुर मथुरा	..	जून, १९७८
६— " पहला	..	जुलाई, १९७८
७— " रेउसा	..	जुलाई, १९७८
८—राजकीय चिकित्सालय बरगांव	..	१४-४-१९७८
९—महिला चिकित्सालय, खैराबाद	..	५-१०-१९७६
१०—राजकीय महिला चिकित्सालय, मिसरिख	..	२०-६-१९७८
११—राजकीय इन्टीग्रेटेड चिकित्सालय, गंगापुरव	..	जुलाई, १९७८
१२—राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, मनपुर ततरोई		अगस्त, १९७७ ।

दिनांक २६-९-७८ को कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां डाक्टर की नियुक्ति तो है पर उसने दो मास से ज्वाइन नहीं किया है ।

६२—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या चिकित्सा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उक्त प्रश्न के उत्तर से सम्बन्धित स्थानों पर पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी ।

स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों तथा नर्सों के स्थानान्तरण पर व्यय की गई धनराशि

६३--श्री विद्या शंकर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग में कुल कितने डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों, नर्सों का स्थानान्तरण किया गया ? इस स्थानान्तरण की प्रक्रिया में सरकार का कुल कितना धन लगा ?

श्री कल्याण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

६४--श्री विद्या शंकर--

[३१-८-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ४२ द्वारा उत्तरित ।]

नगर पालिका, फिरोजाबाद के कर्मचारियों को दिया गया प्रतिकर अवकाश

६५--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतायेंगे कि जनपद आगरा की नगर पालिका फिरोजाबाद के जलकल संस्थान के पम्प ड्राइवर, पम्प अटेंडेंट, पम्प लाईन फिटर आदि को क्या ओवर-टाईम का भुगतान होता था ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को अब तक गत वर्ष से ओवर-टाईम न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

जी हां । वर्ष १९७७-७८ में १४ कर्मचारियों से ओवर टाईम कार्य लिया गया जिन्हें ओवर-टाईम एलाउन्स के स्थान पर प्रतिकर अवकाश दे दिया गया ।

प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में अंकित अभ्यर्थी

६६--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगारों के नाम वर्ष १९७७-७८ एवं जुलाई, १९७८ तक अंकित थे और उन बेकारों को रोजगार देने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में वर्ष १९७७-७८ एवं जुलाई, १९७८ तक क्रमशः १३, ७३, ७३४ एवं १३, ७१, ६८२ कार्य प्रार्थियों के नाम अंकित थे ।

प्रदेश में पढ़े लिखे नौजवानों की बेकारी दूर करने के लिए वर्ष १९७८-७९ में प्रदेश के विकास कार्यक्रमों में श्रम प्रधानता देकर कृषि, सिंचाई, लघु उद्योग तथा शिक्षा आदि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित नौजवानों में

व्याप्त बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्त्योदय कार्यक्रम, स्थानीय विकास योजना एवं एकीकृत क्षेत्रीय विकास योजना के माध्यम से भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

वाराणसी जिले के ग्राम भगौतीपुर की श्रीमती कमला देवी, प्रशिक्षित दाई की नियुक्ति की मांग

६७--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डाइरेक्टर आफ-मेडिकल एन्ड हेल्थ सर्विसेज, उत्तर प्रदेश की आज्ञा से जिला वाराणसी में सभी पी०एच०सी० सेन्टरों पर २९ दिसम्बर, १९६६ से २७ जून, १९६७ तक दाइयों की ट्रेनिंग कराई गई और स्टाइपेन्ड दिया गया है और ट्रेनिंग के बाद इम्तहान लेकर सर्टिफिकेट भी दी गई है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि माननीय स्वास्थ्य मन्त्री को १० अगस्त, १९७७ को और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी को भी २४ सितम्बर, १९७८ तक कोई प्रार्थना-पत्र देने के बावजूद कमला देवी पति सुन्दर सिंह, गांव भगौतीपुर, पोस्ट सिघौरा, जिला वाराणसी, जिसको ६ माह की ट्रेनिंग दी गई और इम्तहान पास हो गई, की नियुक्ति दाई के पद पर अब तक क्यों नहीं की गई ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां।

दाइयों के प्रशिक्षण की योजना के अन्तर्गत जिन दाइयों को प्रशिक्षित किया जाता है, उनको सरकारी सेवा में रखना योजना का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में प्रशिक्षित दाइयों द्वारा गर्भवती स्त्रियों को प्रसव सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराना है तथा प्रसव सम्बन्धी कार्य उचित ढंग से सुगमतापूर्वक कराना है ताकि गर्भवती माताओं एवं शिशुओं को होने वाली जटिलताओं से बचाया जा सके और उनमें होने वाली मृत्युदर को घटाया जा सके। इस कारण श्रीमती कमला देवी की नियुक्ति दाई के पद पर किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

झांसी मेडिकल कालेज के आर्थोपेडिक्स प्रोफेसर का रिक्त पद

६८--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी मेडिकल कालेज, झांसी में आर्थोपेडिक विभाग में प्रोफेसर का पद कब से रिक्त है तथा रिक्त होने का कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह--

झांसी मेडिकल कालेज में प्रोफेसर आफ आर्थोपेडिक्स का पद डा० वाई० एन० गुप्ता के दिनांक १३ दिसम्बर, १९७६ की अपरान्ह से निलम्बन के फलस्वरूप रिक्त है। उनके स्थान को भरने के लिए तदर्थ प्रोन्नति देकर एक अधिकारी को तैनाती के आदेश जारी किए जा चुके हैं, किन्तु उन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुरलब, जिला सीतापुर के कर्मचारियों का बकाया वेतन एवं भवन निर्माण की मांग

६९—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुरलब, जनपद सीतापुर के कितने कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया है और उनके वेतन न दिए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी सही जांच कराकर वेतन दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

इस मामले की जांच की का रही है और देय अवशेष वेतन का भुगतान शीघ्र करा दिया जायेगा ।

७०—श्री रामनरायन वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुरलब, जनपद सीतापुर के भवन निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री कल्याण सिंह—

इस प्रकार की कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

पिथौरागढ़ जिले के सुरीनगढ़ (मुनस्यारी) लघु जल विद्युत् योजना का निर्माण

७१—श्री नारायण सिंह भैंसोरा—

क्या विद्युत् मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सुरिंग (तहसील मुनस्यारी) जनपद पिथौरागढ़ की माईक्रो हाईडिल की जो योजना निर्माणाधीन है, वह कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

सुरीनगढ़ (मुनस्यारी), जनपद पिथौरागढ़ में एक ७५० कि० वा० की लघु जल विद्युत् योजना का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करने का विचार है । योजना आयोग (भारत सरकार) से इस परियोजना पर व्यय करने की स्वीकृति मिल चुकी है तथा पर्वतीय विकास अनुदान स्वीकार होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

कार्य प्रारम्भ होने के लगभग ३ वर्ष में परियोजना के पूर्ण हो जाने की आशा है ।

जल निगम, आजमगढ़ के कर्मचारियों की संख्या तथा उन पर व्यय की गई धनराशि

७२—श्री शिव प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जल निगम खंड, आजमगढ़ में किन-किन पदों पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? वित्तीय वर्ष १९७७-७८ में कार्यालय एवं कर्मचारियों के ऊपर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

अस्थायी निर्माण शाखा जल निगम, आजमगढ़ में इस समय कुल ४३ अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट (१) में दिया गया है ।

वित्तीय वर्ष १९७७-७८ में कार्यालय एवं कर्मचारियों के ऊपर कुल ६९,८०४ रु० की धनराशि व्यय की गई ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे ३०१ पृष्ठ पर ।)

जल निगम, आजमगढ़ की योजनाओं की प्रगति विवरण

७३—श्री शिव प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जल निगम खंड, आजमगढ़ द्वारा जनपद आजमगढ़ में किन-किन योजनाओं पर इस समय कार्य किया जा रहा है और कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

विवरण परिशिष्ट (२) में संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३०२ पर ।)

७४-७५—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[३रे गुरुवार के लिए स्थगित ।]

७६—श्री शिव प्रसाद—

[अतारांकित प्रश्न संख्या ४२ की पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त ।]

उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की गई पूर्ण नशाबन्दी की अधिसूचना

७७—देव बहादुर सिंह—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के सात जिलों में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने की अधिसूचना को माननीय उच्च न्यायालय ने संविधान विरोधी होने के कारण उक्त अधिसूचना को निरस्त कर दिया है ? यदि हां, तो इसके सम्पूर्ण प्रक्रिया में सरकार का कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गयी है और विवाद जब तक समाप्त न हो जाये, यह बताना सम्भव नहीं है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया में कितनी धनराशि का व्यय निहित होगा । उच्च न्यायालय के स्तर पर २,५०० रु० का व्यय हुआ है तथा अपील दायर करने में लगभग १,९६,३८० रु० के व्यय का अनुमान है, जिसमें से १,५०,१५० रु० जमानत की धनराशि निर्णय शासन के पक्ष में होने पर वापस हो जायेगी।

नैनीताल जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजना की पाईप लाइन का कार्य

७८--श्री नारायण सिंह भैंसोरा--

क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेयजल सम्बन्धी पाईप लाईन का कार्य इस समय हो रहा है, उसमें कितने ठेकेदारों को विभाग द्वारा टेन्डर के आधार पर कार्य दिया गया है और कितना कार्य आज दिन तक मुकम्मिल हुआ है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जिला नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सम्बन्धी पाइप लाइन के इस समय कुल ३७ कार्य हो रहे हैं। इनमें से २७ कार्य निविदाएं आमंत्रित कर चौबीस ठेकेदारों द्वारा कराये जा रहे हैं।

अब तक कुल लगभग ४० प्रतिशत कार्य मुकम्मिल हुआ है।

कुमाऊं मन्डल की बन्द पड़ी पेयजल योजनायें

७९--श्री नारायण सिंह भैंसोरा--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कुमाऊं मन्डल में निर्मित पेयजल योजानओं में कितने पेयजल योजनाएं मरम्मत के अभाव में इस समय बन्द पड़ी है ? विभाग द्वारा मरम्मत हेतु कितने कर्मचारियों और कितने धनराशि की मांग की गई और जिलाशः आवंटित की गयी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

कुमाऊं मन्डल में कुल ३,०७९ पेयजल योजनाओं में से २,८५८ पेयजल योजनायें मरम्मत के अभाव में बन्द हैं। उपरोक्त योजनाओं की मरम्मत हेतु शासन से कर्मचारियों तथा धनराशि की मांग नहीं की गयी है अतः जिलाशः आवंटन का प्रश्न नहीं उठता।

महिला अस्पताल बस्ती के डाक्टर का स्थानान्तरण

८०--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले के महिला चिकित्सालय में कोई डाक्टर लगभग ७ वर्ष से कार्य कर रही हैं ? क्या उनके विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोप भी लगाए गए हैं ? यदि हां, तो सरकार क्या इसकी जांच कराकर शीघ्र ही कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

महिला अस्पताल बस्ती में एक डाक्टर जुलाई, १९७२ से कार्यरत थी। अब उनका स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया है। उनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी जो कि जांच करने पर निराधार पाई गई।

गोरखपुर जिले में जीवन रक्षक दवाओं का कथित अभाव

८१--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर नगर में दवा की दुकानों पर जीवन रक्षक दवाओं के अभाव की जानकारी शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह--

शासन को यह सूचना प्राप्त हुई है कि गोरखपुर नगर में दवा की दुकानों पर जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है। केवल स्ट्रेप्टोमाइसीन ग्रुप के कुछ ब्रेन्ड नेम के इंजेक्शन तथा ए० टी० एस० इंजेक्शन की सप्लाई मांग की अपेक्षा कम रही है।

इन दवाओं की उपलब्धि में कोई कठिनाई नहीं है। सब मुख्य चिकित्सा-अधिकारियों को आदेश दिये गए हैं कि वह सुनिश्चित कर लें कि उनके क्षेत्र में जीवन रक्षक दवाओं का अभाव न होने पाए और वे जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध रहें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर द्वारा औषधि विक्रेता समिति, गोरखपुर से अनुरोध किया गया है कि जीवन रक्षक दवाओं का वितरण सही ढंग से किया जाय ताकि यह दवायें आसानी से जनता को उपलब्ध रहें।

नगरपालिका, सीतापुर के सफाई कर्मचारियों की संख्या

८२--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगर-पालिका में इस समय सफाई मजदूरों की संख्या क्या है और जो कमी है वह कब तक पूरी कर दी जायगी ?

श्री गणेश दत्त वाजपेयी--

नगरपालिका, सीतापुर में स्वीकृत सफाई कर्मचारियों की संख्या २५९ है। कमी की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायगा।

प्रेम स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल, उझानी, बदायूं की बन्दी

८३--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रेम स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल, उझानी, जिला बदायूं कब से बन्द है तथा शासन मिल चालू करवाने अथवा मजदूरों की क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मेसर्स प्रेम स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड, उझानी, जिला बदायूं में आर्थिक कठिनाइयों के कारण दिनांक ११ मई, १९७६ से उत्पादन बन्द है तथा श्रमिकों की बैठकी चल रही है। शासन ने इण्डस्ट्रियल रिकान्सट्रक्शन कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड से प्रतिष्ठान को ५० लाख रुपये का ऋण दिलाने हेतु संस्तुति की थी, जिसे उक्त कारपोरेशन ने अस्वीकार कर दिया है। प्रतिष्ठान में बन्दी (क्लोजर) घोषित नहीं की गई है। अतः मजदूरों की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के मुख्यालय के कर्मचारियों का स्थायी-करण एवं अनुसूचित जाति के कर्मचारी

८४--श्री बिहारी लाल हंस--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के मुख्यालय पर १० मई, १९७६ से अब तक विभिन्न पदों पर कितने-कितने कर्मचारियों को स्थायी किया गया तथा उनमें अनुसूचित जाति के कितने-कितने

कर्मचारी आरक्षण के आधार पर स्थायी किए गए ? क्या विभिन्न पदों पर अनुसूचित जाति का आरक्षण प्रतिशत पूरा है ? यदि नहीं, तो उसे पूरा करने के लिए किस सीमा तक प्रयास किया जा रहा है ?

श्री कल्याण सिंह--

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के मुख्यालय पर दिनांक १० मई, १९७६ से अब तक विभिन्न पदों पर निम्नलिखित कर्मचारी स्थायी किये गये हैं :--

पद का नाम		स्थायी किये गये कर्मचारी की संख्या	अनुसूचित-जाति के कर्मचारी की संख्या
१--मुख्य सहायक	..	५	
२--मुख्य लिपिक	..	११	..
३--नोटर ड्राफ्टर	..	१२	..
४--संदर्भ लिपिक	..	२२	..
५--नैत्यिक लिपिक	..	४६	..
६--ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक	..	४	..
७--सम्प्रेक्षक	..	११	१
८--ज्येष्ठ आशुलिपिक	..	३	..
९--कनिष्ठ आशुलिपिक	..	१	..
१०--चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चपरासी)		८	३

विभिन्न वर्गों में अनुसूचित जाति का आरक्षण प्रतिशत पूरा नहीं है। इसे पूरा करने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा है।

गाजीपुर जिले की टाउन एरिया, सैदपुर, सादात एवं जंगीपुर में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं अनुसूचित जाति के कर्मचारी

८५--श्री देवराम (जिला गाजीपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर के अन्तर्गत स्थित सैदपुर, सादात व जंगीपुर टाउन एरियाओं में विभिन्न पदों की रिक्तियों की भर्ती चयन समिति द्वारा तैयार की गयी १९७७-७८ की सूची में से की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

गाजीपुर जिले की सैदपुर तथा सादात टाउन एरियाओं में कोई नयी नियमित नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा नहीं की गई है। इन टाउन एरियायों में सभी नियुक्तियां १९७६ के पूर्व की हैं। टाउन एरिया, जंगीपुर का सृजन १९७८ में

हुआ है और इस समय यहां के सभी कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी हैं। इन पदों पर नियमित नियुक्ति चयन समिति के माध्यम से करने की कार्यवाही की जा रही है।

८६—श्री देव राम—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों के कितने अभ्यर्थी लिए गए ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३०५ पर।)

वाराणसी और गाजीपुर में पेयजल योजनाओं का निर्माण एवं फर्जी मस्टर-रोल

८७—श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि वाराणसी और गाजीपुर जनपद में पेयजल योजनाओं के निर्माण में जल निगम द्वारा फर्जी मस्टर-रोल द्वारा भारी मात्रा में सार्वजनिक धन का घोटाला किया जा रहा है ? क्या मन्त्री जी वर्ष १९७७-७८ और १९७८-७९ के मस्टर-रोल की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के द्वारा कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर शहर के शराब के अनुज्ञापियों से आबकारी शुल्क की वसूली

८८—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या आबकारी मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष १९७७-७८ में कानपुर शहर में चन्द लोगों ने फर्जी नामों से शराब ठेके चलाए, जिनके कारण बीस लाख रुपए के आबकारी राजस्व की वसूली न हो सकी ? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां। वर्ष १९७७-७८ में कानपुर शहर में वार्षिक नीलाम के समय कुछ पुराने ठेकेदारों द्वारा अपने आदमियों के नाम सालवेन्सी प्रमाण-पत्र देकर शराब के ठेके ले लिये गये, जिसमें बीस लाख नहीं बल्कि १२,०४,४६२ रुपये देशी शराब का अनुज्ञापन शुल्क अब तक वसूल नहीं हो सका।

अनुज्ञापियों से बकाया वसूली हेतु प्रमाण-पत्र, सालवेन्सी प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपियों के साथ तहसीलदार कानपुर को भेजी गयी, परन्तु अधिकांश अनुज्ञापियों के पते तथा हैसियत प्रमाण-पत्रों पर उल्लिखित सम्पत्ति गलत पायी गयी। फलस्वरूप वसूली में अभी तक सफलता नहीं मिल पायी है। वसूली हेतु कड़े कदम उठाये जा रहे हैं। ऐसे लोगों का पता लगाने एवं वसूली कराने हेतु आबकारी व तहसील स्टाफ द्वारा सम्मिलित अभियान चलाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में

उक्त अनुज्ञापियों ने इस वर्ष जिन जनपदों में आबकारी के ठेके लिये हैं उनके जिलाधिकारियों को भी बकाया वसूली हेतु लिखा गया है तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भी उपरोक्त अनुज्ञापियों से बकाया वसूल कराने का प्रयास करने तथा वसूली न हो पाने की दशा में उन्हें ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही करने हेतु भी लिखा जा चुका है ।

राज्य विद्युत् परिषद् के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति

८९--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद्, उत्तर प्रदेश में इस सत्र के अन्त तक कौन-कौन अधिकारियों तथा कर्मचारियों की पदोन्नति अनुभाग अनुसार की गयी है ? उनके नाम एवं पद एवं पते क्या हैं तथा आरक्षण का प्रतिशत क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

चालू वित्तीय वर्ष १९७८-७९ में (३०-११-७८ तक) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् मुख्यालय के १ अधिकारी एवं २२ कर्मचारियों को अनुभाग अनुसार अवकाश कालीन रिक्तियों में अनुभागीय वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नत किया गया है । उनकी सूची संलग्न है । चूंकि इन पदों पर प्रोन्नतियां केवल अवकाशकालीन रिक्तियों में अल्प समय के लिये अस्थायी रूप से अनुभागानुसार की गई हैं, अतः इनमें वर्गानुसार आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३०६ पर)

प्रतापगढ़ जिले के कटरा मेदिनीगंज मेले में बिजली की चोरी एवं सतर्कता इकाई द्वारा की गयी जांच

९०--श्री संगमलाल (जिला प्रतापगढ़)--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्तूबर, १९७७ में प्रतापगढ़ जनपद के कटरा मेदिनीगंज के मेले में की गयी बिजली की लाखों रुपए की चोरी के सम्बन्ध में कोई रपट सतर्कता विभाग ने मार्च, १९७८ में शासन को दी है ? यदि हां, तो उसकी संस्तुतियां क्या-क्या हैं और उनके प्रकाश में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां । विद्युत् परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के कटरा मेदनीगंज के मेले में २७५ मीटर अन्डर ग्राउन्ड केबिल तथा बिजली के अनियमित प्रयोग के मामले की जांच आख्या मार्च, १९७८ में परिषद् में प्राप्त हुई थी ।

सतर्कता इकाई की जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रतापगढ़ से स्थानान्तरित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति की गई है । दोषी पाये गये निम्न अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रतापगढ़ से स्थानान्तरित कर दिया गया है :

१-- श्री महेन्द्र कुमार, अधि० अभि० ।

२-- ,, बी० आर० शर्मा, उप खंड अधिकारी ।

३-- ,, बी० वी० के० नायर, स० अभि० (रा०) ।

४-- ,, आर० के० श्रीवास्तव, अवर अभि०

५-- ,, ओ० पी० शर्मा, उप खंड अधि० ।

अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया है । उपरोक्त अन्य अधिकारियों व अवर अभियंता पर आरोप-पत्र तामील कर आनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । उक्त के सम्बन्ध में श्री हीरा लाल, हिन्द इलेक्ट्रिकल्स १२५, स्टेशन रोड, प्रतापगढ़ के विरुद्ध धारा ४२०, ४६७, ४६८ भा० दं० वि० तथा उत्तर प्रदेश विद्युत् तार व ट्रान्सफार्मर की चोरी (निवारण एवं दन्ड) अधिनियम, १९७६ के अन्तर्गत दिनांक १४-१-७८ को थाना कोतवाली, प्रतापगढ़ में अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं इस मामले की वस्तुस्थिति इस समय निम्नवत् है :--

न्यायालय, सी० जे० एम०, प्रतापगढ़ में अभियुक्त श्री हीरालाल, सम्भरक के साक्षार्थ दिनांक २७-१०-७८ निश्चित थी । उक्त दिनांक को अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुआ । न्यायालय द्वारा भा० द० सं० की धारा ७३ के अन्तर्गत सम्बन्धित अभिलेखों की प्रतियां अभियुक्त को दी गई और अगली तिथि दिनांक २५-११-७८ उसके (अभियुक्त के) बयानों हेतु निश्चित की गई । अभियुक्त की प्रार्थना के अनुसार उस पर लगाये गये आरोपों की जिरह के लिये दिनांक २५-११-७८ के स्थान पर न्यायालय द्वारा अगली तिथि १४-१२-७८ नियत किया गया है ।

देवरिया जिले के कतिपय ग्रामों में सरकारी अस्पताल निर्माण की मांग

९१--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद, ग्राम पड़री बाजार, बरडोहा, मझोलीराज बतरांव, भइल चौराहा, पिंडी आदि में सरकारी अस्पताल खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है जिसके लिए उपरोक्त गांव की जनता ने किसी जन प्रतिनिधियों के पत्र के साथ अप्रैल, १९७८ के प्रथम पखवारा में आवेदन-पत्र शासन को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो अस्पताल कब तक खोल दिए जायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं । विशेष रूप से देवरिया जनपद के गांवों में नए सरकारी अस्पताल खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । अपितु सम्पूर्ण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानों पर नए अस्पताल स्थापित करने का प्राविधान वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में किया गया है ।

शासन द्वारा निर्धारित मानदन्डों के अनुसार उपयुक्त पाए जाने वाले स्थानों पर ही यथासमय सरकारी अस्पताल खोल दिए जायेंगे ।

देवरिया जिले के सदर अस्पताल के डाक्टरों का कार्यकाल एवं शिकायती-पत्र

९२--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया सदर अस्पताल में लिपिक से लगायत डाक्टर तक ५ वर्षों से एक ही स्थान पर और एक ही पद पर सेवारत हैं इनमें से किन-किन के विरुद्ध शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

देवरिया सदर अस्पताल में एक लेडी डाक्टर तथा १८ कर्मचारी ऐसे हैं जो ५ वर्षों से एक ही स्थान पर और एक ही पद पर सेवारत हैं ।

[श्री कल्याण सिंह--]

उपरोक्त में से केवल निम्न के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है :

(१) डा० शोभा शुक्ला,

(२) श्रीमती ए० डी० त्रिपाठी, सिस्टर ।

९३--श्री ऊदल--

[२४-८-७८ को अतारांकित प्रश्न संख्या १६ द्वारा उत्तरित ।]

नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा तारकोल की बिना टेंडर के खरीद

९४--श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७८ में लखनऊ महापालिका के स्टोर में २६१ ड्रम तारकोल मौजूद होने के बावजूद ५०० ड्रम तारकोल लगभग ६२२९० रु० का बिना टेंडर रेट मांगे अनधिकृत फर्म से खरीदा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जांच की जा रही है ।

बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर के कर्मचारियों की मांग और आरोपों की जांच

९५--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर के कर्मचारियों की कुछ मांगों तथा उठाए गए कुछ आरोपों की माह सितम्बर, १९७८ में ज्वाइन्ट डाइरेक्टर, स्वास्थ्य ने जांच की ? यदि हां, तो अब तक जांच के दौरान क्या तथ्य प्रकाश में आए तथा उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह--

इस कालेज के कर्मचारियों की कुछ मांगों तथा उठाये गये कुछ आरोपों की जांच १९ सितम्बर, १९७८ को ज्वाइन्ट डाइरेक्टर स्वास्थ्य ने नहीं की थी, बल्कि यह जांच अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा ने की थी जो आरोपकर्ता श्री छेदी लाल, जिला मंत्री, अखिल भारतीय पासी विकास मण्डल के उपस्थित न हो सकने के कारण पूरी न हो सकी । जांच शीघ्र पूरी करने के लिये निर्देश दिये जा रहे हैं ।

९६--श्री राम नरायन वर्मा--

[अतारांकित प्रश्न संख्या ७० की पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त ।]

सीतापुर जिले के ग्राम पोखरा कलां में आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना की मांग

९७--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पोखरा कलां, ब्लाक महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना की योजना विचाराधीन थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह--

इस सम्बन्ध में आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक उत्तर प्रदेश का दिनांक २२-११-१९७८ का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो गया है, जो विचाराधीन है ।

कानपुर, ग्लूकोज काण्ड की जांच रिपोर्ट

९८--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्लूकोज काण्ड, कानपुर जो सन् १९७४ में हुआ था उ की जांच हेतु मेहरा कमेटी का गठन किया गया था ? क्या उसकी रिपोर्ट शासन के पास आ गई है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह--

अप्रैल, १९७४ में कानपुर में घटित ग्लूकोज कांड के पश्चात औषधि नियंत्रण संगठन को सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ किये जाने के प्रयोजन से ३१-५-१९७४ के शासकीय आदेश द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसमें अध्यक्ष श्री जी० एन० मेहरा, तत्कालीन उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर थे । उक्त कमेटी की रिपोर्ट शासन को सितम्बर, १९७४ में प्राप्त हुई थी । उपरोक्त रिपोर्ट में की गयी प्रमुख संस्तुतियों के सम्बन्ध में निदेशालय को आदेश भेजे जा चुके हैं ।

प्रदेश के औषधि निरीक्षक

९९--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश ड्रग कन्ट्रोल विभाग में कितने औषधि निरीक्षक कार्यरत हैं और इसके लिए कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या यह सही है कि पद की स्वीकृति के अनुसार नियुक्तियां नहीं की गयी हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

इस समय प्रदेश में औषधि निरीक्षकों के ३६ पद स्वीकृत हैं जिनमें से केवल २२ पदों पर औषधि निरीक्षक कार्यरत हैं । शेष पद रिक्त हैं । लोक सेवा आयोग द्वारा औषधि निरीक्षक के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है ।

१००--श्री ऊदल--

[३रे गुरुवार के लिए स्थगित ।]

वाराणसी जिले के ग्राम झंझोर से विद्युत् कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन

१०१--श्री ऊदल--

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव झंझोर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के सोलह व्यक्तियों ने लाइट एवं फैन के लिए कनेक्शन लेने हेतु सिक्योरिटी सन् १९७७ में जमा कर दिया है ? यदि हां, तो उन लोगों को कनेक्शन देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अब तक की गयी ? क्या यह सत्य है कि उक्त झंझोर गांव में विद्युत् की लाइन बहुत पहले से है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

ग्राम झंझोर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के १४ व्यक्तियों ने (न कि सोलह व्यक्तियों ने) लाईट एवं फैन कनेक्शन देने हेतु २५ रु० प्रति व्यक्ति के हिसाब से अग्रिम धन दिनांक १५-११-७७ को जमा किए थे। उन सभी आवेदकों को कनेक्शन की आवश्यक शर्तें तथा स्टीमेट का व्यय सूचित कर दिया गया था। उनके द्वारा वांछित एग्रीमेन्ट किया जा चुका है और ४-१२-७८ को कनेक्शन चार्जेज की धनराशि भी जमा की जा चुकी है। अतएव उन्हें विद्युत् कनेक्शन दिए जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम झंझोर में विद्युत् लाइन दिनांक ११-११-६७ से विद्यमान है, परन्तु उक्त व्यक्तियों को कनेक्शन देने में इस लाइन का विस्तार करना पड़ेगा।

सचिवालय के न्याय विभाग के चपरासी श्री गोमती प्रसाद की मृत्यु के सम्बन्ध में जानकारी

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, सचिवालय में इस बात को लेकर बड़ा असन्तोष है कि यहां के एक कर्मचारी को जान से मार दिया गया। उसकी जो लाश मिली है, उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुयी है, उनके बारे में स्टेटमेन्ट दिला दें तो अच्छा होगा।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, सचिवालय आज अत्यन्त शोकाकुल हो रहा है। अभी मैं वहां गया था। सचिवालय के सारे कर्मचारी आज शोकाकुल हैं। वह लाश सचिवालय के गेट के पास बाहर पड़ी है। उनकी आवाज बन्द करने की कोशिश की जा रही है। उसमें जो आरोप हैं कि किस तरह से रायबरेली के अधिकारियों ने विधि सचिव को झूठी खबर दी। विधि सचिव से मेरी बात हुयी। वह खुद भी चिन्तित हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस पर मुख्य मंत्री जी खुद कहें कि क्या वस्तुस्थिति है।

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गोमती प्रसाद न्याय विभाग के एक चपरासी थे और सन् ५५ से चतुर्थ श्रेणी सेवा में थे। २ दिसम्बर, १९७८ को वह अपने अधिकारी से अवकाश लेकर गए थे और अपने प्रार्थना-पत्र में लिखा था कि मैं संडीला जा रहा हूं अवकाश दिया जाय। तो वे छुट्टी पर चले गए। जो पुलिस का वर्जन आया है, रायबरेली शहर में शराब की दुकान के पास वह मरे पाए गए। लाश कब्जे में ले ली गयी। पोस्ट मार्टम कराया गया। पुलिस की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आयी नहीं। जब रिपोर्ट आ जायेगी तो अपने विवरण में पूरे तथ्यों का निवेदन कर दूंगा। डाक्टर ने लिखा है कि काज आफ डेथ मालूम नहीं हो सका। लेकिन उसके कन्टेन्टस प्रिजर्व कर लिए गए हैं। पुलिस अधिकारी, सब-इंसपेक्टर ने कहा है कि हमने इनका संस्कार करा दिया है लेकिन वास्तव में उन्होंने संस्कार नहीं कराया बल्कि लाश को नदी में डाल दिया। फिर पुलिस अधिकारी ने उनके बारे में कोई सूचना न तो उनके घर वालों को दी और न सचिवालय को ही दी कि वह कहां के कर्मचारी थे और किस हालत में वहां पहुंचे। उनके घर वालों को उनकी लाश नदी में मिली और वे उनकी लाश को यहां ले आए। अब मैंने जो इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है, उसको सदन में रखना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने तत्काल आदेश दे दिए हैं कि उक्त पुलिस अधिकारी को मुअत्तल कर दिया जाय और पूरे मामले की जांच सी० आई० डी० को सुपुर्द कर दी गयी है। मृतक का लड़का लाश के साथ था। मैंने उससे पूछा कि अगर दुबारा डाक्टरी मुआयना कराना चाहते हो तो बतायें। उसने कहा कि कराना चाहता हूं। अतः लाश डाक्टरी मुआयने के लिए भेज दी गयी है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी के कोष से ५,००० की आर्थिक सहायता का एलान कर दिया गया है।

तो मान्यवर, लाश पोस्ट मार्टेम के लिए चली गयी है और सी० आई० डी० की रिपोर्ट के अनुसार आगे ऐक्शन होगा।

विधान सभा के वर्ष में ९० उपवेशन न किए जाने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, १० मार्च, १९७० को विधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया था कि एक वर्ष में ९० उपवेशन हुआ करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे संज्ञान में यह नहीं लाए लेकिन श्री श्याम धर ने भी यही प्रश्न लिखकर दिया है।

पंतनगर विश्वविद्यालय के अनिश्चित काल के लिए बन्द किए जाने से छात्रों की पढ़ाई का नुकसान तथा फार्म की फसल की कटाई बोआई न होने से क्षति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री नरेश चन्द्र (जिला लखीमपुर)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पन्तनगर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में अविलम्बीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बन्द है, छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। कृषि फार्म पर खड़ी फसल की कटाई तथा उनकी बुआई न हो पाने से लगभग १० लाख रुपए की क्षति की सम्भावना है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित विश्वविद्यालय परिसर की शांति भंग है। भय, आतंक एवं तनाव का वातावरण है। डा० राजवीर सिंह, डा० आर० एस० सिंह, डा० विक्रम सिंह की छात्रों द्वारा पिटाई एवं अपमानित किया गया। डा० घिल्डियाल का फोन तोड़ डाला गया, स्कूटरों में आग लगा दी गयी है। कर्मचारी संगठन के महामंत्री श्री कुलश्रेष्ठ का यह भी आरोप है कि एक जाति विशेष के छात्रों द्वारा गुन्डागर्दी की जा रही है। स्थिति नियंत्रण के बाहर है और यह भी आरोप है कि कुछ मंत्रियों के इशारे पर सामान्य स्थिति बिगाड़ी जा रही है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि अविलम्ब ही विश्वविद्यालय की स्थिति पर काबू पाने का यत्न करके इसे खुलवाने की व्यवस्था की जाय। आततायी छात्रों को शीघ्र ही पकड़ा जाय [* * *] सरकार इस सम्बन्ध में वक्तव्य भी दे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गृह मंत्री जी, इसके सम्बन्ध में क्या स्थिति है, आप इससे सदन को अवगत करायें ।

*गृह मंत्री (श्री राम सिंह)--

मान्यवर, वैसे तो आज एजेन्डा के मुताबिक इन विषयों पर चर्चा होगी उसी में यह सब शामिल हो जायगा ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, नियम ३०१ के अन्तर्गत यह स्पष्ट है कि जो भी सूचना दी जाएगी सदन के अन्दर, उसमें किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जायगा लेकिन माननीय सदस्य ने जो सूचना पढ़ी है उसमें स्पष्ट है कि कुछ मंत्रियों पर भी आरोप लगाए गए हैं, मेरी निगाह में यह स्पष्ट तौर पर किसी मंत्री पर आरोप है । सूचना में यह जो बात लिखी गई है उसे कटवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही से निकाल दिया जायगा, यह सही है कि...।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

यह किसी खास व्यक्ति के खिलाफ नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

सूचना के अन्तर्गत इस तरह के आक्षेप करना उचित नहीं है । माननीय सदस्य जल्दी में इस तरह की सूचनाएं देते हैं इसलिए यह इसका भाग नहीं होगा ।

प्रदेश में डीजल व मिट्टी के तेल के अभाव में ट्रैक्टर व पम्पिंग सेट न चलने से फसलों को क्षति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान प्रदेश में डीजल व मिट्टी के तेल से उत्पन्न संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

एक तरफ बाढ़ से किसान तबाह हुआ, बिजली व खाद के अभाव ने भी कृषि कार्य को प्रभावित किया और ऐन मौके पर डीजल सुलभ न होने से किसानों के सामने घोर संकट पैदा हो गया है । ट्रैक्टर व पम्पिंग सेट डीजल से ही चलते हैं समय से डीजल सुलभ न होने के कारण बुआई, जुताई समय से न हो सकी जिसका कुप्रभाव अन्न उत्पादन पर पड़ेगा । डीजल के अभाव ने यातायात को भी प्रभावित किया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, जिस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है वहां कृषि उत्पादन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के अभाव से किसानों में घोर असन्तोष है। अतः अनुरोध है कि डीजल व मिट्टी का तेल शीघ्र सुलभ कराने के लिए शासन प्रभावी कदम उठावे।

बहराइच जिले के सिरसिया व हरिहरपुर रानी ब्लाकों में ओलावृष्टि के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बहराइच जिले के सिरसिया ब्लाक में सूखा तथा हरिहरपुर रानी एवं तराई में भयंकर ओलावृष्टि से हुई क्षति से उत्पन्न भयावह स्थिति की ओर सम्मानित सदन एवं शासन का ध्यान आकृष्ट करने की सूचना देता हूं।

महोदय, बहराइच जिले की भिनगा तहसील के सम्पूर्ण दोआबा में एक और प्रलयंकारी बाढ़ से सारी खरीफ फसल बह गयी थी वहीं सिरसिया ब्लाक के इक्कीस गांवों संग्रामगंज, श्री नगरा, मोतीपुर बड़रहवा, रामपुर देवमन, बकवा, जोगन भरिया दुर्गापुर, मदरहवा, बैलहरी आदि भयंकर सूखे से त्रस्त हैं। जड़हन की फसल सूख गई थी तथा रबी की बोवाई पूर्णतया असम्भव है। केन्द्रीय भूगर्भ जल संस्थान द्वारा लक्ष्मनपुर बाजार व परसा देवतहा में दो बड़े ट्यूबवेल लगाए गए परन्तु अभी तक विद्युतीकरण न होने के कारण बेकार ही खड़े हैं।

दिनांक २२, २३ नवम्बर, १९७८ की रात में भयंकर ओलावृष्टि से हरिहरपुर रानी व सिरसिया विकास खंडों के पश्चिमी क्षेत्रों में लगी जड़हन की फसल चौपट हो गई और रबी में बोई हुई लाही, सरसों कटकर लगभग समाप्त हो गई है। सम्पूर्ण तराई व दोआबा में भयावह भुखमरी की स्थिति व्याप्त है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। शीघ्रातिशीघ्र केन्द्रीय भूगर्भ जल संस्थान द्वारा लगाए गए ट्यूबवेल विद्युतीकरण कराकर के चालू कराया जाय तथा टेस्ट वर्क एवं भुखमरी से निपटने के लिए अन्य राहत कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कराकर जन-जीवन एवं पशुओं को मरने से बचाया जाय। साथ ही डगमरा हथियाकुन्डा एवं सूरजकुंडा पहाड़ी कुले व बगलपुर जल स्रोत नाले पर रेगुलेटर बनाकर सिंचाई सुविधा प्रदान कराकर भविष्य के खतरे से बचाया जाय।

अस्तु अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न पर शीघ्र कार्यवाही किए जाने हेतु गरिमापूर्ण सदन एवं शासन का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करता हूं।

कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किए जाने से व्याप्त असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद में स्थित है, के सम्बन्ध में कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा कार्यालय इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित किया जा रहा है जिसके कारण हजारों परिवार संकटमय स्थित में हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय--]

जावेंगे । इस सम्बन्ध में महालेखाकार ने माननीय संस्थागत वित्त मंत्री से भेंटकर आश्वासन भी दिया था कि महालेखाकार का कार्यालय इलाहाबाद से नहीं हटाया जायगा । यह भी प्रकाश में आया है कि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ में महालेखाकार का कार्यालय खोलने के लिए भवन व जमीन की तलाश कर रहे हैं ।

यदि इलाहाबाद से महालेखाकार का कार्यालय हटाया गया तो अत्यन्त ही अन्याय होगा । उक्त आशंका से जन असन्तोष व्याप्त है । अतः उक्त विषय आपके द्वारा शासन की संज्ञान में लाकर अनुरोध करता हूं कि शासन उचित कदम उठाकर माननीय सदन को अवगत करावे ।

लखनऊ में रफाबगंज रेलवे पुल के नीचे की दीवार धस जाने व पाइप लाइन फट जाने से पानी की समस्या के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :--

यह कि लखनऊ नगर के रफाबगंज रेलवे पुल के नीचे की एक पुरानी दीवार दिनांक ६-१२-७८ को धस जाने से पानी की पाइप लाइन फट गयी और इससे सारा लखनऊ नगर बिना पानी के रहा । नगर निवासियों को अत्यन्त कष्ट सहने पड़ रहे हैं । इस गम्भीर घटना से उत्पन्न समस्या से लखनऊ नगर के निवासियों का जन-जीवन बड़ी ही दयनीय दशा में है । सरकार तुरन्त इस संकट को दूर करने की कोशिश करे वरना पानी के अभाव में नगर में तरह-तरह की छुआछूत की बीमारियां फैलने की सम्भावना है ।

आगरा के फिरोजाबाद क्षेत्र के किसानों को राजकीय कृषि खाद भंडार व एग्रो-इंडस्ट्रियल शाखा द्वारा मिट्टी मिली हुई खाद व रिजेक्टेड गेहूं बेचने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस सनसनीखेज एवं शर्मनाक कुकृत्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद में स्थित राजकीय कृषि बीज खाद भंडार व एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन की शाखा पर यूरिया एवं डी० ए० पी० खाद के बोरों में मिट्टी एवं अन्य वस्तुएं मिला कर खाद की बोरी के मुंह को बन्द कर किसानों को उपरोक्त खाद को बेचने का कुकृत्य बड़े पैमाने पर हुआ है, जिसमें सैकड़ों किसानों के खेतों को नुकसान हुआ और खेत को ऐसा खाद मिला जिसकी उत्पादन क्षमता समाप्त हो गयी है, जिस खाद की उत्पादन क्षमता समाप्त हो गई है उसकी बिक्री, उक्त संस्थाओं से मिट्टी मिलाकर की गई जिससे किसानों को नुकसान ही नहीं बल्कि सरकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संस्थाओं की साख बड़े पैमाने पर गिरी है। गत दो महीनों से उक्त संस्थानों से मिट्टी मिले खाद के बोरों के सैम्पुल तथा उत्पादन क्षमता नष्ट हुए खाद के सैम्पुल मैंने जिला कृषि अधिकारियों को भिजवाए, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मान्यवर, इतना ही नहीं, राजकीय कृषि बीज भंडार पर तो किसानों से ५३ किलो की खाद की बोरी का पैसा ५३ किलो का वसूल किया गया और रसीद ५० किलो के विक्रय मूल्य की दी गयी तथा कैश रजिस्टर में भी ५० किलो विक्रय का इन्दराज हुआ। इस प्रकार से गोदाम के इंचार्ज ने हजारों रुपया किसानों से वसूल किया और राजकीय भंडार का नुकसान किया। इसकी स्पष्ट जानकारी के बाद भी कृषि अधिकारियों ने इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया।

मान्यवर, मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद है कि बाढ़ पीड़ित काश्तकारों को सरकार ने राजकीय कृषि बीज भंडार से गेहूं का ऐसा बीज वितरित किया जो बीज नहीं है और भीगा हुआ गेहूं है तथा रिजेक्टेड क्वालिटी का माल है, जिससे सैकड़ों बाढ़ पीड़ित किसानों के खेत बंजर रह गए और बीज का कर्जा सरकार का उनके छाती पर सवार हो गया। एक तरफ तो दैवी आपदा ने उन्हें मारा, दूसरी तरफ सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों ने उन्हें भीगा रिजेक्टेड क्वालिटी और गैर बीज का गेहूं बीज में देकर उनको बेहद क्षति पहुंचाई है, इससे जनपद के समूचे काश्तकारों में जन असन्तोष की भावना व्याप्त है और सरकार के प्रति बेहद आक्रोश व किसानों में उपरोक्त अनियमितताओं को लेकर संघर्ष की भावना व्याप्त हो रही है।

मान्यवर, उक्त बीज का सैम्पुल नमूना जो उक्त बीज भंडार के अधिकारियों की उपस्थिति में लिया गया है, को और यूरिया खाद का सैम्पुल जो एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की ब्रान्च का है, को तथा डी० ए० पी० खाद का नमूना जो राजकीय कृषि बीज भंडार से लिया गया है, को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं और यह मांग करता हूं कि इनका परीक्षण कराया जाय और सम्बन्धित अधिकारियों को तुरन्त मुअतल किया जाय, जांच सतर्कता अधिष्ठान को दिया जाय। जांच से सदन को अवगत कराया जाय।

यह नमूने मैं आपके सम्मुख यहां उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

यहां उपस्थित करने की जरूरत नहीं है। कृषि मन्त्री जी के कमरे में जाकर दे दीजिये।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मैं चाहता हूं कि इस बीज की जांच कर ली जाय और फिर उसकी जानकारी सदन को करा दी जाय। उन अधिकारियों को तत्काल निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है कृषि मन्त्री जी के पास इसको भेज दें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

श्रीमन्, यह खाद है...

श्री अध्यक्ष—

आप कृषि मन्त्री जी के कमरे में जाकर इसको भी दे दें।

वर्ष में ३ अधिवेशन तथा ९० उपवेशन होने के सम्बन्ध में विधान सभा द्वारा पारित संकल्प के पूरा न किये जाने के विषय में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आप धारा १४ को देखें। इसके पहले कि मैं धारा १४ पर आऊं मैं सदन को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि १९७० में एक संकल्प हुआ सर्वसम्मति से और उस समय मुख्य मन्त्री चौधरी चरण सिंह थे। एक संकल्प हुआ कि ९० दिन का कार्य प्रति वर्ष हुआ करेगा। चूंकि वह कम हो रहा था पिछले सत्र में तो कृपा करके सदन ने यह संशोधन कर दिया कि जो धारा १४ में है जो इस प्रकार है। "अनुच्छेद १७४" के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के ३ अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और ९० दिन के उपवेशन होंगे।" मैंने इसको क्यों पढ़ा ? इसलिए कि दो बातें देख लें। प्रत्येक वर्ष में, वित्तीय वर्ष नहीं, प्रत्येक कलेन्डर वर्ष में यह मतलब है। जो मुझे मालूम है वह यह है कि इस सत्र के पूर्व ४५ या ४६ बैठकें हो चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप पहले अपनी पूरी सूचना पढ़ दें।

श्री श्यामधर मिश्र—

विधान सभा की नियमावली संशोधित हो चुकी है और उसकी संशोधित धारा १४ के अनुसार प्रत्येक वर्ष में ९० दिन के उपवेशन होंगे। यह संशोधन पिछले सत्र में ही हो गया था पिछले सत्र तक लगभग ४५ बैठकें हो चुकी हैं। सरकार यदि चाहती तो कम से कम ३५ दिन का सत्र नवम्बर, दिसम्बर में कर लेती पर जो सूचना मिली है उसके अनुसार यह शीतकालीन अधिवेशन केवल १० दिनों का होगा। इसके माने यह हुये कि केवल अधिकतम अधिवेशन की संख्या ५५ से ज्यादा वर्ष भर में नहीं हो सकती। यह सरकार द्वारा नियमों का सर्वथा उल्लंघन है और आपत्तिजनक है। एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि मेरे सामने एक पुस्तक है। माननीय खेर जी उस समय अध्यक्ष थे और संसदीय समिति की ओर से इस पुस्तिका में यह दिया गया है कि कहां-कहां कितनी सभाएं होती हैं। लोकसभा १२० से १५० दिन। लेकिन उत्तर प्रदेश और तीन चार अन्य प्रदेश हैं जहां न्यूनतम होती हैं। महाराष्ट्र, तामिलनाडु में ७०, ८० सिटिंग्स होती हैं। वहां कुछ मुख्य बातें रहती हैं कि दो सेशन के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए क्योंकि जो माननीय सदस्यों का अधिकार है वह अधिकार अध्यादेशों द्वारा यह सरकार ले लेती है। यह जो ३ महीने का सत्रावसान हुआ इसमें कम से कम ९, १० अध्यादेश जारी कर दिये जिसका अधिकार विधान सभा को प्राप्त है। इसलिए इसके द्वारा हमारे अधिकारों और माननीय सदन के अधिकारों का हनन हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस पर आप व्यवस्था दें। यह आपत्तिजनक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

श्यामधर जी, आपने नियमावली की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया है। उस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। आपका दूसरा प्रश्न नियम २२ के बारे में है। उसको आप बाद में लीजियेगा' (माननीय संसदीय कार्यमन्त्री को पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मैं एक मिनट में अपनी बात कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मुझे भी निवेदन करना है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको अनुमति नहीं दी।

श्री ऊदल--

मैं उस पर विवाद नहीं करना चाहता। अगर आप इजाजत देंगे तो बोलूंगा नहीं तो नहीं।

श्री कृष्णाराय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मेरी भी बात सुन लें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

एक मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि पहले संसदीय कार्य मन्त्री को सुन लें। उसके बाद आवश्यकता हो तो मैं आपको सुनूंगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

[* *]

श्री अध्यक्ष--

शतरुद्ध जी, मैंने कहा कि व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती। एक व्यवस्था के प्रश्न को पहले समाप्त होने दीजिये। बाद में इसे लीजिये।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

[* *]

नोट:--[* *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा

श्री अध्यक्ष--

यह श्री शतरुद्र जी जो कह रहे हैं यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री कृष्ण राय--

एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए ।

श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)--

यहां जान खतरे में है ।

(व्यवधान)

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

इनको सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मैं मिश्रजी से निवेदन करना चाहता हूं वह पुरानी सरकार के गलत कामों को उजागर करने का काम कर रहे हैं । वह ठीक है । सन् १९७० में सदन द्वारा फैसला हुआ कि कम से कम ९० बैठकें हों और ३ सत्र हों । जब हम विरोध में थे तो इस बात को स्वीकार करते थे । तो हमने मान्यवर, शासन में आते ही नियम समिति में और मैंने संसदीय कार्य मन्त्री की हैसियत से उसको स्वीकार किया । मिश्रा जी चाहते हैं कि सारा कूड़ा कचड़ा ३० साल का हम एक ही दिन समाप्त कर दें । अब अगर हम रोज भी मीटिंग बुलायें तो भी काम समाप्त नहीं होगा । आपको याद होगा मैंने आते ही आपके समक्ष स्पष्ट कर दिया था कि हम जनवरी, १९७९ से लेकर ३१ दिसम्बर, १९७९ में जो वर्ष होगा उसमें नियमावली का पूर्णतया परिपालन करने का प्रयत्न करेंगे । क्योंकि हमको पूरा वर्ष मिल जाएगा । आज समय नहीं है, उस पर कोई आश्वासन देना मेरे लिए ठीक नहीं है । मिश्रा जी ने जो कहा, जो पुरानी सरकार ने लोकतन्त्र के विरुद्ध कार्य किया और इस सदन का अवमान किया था, उसकी ओर उन्होंने सदन का ध्यान दिलाया उसके लिए धन्यवाद । इस सत्र के समाप्त होते ही, अगला वर्ष शुरू होगा, हमें सम्पूर्ण वर्ष मिल जाएगा, तो मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो हमने नियम में लिख दिया है, उसका पालन करने के लिए यह सदन और आप सक्षम हैं, उन नियमों के विरुद्ध मेरे कार्य करने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने आश्वासन दे दिया है, माननीय मिश्रा जी ने जो प्रश्न उठाया था, यह स्पष्ट हो गया है (नेता विरोधी दल के खड़े होने पर) अब तिवारी जी कोई प्रश्न नहीं । यह आश्वासन है कि आगे से सदन ९० दिन का होगा ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

उन्होंने कहा है कि मैं प्रयत्न करूंगा, स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है ।

श्री कृष्ण राय---

[× × ×]

श्री अध्यक्ष --

जो कृष्ण राय कह रहे हैं वह प्रोसीडिंग में नहीं लिखा जाएगा ।

श्री राम आसरे अग्निहोत्री--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए, मैंने आपको इजाजत नहीं दी । (व्यवधान) बिना मेरे संज्ञान में लाए आप खड़े हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री बड़े वाकपटु हैं, अपने वाकजाल और वाकधारा के द्वारा, वर्तमान में उन्होंने जो त्रुटि की है, उस पर पर्दा डालने का निष्फल प्रयास कर रहे हैं । वह पुरानी याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी कोई प्रस्ताव पास हुआ था, वह अपनी बातों में पुरानी बात का उद्धरण दे रहे हैं । मैं उनकी याददाश्त को तजा करूं, जो पहले काम किये गये, सब नियमों के अनुसार किये गये । अधिवेशन जितने आवश्यक थे, हुए और जितने दिन चलना आवश्यक था, वह चले । यह ठीक है कि नियमों में पहली बार आपने समीकरण किया । लेकिन निन्दा भी करता हूं कि आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि ९० दिन सदन चलने की व्यवस्था होगी । उन्होंने कहीं यह आश्वासन नहीं दिया कि ९० दिन सदन चलेगा । उन्होंने कहा कि ९० दिन चलाने का प्रयत्न करूंगा । 'प्रयत्न करूंगा' का संसदीय भाषा में अर्थ टालना है । (व्यवधान) मैं चाहूंगा कि सत्य प्रकाश जी असत्य को अपने हाथों से हटायें । इस सदन में नेता सदन उपस्थित हैं, वह स्पष्ट करें कि वर्तमान सत्र में ९० दिन सदन चलेगा, तो मुझे स्वीकार है ।

श्री ऊधल--

मान्यवर, आपके कक्ष में हमेशा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, उसमें प्रत्येक आइटम का टाइम तय होता है । आपको भी याद होगा, मुझे भी दो तीन बार जाने का मौका मिला तो संसदीय कार्य मन्त्री प्रत्येक मीटिंग में यह चाहते हैं कि कम से कम टाइम दिया जाय, बहुत झगड़ा करते हैं कि कम से कम टाइम दिया जाय, और ऐसे विधेयकों पर जिस पर एक दिन लग सकता है संसदीय कार्य मन्त्री चाहते हैं कि एक घंटा का समय उस बड़े विधेयक पर रखा जाय । उनके पुरानी जान पहचान और व्यक्तिगत दोस्ती भी है, जिसकी वजह से झुकना पड़ता है और उनकी बातों को मानना पड़ता है ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट- × × × यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ऊदल, रुकिए । कार्य मंत्रणा समिति की कार्यवाही की चर्चा यहां करना उचित नहीं है ।

श्री ऊदल--

मैं इस लिए कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि प्रयत्न करेंगे । मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं । लेकिन आपको भी दखल देना पड़ता है । आज माननीय मन्त्री जी ने कहा कि आप सक्षम हैं । यह तो भविष्य बताएगा कि आप सक्षम हैं, कार्य मंत्रणा समिति सक्षम है या संसदीय कार्य मन्त्री सक्षम हैं या सदन सक्षम है । मैं चाहता हूं कि वह स्पष्ट कहें । प्रयत्न करने की बात नहीं है, कि अगले वर्ष, यह साल बीत गया, भले ही नियमों में संशोधन हुआ, अगर रोज चलाएं तो नहीं चल सकता है, नियमों में आपने संशोधन मान लिया है, आपको धन्यवाद । अगले साल आप ९० दिन चलाएंगे । प्रयत्न करने की बात नहीं है, प्रयत्न करने से कम नहीं चलता । यह भविष्य बतायेगा । स्पष्ट आश्वासन संसदीय कार्य मन्त्री का होना चाहिए कि ९० दिन सदन चलेगा ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री मैनेजर सिंह को बुलाने पर) पुनरावृत्ति न कीजिये । संक्षेप में कहिए ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों में व्यवस्था नहीं थी, किन्तु इस सदन का निश्चित प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को शासन को, हमारे माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को आदर करना चाहिए था । इन्हें पहले ही ९० दिन बैठक का प्राविधान करना चाहिए था । इसमें संसदीय कार्य मन्त्री का दोष नहीं है । दोष इन कुर्सियों का है । उधर विरोध पक्ष में बैठते हैं तो ज्ञान बढ़ जाता है, इधर शासन पक्ष में बैठते हैं तो ज्ञान शून्य हो जाता है । हम लोग जब इन बेंचों पर बैठा करते थे तो बराबर मांग करते थे, लड़ते थे अधिक दिनों तक सदन चलाने हेतु । मन्त्री जी ने कहा कि हम प्रयत्न करेंगे, मन्त्री जी की जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिए कि नियम का पालन करेंगे । हमने नियम बनाया, नियम का पालन करना चाहिए । माननीय अध्यक्ष जी आप इस सदन की गरिमा और अधिकार के रक्षक हैं । आप शासन को स्पष्ट निर्देश दें कि जो नियम स्वीकृत हुआ है आप उस नियम का पालन कराएं, शासन से, संसदीय कार्य मन्त्री से । मैं आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं है । यह व्यवस्था का प्रश्न है । इस पर दोनों पक्षों से बात हो गयी । इस पर विवाद की आवश्यकता नहीं है ।

श्री शत्रुद्ध प्रकाश--

एक सुझाव है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए आप बिना इजाजत के बोलने लगते हैं । मैं आगे वाद-विवाद की इजाजत नहीं देता हूं । अब इस पर विवाद नहीं होगा ।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, एक अन्य विषय पर, जिसका सम्बन्ध विधान सभा से है, उसकी जानकारी केवल आप ही दे सकते हैं। मैं जानकारी करना चाहता हूं कि विधान सभा के सदस्य खैरागढ़, जनपद आगरा, श्री गुरुदत्त सोलंकी ने, मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा, जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। यह प्रश्न मेरे सामने नहीं है।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

जब आपने आज्ञा दी, यह आप क्या कर रहे हैं। यह आप खुद मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

श्री मानसिंह, आप सदन का अपमान करते हैं। अगर आप पुनरावृत्ति करेंगे तो आपको सदन से निष्कासित कर दिया जायगा। यह प्रश्न जो श्री श्यामधर जी ने उपस्थित किया है वह संविधान के अनुच्छेद १७४ के अधीन, आप लोग शान्त रहिए, सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती है। उसमें केवल इतनी व्यवस्था है कि दो सत्रों के बीच में ६ महीने से ज्यादा की अवधि नहीं होगी, लेकिन यह सदन का प्रस्ताव है और मैंने माननीय संसदीय कार्य मन्त्री का भी ध्यान आकर्षित किया है और मुख्य मन्त्री का भी कि ९० दिन से कम दिनों का सेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है और मैं मुख्य मन्त्री जी से और संसदीय कार्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वास्तव में १९७९ में ९० दिन का अधिवेशन अवश्य होना चाहिए। अब यह प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मेरी एक आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। आप बैठिए। (शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जाइये। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा सदस्य श्री राम आसरे अग्निहोत्री की सुरक्षा तथा घाटमपुर, कानपुर में पुलिस का ज्यादतियों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये, श्री श्यामधर मिश्र जी ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती है । यह सब कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

[× × ×]

(कई सदस्यों के खड़े होने पर शोर)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

उसका नियम है । यह सब कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा । जब तक राम आसरे लिखकर नहीं देंगे मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

आप सारा काम रोक कर इस पर विचार करिए । उनकी हत्या हो जावेगी ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

[× × ×]

(घोर शोर)

नोटः--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

(घोर व्यवधान के बीच)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, मैं किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। यह कुछ लिखा नहीं जायेगा। बिना मेरी अनुमति के जो भी माननीय सदस्य बोलेंगे वह कार्यवाही में लिखा नहीं जायेगा।

एक सदस्य--

इस तरह से यह सदन कैसे चलेगा, जब आप अनुमति नहीं देंगे तो यह सदन नहीं चलेगा....

(व्यवधान)

*डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

मान्यवर, माननीय सदस्य की जान खतरे में है, आप उन्हें सुन लें और सरकार से वक्तव्य तो दिलवा दें। इनके लोगों को नंगा करके पुलिस परेशान कर रही है।

(व्यवधान)

*वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य श्री अग्निहोत्री जी को सुन लिया जाये क्योंकि उनके जीवन से सम्बन्धित प्रश्न वे रख रहे हैं, इस समय उनको मौका दे दें।

(श्री राम आसरे अग्निहोत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि यह विधान सभा नियमों के मुताबिक संचालित होती है। आप ही इस सदन के संरक्षक हैं। जब माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुये तो आप चाहते तो उनको उसी समय इजाजत दे सकते थे, आपने जब इजाजत नहीं दी तो बहुत से माननीय सदस्यों ने उसका प्रतिरोध किया और आप पर दबाव डाला। उस पर भी आप नहीं माने और आपने इजाजत नहीं दी। आपने माननीय सदस्यों की भावनाओं को इग्नोर किया, किन्तु जब माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने उन्हीं माननीय सदस्य को बोलने के लिए इजाजत देने के लिए कहा तो आपने उनको बोलने की इजाजत दे दी। मेरी इस पर आपत्ति है। अगर आप अपने विवेक से कोई काम करते हैं तब तो ठीक है, अगर एक मन्त्री द्वारा आप संचालित होंगे और माननीय सदस्यों के अधिकारों और उनकी भावनाओं पर चोट करेंगे तो यह निश्चय ही सदन का आपके द्वारा अवमान है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उदित नारायण (जिला हमीरपुर)--

मान्यवर, माननीय ऊदल जी की आवाज में मैं भी अपनी आवाज मिलाना चाहता हूं। हम लोगों की बात को आपने नहीं माना, किन्तु जब माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने आपसे कहा तो आपने उसे मान लिया। यह क्या तमाशा है कि एक वाइव ने कह दिया तो आपने मान लिया और इजाजत दे दी और जिन माननीय सदस्य पर बीत रही है उसकी यहां कोई वकत नहीं है। क्या फायदा फिर यहां बैठने से....

(व्यवधान)

८ सितम्बर, १९७९ की कार्यवाही के कुछ अंश को कार्यवाही से निकाले जाने पर आपत्ति

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

८ तारीख को पिछले सत्र में मैंने यहां पर बोलते हुए यह कहा था [× ×] वह सब कार्यवाही से निकाल दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है।

(व्यवधान)

हरि केवल जी ने भी पृष्ठ १३९ पर कहा था [× ×] वह सब कार्यवाही से क्यों काट दिया गया ?

(व्यवधान)

जिन पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कार्यवाही का अंग रहेगा व्यवस्था दी थी, इसकी जांच कराने की अवश्यकता है।

(शेम-शेम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष—

यह जो श्री जायसवाल ने कहा है, यह आक्षेप है। यह मैं पुनः कहता हूं कि कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

[× ×]

विधान सभा सदस्य श्री राम आसरे अग्निहोत्री की सुरक्षा तथा घाटमपुर कानपुर में पुलिस की ज्यादतियों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)--

१२/१३ सितम्बर, १९७८ की रात को कानपुर जनपद के अन्तर्गत घाटमपुर थाने के चौबेपुर ग्राम में डकैती पड़ी थी, जिसमें २४ व्यक्ति घायल हुए और उसमें काफी माल लूटा गया। वहां पर दो कांस्टेबिल राइफलों से लैस

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मौजूद थे, लेकिन उन्होंने गांव वालों की कोई मदद नहीं की, जिससे डकैतों को डकैती डालकर भागने में सहूलियत मिली। गांव वालों ने इसकी लिखित शिकायत मुझे दी क्योंकि पहले से ही ग्रामवासियों का यह ख्याल था कि थाना-ध्यक्ष ऐसे मामलों में जैसी कार्यवाही करनी चाहिये, नहीं करते। यह भी मुझे बताया गया कि थानाध्यक्ष इस रिपोर्ट को जैसा मुद्दई लिखाना चाहते थे, उस तरह न लिख कर अपराध को छोटा करके लिखना चाहते थे। जब उक्त डकैती पड़ी थी, तो उस समय वहां पर थानाध्यक्ष एक गांव में मौजूद थे, वह डकैती गांव में दो घर निरंतर लूटते रहे। इंस्पेक्टर से वहां के लोगों ने विनम्र प्रार्थना की और वहां के लोगों ने मदद मांगी, तो उन्होंने कोई मदद नहीं की। गांव वालों ने मुझ से यह भी शिकायत की कि निरीक्षक प्रभारी मुद्दइयान को मजबूर कर रहे हैं कि वे लिख कर दें कि घटना के समय कोई पुलिस वाले मौजूद नहीं थे जब कि मुद्दइयान उन सिपाहियों के खिलाफ लिखाना चाहते थे। उनकी एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की गई। ४०-५० लोग मेरे पास आये, उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में गांव लुटता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस प्रकार हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते। इस अभिप्राय से मैं थाने गया। वहां श्री बाबूराम जाटव, निरीक्षक प्रभारी, घाटमपुर मौजूद थे मैंने उनसे कहा कि ग्रामवासी जब अपनी रिपोर्ट उस घटना स्थल पर सिपाहियों का मौजूद होना और कोई कार्यवाही न करने की बात भी लिखाना चाहते हैं तो उसे रिपोर्ट में लिखा जाना चाहिये। इस पर श्री बाबूराम जाटव ने मुझसे कहा कि आप घाटमपुर पुलिस के विरुद्ध असेम्बली में प्रश्न उठा चुके हैं, अब आपको जो कुछ भी इस विषय में कहना हो उसे असेम्बली में प्रश्न उठा कर कहें। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा और न ही सिपाहियों के मौजूद होने की बात रिपोर्ट में लिखी जायेगी। इसके बाद श्री जाटव ने मुझसे कहा कि आप डकैती डलवाते हैं। आप थाने की सीमा से निकल जाइये। थाना ध्यक्ष ने मुझे भद्दी-भद्दी गालियां दी।

(शेम-शेम की आवाजें)

उन्होंने मुझे बुरी तरह से अपमानित किया। मैंने गांधी जी के सिद्धान्तों को लेकर एक थाने की बाउन्डरी के पास एक कुर्सी पड़ी हुई थी वहीं पर बैठ गया। मैंने कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक कि पुलिस का कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं आ जायगा। मैंने एक टेलीग्राम करायी। जब मैंने देखा कि यहां से ज्ञानपुर ५१ किलो मीटर दूर है, मैंने देखा कि विलम्ब होगा, तो मैं अपने कमरे को चला गया। मेरे कमरे में ५० लोग गये, १४ घायल लोग गये। मैं इन्तजार कर रहा था कि वहां पर कोई अधिकारी आ जायगा, तो उनके सामने समस्यायें रखूंगा, ९ बजे तक कोई नहीं आया, तब मैं एस० एस० पी० के पास गया। मैंने कहा कि इनकी कोई दवा दारू तथा इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। एस० एस० पी० साहब ने मुझसे कहा कि मैं इनके इलाज करवाने की व्यवस्था कर रहा हूं, लेकिन आपने एक काम खराब किया है। मैंने कहा कि कौन सा काम खराब किया है, उन्होंने कहा कि आपने दरोगा को चांटा मारा। मान्यवर, मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि मैंने कोई तमाचा नहीं मारा है। मान्यवर, उसके बाद मैं माननीय गृह मन्त्री जी से, माननीय मुख्य मन्त्री जी से मिला, मैंने बताया कि इंस्पेक्टर ने ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि जाकर असेम्बली के अन्दर कहिये और अगर इस तरह की बदतमीजी की बातें कहेंगे, तो मैं मार जूतों, मार डंडे ठीक कर दूंगा। मैंने माननीय गृह मन्त्री से और माननीय मुख्य मन्त्री जी से

[श्री राम आसरे अग्निहोत्री--]

प्रार्थना की । माननीय गृह मन्त्री जी ने यह कहा कि वहां के जिले के अफसरों का यह कहना है कि अगर इस समय उस थानेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायगी तो उस जिले की पुलिस डिमोरेलाइज हो जायगी ।

(शोर--शेम--शेम की आवाजें)

मैंने कहा मान्यवर, ठीक है मैं डिमारेलाइज हो जाता हूं, लेकिन आप अन्याय न करें । तीन महीने हो चुके हैं, क्या हो रहा है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

ऐसे गृह मन्त्री को इस्तीफा देना चाहिये । गृह मन्त्री इस्तीफा दें ।

श्री राम आसरे अग्निहोत्री--

२/३ अक्तूबर को थाना घाटमपुर के बरईगढ़ ग्राम के अन्तर्गत कमलेश अग्निहोत्री की हत्या कर दी गई और जिसमें श्री बाबू राम जाटव इन्सपेक्टर जो मेरे विरुद्ध गवाह है उनके नाम एफ० आई० आर० है । उनको गिरफ्तार नहीं किया गया । मैंने मुख्य मन्त्री जी को लिखा लेकिन आज तक न मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया और न इन्सपेक्टर के खिलाफ कार्यवाही की गई । आज स्थिति यह हो गयी है कि आज मेरी जिंदगी खतरे में है । मैं अपने क्षेत्र में जनता के बीच में नहीं जा पा रहा हूं । मेरे एक साथी शिव दुलारे लाल बाजपेयी को मोटर ऐक्ट के मुकदमें के अन्तर्गत पकड़ा गया और उनको नंगा करके चौराहे पर घुमाया गया ।

(शोर तथा शेम--शेम की आवाजें)

यह आज कल वहां की जो व्यवस्था चल रही है आज तक गृह मन्त्री ने कोई ध्यान नहीं दिया । मुख्य मन्त्री ने कोई ध्यान नहीं दिया, हमने हर तरीके से प्रार्थना की । मैं मांग करता हूं, गृह मन्त्री जी से मान्यवर, आपके माध्यम से कि वह घोषणा करें कि उसको निलम्बित किया जायगा वरना आज जिस तरीके से पुलिस की व्यवस्था चल रही है मैं वह बर्दास्त करने की स्थिति में नहीं हूं । इसी तरह से २८/२९ सितम्बर को जहांगीराबाद ग्राम में डकैती पड़ी । इसी इन्सपेक्टर ने वहां धमकाया और कहा कि अगर जरा डकैती की रिपोर्ट लिखायी तो बन्द कर दिया जायगा । ३२३ की रिपोर्ट लिखी गयी । यह व्यवस्था चल रही है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

इस पर कोई विवाद नहीं होगा ।

(शोर)

आप बैठ जायें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

यह बहुत गम्भीर प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, मैं खड़ा हूं ।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मेरी बात सुन लें.... ।

(शोर)

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा सिन्धु (जिला आगरा)—

मेरी बात सुनिये । मैंने टेलीग्राम दिया है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

जो सदस्य बिना इजाजत के बोलेंगे वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा सिन्धु—

[× ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

[× ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । आप लोग कृपया शान्ति रखिये ।

मैं माननीय सदस्यों से, माननीय नेता सदन और माननीय विरोधी पक्ष के नेता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधान सभा का संचालन नियमों के अनुसार ही हो सकता है । श्री राम आसरे का एक प्रश्न विशेषाधिकार का भी हमारे सामने विचाराधीन था और मैंने कल के लिये निश्चित किया था कि रखूंगा । सदन में कोई प्रश्न उपस्थित करना जब तक हमारे संज्ञान में न हो, तब तक उचित नहीं है । इसलिये मैंने उनको अनुमति नहीं दिया था । उन्होंने स्वयं जो प्रश्न मुझको लिखकर दिया मैंने उस पर गृह मन्त्री और मुख्य मन्त्री का ध्यान भी आकर्षित किया और इस विषय पर, जिसकी चर्चा श्री राम आसरे ने किया, विशेषाधिकार का प्रश्न हमारे सामने विचाराधीन था । व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं हुआ करती है । श्री ऊदल का कहना सही था कि मैंने उनको अनुमति नहीं दिया लेकिन यह मेरा कर्तव्य है कि मैं देखूं कि सदन शान्तिपूर्वक चले, इसलिये जब मैंने श्री राम आसरे को इजाजत दिया, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री के सुझाव पर तो मैंने नियमों को निलम्बित कर दिया । श्री उदित नारायन का इस पर रिमार्क अत्यन्त अनुचित है । क्योंकि या तो आप यहां पर जब प्रक्रिया

नोट—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री अध्यक्ष—]

नियमावली के मालिक हैं तो उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, कोई प्रस्ताव ला सकते हैं कि जिस समय कोई भी सदस्य चाहे बिना किसी नोटिस के, बिना नियम के होकर खड़े होकर अपनी बात कह सकता है। लेकिन उसमें फिर हंगामा होगा। इस प्रकार नियमावली में संशोधन करने का आपको अधिकार है। एक प्रस्ताव द्वारा नियमावली का संशोधन कर दें। तो उस समय जब सदस्य को शिकायत होगी वह बिना अध्यक्ष के संज्ञान में लाये ही जब चाहे आपनी बात कह दिया करेंगे। श्री राम आसरे अग्निहोत्री ने अपनी बात कह दिया। मैं गृह मन्त्री और मुख्य मन्त्री से अपेक्षा करता हूं कि वह इसके बारे में पूरी तरह जो उन्होंने सदन के अन्दर अपनी शिकायत की है, उस पर शीघ्र ही, यदि संभव हो सके तो कल या आज इसके सम्बन्ध में वक्तव्य दे दें।

*गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, जो विषय अभी श्री राम आसरे अग्निहोत्री ने सदन के सामने उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य मुझसे मिले भी थे और मुझे जानकारी है कि अपनी समस्या के बारे में वह मान्यवर, आपसे और आपने स्वयं मुझे टेलीफोन पर सारी स्थिति से अवगत कराया था। मुख्य मन्त्री जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। इस सम्बन्ध में मान्यवर, पुलिस का आरोप यह था कि श्री अग्निहोत्री वहां गये और उस सब-इन्सपेक्टर से बातचीत के दौरान वह उत्तेजित हो गये और तब उन्होंने उसका गिरेबान पकड़ लिया।

(व्यवधान) (शोर)

अनेक सदस्य—यह झूठ है।

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

आप बैठ जायं। यह झूठ है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

आप विधायकों के सामने सरकारी अफसरों की बात माने जा रहे हैं [× ×] इस तरह काम नहीं चलेगा।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

आप पुलिस दरोगा को पकड़ें। तीन महीने से यह हो रहा है। मान्यवर, गृह मन्त्री दरोगा का पक्ष ले रहे हैं।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

मन्त्री जी [× ×] कह रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, एक विधायक को मन्त्री जी झूठ बता रहे हैं। गृह मन्त्री को शर्म आनी चाहिये।

*श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादबाद)--

यह सवाल सिर्फ एक सदस्य का नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह, हर जिले में यही हाल है लेकिन मन्त्री जी हमारी बात का इत्तबार नहीं करते केवल पुलिस वालों का इत्तबार किया जाता है। तब हमारी क्या कीमत होगी? जब हमारी कीमत नहीं होगी इनकी भी कोई कीमत नहीं होगी यह भी जिन्दा नहीं रहेंगे। अगर हमारा सम्मान नहीं किया जायगा तो।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष जी, एक मिनट आप इजाजत दें....

श्री अध्यक्ष--

सब को छूट है जो चाहे कह सकते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय राम आसरे जी अग्निहोत्री ने कहा....

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मेरी एक प्रार्थना है....

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह तय करना पड़ेगा....

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

यह नरेश पाल सिंह का मुख्य मन्त्री जी के नाम पत्र है। चार महीने बाद मुख्य मन्त्री जी ने पत्र का उत्तर दिया और उस विधायक की हत्या हो गयी और चार महीने (शेम-शेम की अवाजें) देखिये इन के काले कारनामे। विधान सभा की मर्यादा समाप्त हो रही है और आप उस मर्यादा के प्रतीक हैं। चार महीने के बाद मुख्य मन्त्री जी ने उत्तर दिया। यह देखिये और विधायक की हत्या हो गयी।

श्री कृष्ण राय--

उनको हटाइये।

श्री मुकीमुर्रहमान--

पुलिस अधिकारियों।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

मान्यवर, दो मिनट के लिये आज्ञा चाहिये ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दें तो इस मामले में मैं आपकी सहायता करूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं ।

*श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो मेरी जानकारी में जो सूचना है मैं उसे आपके सम्मुख रखूं (अनुमति दिये जाने पर) जिस दिन की घटना का जिक्र श्री राम आसरे अग्निहोत्री जी ने किया है सम्मानित सदन के सामने, देवयोग से उस दिन मैं यमुना की बाढ़ देखने घाटमपुर से गुजर रहा था । यमुना की बाढ़ देखकर लौटते हुये मुझे इस घटना की जानकारी वहां पर जनता के बहुत से लोगों से हुई । यह बात सही है जैसी कि मुझे सूचना मिली कि वहां के सब इन्सपेक्टर ने जो भी रहे हो मैं उनका नाम नहीं जानता अभद्र व्यवहार माननीय सदस्य के साथ किया (शेम-शेम की आवाजें) मान्यवर, यह नहीं हुआ उस इन्सपेक्टर महोदय ने विरोधी दलों, कांग्रेस या और दलों के लोगों को लेकर इसे एक राजनीतिक मसला बनाने की कोशिश की । और हाल यह हुआ कि कस्बे में तनाव बढ़ गया । शाम को ५-६ बजे कई सौ आदमी इस विषय में चर्चा कर रहे थे । एक राजनीतिक दल कुछ कह रहा था। दूसरा कुछ कह रहा था।

उसी दिन, मान्यवर, मैंने कानपुर के एस० एस० पी० वहीं के डी० आई० जी० से टेलीफोन पर बात की । मैंने कहा कि प्रशासनिक दृष्टि से भी (चाहे कोई दोषी हो या न हो) उस इंसपेक्टर को वहां से हटा दिया जाय क्योंकि विधायक का ट्रान्सफर तो हो नहीं सकता....

एक सदस्य—

हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री मोतीराम—

मेरी बात तो सुन लें । प्रशासनिक दृष्टि से भी शासन चलाने के लिए उस सब-इसपेक्टर का ट्रान्सफर कर दें, यह मैंने उनसे कहा । मैंने गृह मंत्री जी से भी कहा....

*श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जब माननीय राम आसरे अग्निहोत्री जी ने शपथ लेकर कहा कि मैंने कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया और न उत्तेजित होकर चांटा मारा, तो गृह मंत्री जी का यह कहना कि पुलिस रिपोर्ट में ऐसा है, मैं समझता हूं इससे बढ़कर शर्म की बात कोई नहीं हो सकती ।

(शेम-शेम के नारे लगाये गए)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक सदस्य--

मालूम पड़ता है गृह मंत्री महोदय पुलिस कप्तान हैं ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, अगर स्टेटमेंट की ही परम्परा रही, अगर उसको काफी मानते हैं और किसी विधायक की प्रतिष्ठा नहीं है तो, मान्यवर, इस तरह से विधायकों और इस सदन की प्रतिष्ठा नहीं बचेगी । पुलिस रिपोर्ट ऐसी है कि इतने दिनों बाद भी हमारे मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी को एक महीने हो रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है । अगर अपनी जानकारी से कह देते तो कुछ समझ में आता । लेकिन बार-बार कहने पर भी कह रहे हैं कि पुलिस की रिपोर्ट ऐसी है कि माननीय विधायक ने चांटा मारा और वह शपथ लेकर कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है तो आज सदन जानना चाहता है कि मुख्य मंत्री जी कम से कम उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही कर रहे हैं कि नहीं ? यह स्टेटमेंट का सवाल नहीं है । यह कार्यवाही करने का सवाल है ।

*श्री मोती राम--

मान्यवर, इस बारे में मेरी गृह मंत्री जी से बातचीत हुई । मैंने कहा कि यह थप्पड़ मारने वाली बात की पुष्टि करने की कोशिश मैंने बहुत से लोगों से की, लेकिन नहीं हो पा रही है । वह बात गलत है । मैंने वैसे भी उनसे निवेदन किया था कि प्रशासन चलाने के लिए आवश्यक है कि आप जांच चाहे जिस मशीनरी से करायें, लेकिन उस इन्सपेक्टर को वहां से हटा दें । मान्यवर, मैं और जिलों की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन इस केस को लेकर कानपुर जनपद में बड़ी चर्चा है कि वहां किसी भी विधायक की इज्जत-आबरू सुरक्षित नहीं है । कानपुर जिले में पुलिस के कर्मचारी न केवल अपराध रोकने में अक्षम हैं, बल्कि वे शह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब पुलिस कमिश्नर अप्वाइन्ट हो रहा है और हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं । वहां की पुलिस को और सर्वशक्तिमान बनाने जा रहे हैं इन ज्यादती के बाद भी । आज घाटमपुर तहसील में माननीय सदस्यों की जान खतरे में है और ऐसे कितने ही सदस्यों की जान खतरे में है ।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर विवाद नहीं । शांति-व्यवस्था पर जब आयेगी तो बोल लीजिएगा ।

*श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अभी नहीं ,

श्री बाबूराम शुक्ल--

केवल दो मिनट ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं, आप बैठिये ।

(व्यवधान)

इस तरह नहीं ।

जो माननीय सदस्य ने और मोती राम जी ने बात कही, मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में . . .

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष जी ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे सामने कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री बाबूराम शुक्ल—

माननीय अध्यक्ष जी, यह कानपुर से सम्बन्धित मसला है और चूंकि मैं कानपुर का विधायक हूं, जो मैंने देखा है मैं दो मिनट में उसका वर्णन करना चाहता हूं । मैं आपके सामने दो-तीन ऐसी बातें रखना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

श्री अध्यक्ष—

तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आज इसी पर विवाद चले ? इसको तय कर लिया जाय ।

श्री बाबूराम शुक्ल—

मैं घटना के बाद स्वयं घाटमपुर गया था । कोई थप्पड़ मारने की बात राम आसरे अग्निहोत्री की तरफ से नहीं हुई । एक बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां जो बाबू राम जाटव नाम का इंसपेक्टर है वह सभी १४ विधायकों को चैलेंज कर रहा है कि गृह मंत्री जी हमारे रिश्तेदार हैं इसलिए कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता । अध्यक्ष महोदय आप इसकी जांच करा लें । दूसरी बात मैं कहता हूं कि राम आसरे अग्निहोत्री और इंसपेक्टर के बीच में कोई विवाद था तो हरिजन सेल वहां क्या करने गया ? तीसरी बात जो सी०आई०डी० का इंसपेक्टर जांच करने गया है वह उसी इंसपेक्टर के मकान पर बैठकर गवाहों को बुलाकर राम आसरे के खिलाफ गवाही लिखाई गई है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब इस सम्बन्ध में भाषण दें या स्पष्टीकरण दें तो उस समय इन बातों को ध्यान में रखें ।

श्री अध्यक्ष—

श्री उदित नारायण शर्मा, मैंने व्यवस्था के लिए आपको इजाजत दी है ।

*श्री भगवान दीन कुशवाहा (जिला कानपुर)—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस घटना की जांच घाटमपुर जाकर मैंने स्वयं किया इसमें राम आसरे जी बिल्कुल निर्दोष पाये गए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राम आसरे अग्निहोत्री के खिलाफ यह पुलिस की ओर से साजिश थी। इनके खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने पुलिस से मिलकर सांठ-गांठ करके झूठी गवाही दिलवाई है। माननीय गृह मंत्री जी स्वयं घाटमपुर गये थे और इंसपेक्टर जाटव तहमद पहने हुए ड्यूटी पर मौजूद था लेकिन माननीय गृह मन्त्री जी ने उसको उसी समय क्यों नहीं निलम्बित कर दिया, उसे ड्यूटी पर वर्दी में मिलना चाहिये था। वह तहमद लगाये हुए मन्त्री जी को घाटमपुर थाने में मिला था और माननीय गृह मन्त्री जी ने उसे हाथ से थपथपाया था और कहा था कि आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। आपने स्टेटमेंट दिया कि विधायक लोग पुलिस के काम में इंटरफियर न करें तो विधायकों ने इंटरफियर नहीं किया फिर भी पुलिस प्रशासन का यह हाल है। मैं मांग करता हूं कि इस पुलिस इंसपेक्टर को हमेशा के लिए सेवा समाप्त कर दी जाये।

*श्री उदित नरायन---

मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने संसदीय जीवन में आज पहला मौका है जब मुझे विवश होना पड़ा इस प्रकार के शब्द को इस्तेमाल करने के लिए और इस सदन के तर्ज अमल को देखकर जिसका इस्तेमाल मैंने इसके पूर्व कभी नहीं किया था। जो तरीका इस्तेमाल किया है यद्यपि वह संसदीय नहीं है, गलत है। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं खड़ा होता हूं और मेरी बात नहीं सुनी जाती है तो आप ही बतायें मेरे पास क्या चारा रह जाता है? मैं जब भी खड़ा हुआ और आपने इशारा किया मैं फौरन बैठ जाता हूं। लेकिन मैंने इस बात को भी देखा है कि आपने कभी भी मुझे कुछ कहने का अवसर नहीं दिया है। मैं भी अपनी हैसियत रखता हूं और मुझे भी कुछ संसदीय परम्परा का अनुभव है और इस बात की अपेक्षा करता हूं कि कभी-कभी जब मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा होता हूं तो मुझे नजरन्दाज कर दिया जाता है। कभी-कभी तो आप पूंछ लें कि तुमको क्या कहना है। अध्यक्ष महोदय, आपको स्वयं इस बात की जानकारी है कि माननीय राम आसरे जी के मामले को जितना मैं जानता हूं जो रोज घाटमपुर से गुजरता है, शायद दूसरा नहीं जानता होगा। लेकिन मैं इतनी देर खड़ा रहा और मुझे बोलने की इजाजत नहीं मिली। इसीलिए मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि शायद इसके माध्यम से इजाजत मिल जाय। दूसरे सदस्यों की तरह मेरी आदत नहीं है कि मैं बिना अनुमति के बोलता रहूं। आप समझते होंगे कि मैं किस किस्म का आदमी हूं। मुझे बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि मैं इस सदन में जब भी कुछ कहने के लिए खड़ा होता हूं, मुझे इजाजत नहीं मिली और आप की नजरे इनायत नहीं हुई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस घटना के बारे में सबसे पहला आदमी हूं जिसने मुख्य मंत्री जी को एक लम्बा पत्र लिखा था, क्योंकि मुझे इस घटना के बारे में स्वयं जानकारी है। मुख्य मन्त्री जी ने कृपाकर जिस तरह से औपचारिक उत्तर दिया जाता है उत्तर दे दिया कि आपका पत्र मिला, उस पर कार्यवाही हो रही है। श्रीमन्, उसके बाद मैंने दूसरा पत्र लिखा बड़े विस्तार से लिखा। अगर उस पर ध्यान दिया गया होता तो शायद आज सदन में सदस्यों को इतना उत्तेजित होने की नौबत न आती। लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्य मन्त्री जी को उस पत्र को पढ़ने की फुरसत नहीं मिली, इसीलिए यह औपचारिक उत्तर भेज दिया। फिर उसके बाद क्या कार्यवाही हो रही है, आज तक पता नहीं चला। अभी पाण्डेय जी ने कहा कि इस घटना को हुए एक महीना हो गया। एक नहीं तीन महीने हो गये और इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उदित नारायन--]

बीच कानपुर और हमीरपुर के विधायक बराबर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उचित कार्यवाही हो । अगर कोई कार्यवाही हो गई होती तो शायद आज गृह मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी को इस परिस्थिति का सामना इस सदन में न करना पड़ता । श्रीमन्, मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं और शायद आपको ज्ञान हो, यह सही है कि हम लोग शासन पक्ष के हैं। लेकिन कुछ लोग शासन पक्ष में भी उपेक्षित रहते हैं । जब उपेक्षा हुआ करती है तो फिर उनके सामने कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता । सिवाय इसके कि सदन में आकर अपनी बात कहें और न्याय की मांग करें । जब प्रार्थना करते करते थक गये तब यह नौबत आई ।

*श्री विजय राज सिंह--

अभी हाल में श्री बाबू लाल वर्मा डिप्टी मिनिस्टर हमारे जिले में गए थे । उनके प्रोग्राम की इत्तिला जिलाधिकारियों को थी लेकिन उनको जिले में ठहरने को जगह नहीं दी । रात में वह डिप्टी मिनिस्टर प्लेटफार्म पर रहे । मैं भाई अग्निहोत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रशासन में जब मंत्रियों की यह हालत है तो आपकी क्या बात है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

अध्यक्ष जी, इस प्रशासन में आप भी सावधान रहियेगा ।

श्री विजय राज सिंह--

अब हालत यह है कि हमने टेलीफोन पर बात करना शुरू कर दिया जिससे अगर अधिकारी गाली भी देगा तो कम से कम पब्लिक तो नहीं सुनेगी । मैं तो कहता हूं कि एक दिन आप यह भी सुनेंगे कि किसी कैबिनेट मन्त्री को किसी दरोगा ने पीट दिया ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहें ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

आप कोई तरीका बतला दीजिये जिससे इनको शर्म आ सके ।

एक माननीय सदस्य--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....।

(व्यवधान)

*श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

सभी विधायक तेजी से हल्ला कर रहे हैं । गम्भीरतापूर्वक न कोई बात कहता है और न कोई सुनता है । इन लोगों को नशा हो गया है कि हम भारी बहुमत में हैं । मैं भी जनता पार्टी का विधायक हूं । मेरे सामने कई मुख्य मन्त्री गुजर गए, मैं पुराना सदस्य हूं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि १९ महीनों में मेरे इलाके में १९ कत्ल हो गये, ५६ डकैतियां हो गयीं । मैं आपसे और गृह मन्त्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जी से जानना चाहता हूं कि कौनसा मुंह लेकर मैं उस क्षेत्र में जाऊंगा। जनता कहती है कि बांके लाल यह जनता पार्टी की हुकूमत हैं। जितने मन्त्री हैं वह अपने को ईमानदार समझते हैं और सारे विधायकों को बेइमान समझते हैं। यह दूध के धोये लोग बैठे हैं। जब कोई विधायक अपनी बात कहता है तो सुनते नहीं और कोई पत्र लिखता है तो उसका उत्तर नहीं देते। किसलिए यह मन्त्री हैं। पुलिस कप्तान हाकिम सिंह देवरिया में बैठा हुआ है। वह हरिजन है। हरिजनों को हम तरजीह देते हैं। इनको भी गृह मन्त्री बना दिया गया। हम लोगों ने नहीं बनाया। अगर हमसे कहा जाता चुनाव के लिए तो एक भी मन्त्री इनको न चुनते। जो रास्ता इन्दिरा ने अख्तयार किया कि ऊपर से मनोनीत कर दिया, वही रास्ता जनता पार्टी ने पकड़ लिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके उतरने में दिन बहुत नहीं हैं। वही ठाठ-बाट इनके भी हैं जो कांग्रेसी लोग किया करते थे। मैं बीमार हूं, ज्यादा नहीं बोल सकता। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस उत्साह से जनता ने इनको वोट दिया उतना काम नहीं हुआ। सारी पालिसी फेल हो गई। हम जनता के सामने क्या कहें ? पुराने आदमी हैं इसलिये थोड़ा सम्मान मिल जाता है। अगर यहीं हाल रहा तो जिस तरह इन्दिरा गांधी हवा में उड़ गयीं उसी तरह से यह भी उड़ जायेंगे अगर ये अपना आचरण नहीं सुधारते हैं। अगर विधायक पीटे जायेंगे, उनकी आवाज को नहीं सुना जावेगा तो इनको लेकर क्या हम चाटेंगे ? फिर मन्त्री हम पर रोब गालिब करते हैं तो हम रोब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जिस दरोगा ने इस तरह की हरकत की है उसे तत्काल बर्खास्त किया जाय, गृह मन्त्री को मुख्य मन्त्री उनके पद से हटायें, वह उसके लायक नहीं हैं। यही मेरा निवेदन है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं दो मिनट में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

बिना इजाजत जो बोलेगा वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[× ×]

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

[× ×]

श्री अध्यक्ष—

मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[× ×]

नोट :—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

व्यवस्था का प्रश्न है । लगातार शासन पक्ष से विधायक बोल रहे हैं और आप कहते जाते हैं कि मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूं । नियम यह है कि सदन में आप जिसको पुकारेंगे वह बोलेगा लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है । तो यह सदन विधिवत् चल रहा है या नहीं चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें जो लोग मेरी इजाजत के बिना बोल रहे हैं वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात प्रस्तुत करना चाहता हूं कि स्वाभिमानी राष्ट्र में स्वाभिमानी सरकार का पहला कर्त्तव्य होता है कि वह आम नागरिक के जानमाल की सुरक्षा की गारंटी दे । हिन्दुस्तान भर में यही एक गया गुजरा सूबा हो गया है जहां जन प्रतिनिधि कहते हैं कि मेरी जानमाल खतरे में है । जहां जन प्रतिनिधियों की जानमाल खतरे में हो, अध्यक्ष महोदय, आपकी भी जान खतरे में हो फिर ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार यह अपना मुंह दिखाने लायक रह गये हैं । इसलिए मैं कहता हूं कि गृह मन्त्री से इस्तीफा ले लें अन्यथा यह लोकतन्त्र की हत्या होगी ।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा । इस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और आज पुलिस प्रशासन के बारे में प्रस्ताव भी है । श्री रामआसरे अग्निहोत्री ने जो अपनी शिकायत की, अन्य सदस्यों ने भी शिकायत की, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में जो सदस्यों ने भाव व्यक्त किये हैं, जानकारी दें कि इस सम्बन्ध में उनको क्या कहना है । (व्यवधान) राम आसरे जी आप बैठिये । लक्खी सिंह जी आप बैठिये ।

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, रामआसरे अग्निहोत्री जी ने अपने प्रति घटी घटना की चर्चा की और उससे ही सम्बद्ध करते हुए और भी माननीय सदस्यों ने अपना रोष व्यक्त किया । यह स्वाभाविक भी है । इस सदन के किसी सम्मानित सदस्य के साथ दुर्व्यवहार या अवमान किसी कर्मचारी के द्वारा होता है तो सम्बन्धित सदस्य को रोष होना, कष्ट पहुंचना, पीड़ा पहुंचना तथा अन्य सदस्यों को भी उसके साथ पीड़ा पहुंचना स्वाभाविक है । (व्यवधान) इस आधार पर जो विचार माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये हैं वह स्वाभाविक हैं । इसलिए मैं उस सम्बन्ध में इतना कहना चाहता हूं (व्यवधान) आप लोगों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उसका हम भी अनुभव करते हैं इसीलिए पहले ही उसकी गुप्तचर विभाग द्वारा जांच की जा रही थी । लेकिन मैं इस सदन में इतना जरूर बताना चाहता हूं जो भावना इस बात को लेकर व्यक्त की जा रही है कि वह जांच निष्पक्ष नहीं होगी और उसके बारे में संदेह व्यक्त किये गये, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उस अधिकारी को आज के बाद वहां पर नहीं रहने दिया जायेगा, उसका स्थानान्तरण किया जायेगा. . . . (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

यह कोई सजा नहीं है (व्यवधान)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

उसे निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री राम नरेश यादव—

इतना ही नहीं उस सम्बन्धित अधिकारी के आचरण के सम्बन्ध में उच्च अधिकारी द्वारा जांच भी करायेंगे और उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्यवाही करनी होगी वह करेंगे और की जायेगी यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं । (व्यवधान)

इस बात को ध्यान में रखते हुए हम और आप सब विधि-सम्मत राय चाहते हैं और उसी का पालन भी करना चाहते हैं । ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, जिससे अधिकारी या किसी सम्भ्रान्त नागरिक के मन में यह भावना आए कि तानाशाही के रास्ते पर जाकर किसी कारणवश उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । जहां तक उनकी सुरक्षा का सवाल है, जैसे अन्य विधायकों ने भी इस बात की मांग की है, उसको पूरा करने का प्रयास किया गया है और किया जा रहा है । श्री शिवराज सिंह को भी शैडो दिया गया था और उसी के परिणाम स्वरूप एक अभियुक्त पकड़ा भी गया है । (व्यवधान) ऐसी घटनाओं से खेद भी होता है, चिन्ता भी होती है, ऐसी घटनाएं सुखद नहीं होती हैं । इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप निश्चित जानें, जो राज्य का कर्त्तव्य है, उस दिशा में ध्यान दिया जाएगा, ताकि शिकायत सुनने का मौका न मिले । ऐसी व्यवस्था की जा रही है । जब आज आप शान्ति व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, तब यह सारे सवाल आयेंगे और हमारी ओर से उन सबका जवाब दिया जाएगा । लेकिन जिन परिस्थितियों में आप जितना चिन्तित हैं, शासन उससे कम कभी चिन्तित नहीं है । लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर सोचना होगा, कदम भी उठाने पड़ेंगे । इसमें पक्ष या विपक्ष का भी कोई सवाल नहीं है, पूरे प्रदेश की जनता का सवाल है । जहां तक अग्निहोत्री जी का सवाल है, उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में पूरी व्यवस्था की जाएगी । (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

अब यह प्रश्न समाप्त हुआ, अब आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जांच का आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने (अग्निहोत्री जी) स्टेटमेंट दिया है, आन दि ओथ दिया, अतः उसकी कद्र करते हुए इतना ही काफी नहीं है यह भी आवश्यक है कि उस अधिकारी को आप फौरन निलम्बित करें ।

विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के अनुसार विधान सभा आहूत न करने तथा कार्यक्रम की सूचना सदस्यों को समय से न मिलने पर आपत्ति

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से दूसरा व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। वह यह है कि नियमावली के नियम ४-सभा का आह्वाहन में कहा गया है "कि आह्वाहन-पत्र इस प्रकार नियत तिथि से साधारणतया चौदह दिन पूर्व सचिव द्वारा निर्गत किये जायेंगे।" इसी सम्बन्ध में मैं नियम २२ की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं, जिसमें सदन में लिये जाने वाले कार्य की सूचना के अन्तर्गत लिखा है कि "सभा के किसी अधिवेशन के प्रारम्भिक सप्ताह में लिये जाने वाले कार्य की सूचना विधान....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शान्ति बनाए रखिए।

श्री श्यामधर मिश्र--

सभा सचिवालय को अधिवेशन प्रारम्भ होने के कम से कम १५ दिन पूर्व शासन द्वारा दी जायेगी तो मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि १४ दिन पूर्व देना है तो १५ दिन पूर्व कैसे सूचित होता है। इसके अलावा कार्यक्रम में ही दिया है, सचिव ने १५ दिन पहले सूचना दी है, जबकि कार्यक्रम हमें केवल ६ दिन पूर्व मिला है, जिसकी सूचना भी मैंने आपको दी है।

(कुछ सदस्यों के एक साथ इकट्ठा हो कर बातें करने पर)

श्री अध्यक्ष--

देखिए इस प्रकार यह अवांछनीय है। आप लोग हटिए यहां से।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा मुअत्तली की घोषणा नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष--

(संसदीय कार्य मंत्री को बुलाने पर) (शोर) आप शान्त रहिए। आप बैठिए अपनी जगह पर।

(श्री मधुकर दिघे) वित्त मंत्री--

मान्यवर, मैं उनकी बात पूरी सुन नहीं सका। कई बार निवेदन किया।

श्री देव बहादुरसिंह (जिला नैनीताल)--

सदन में सचेत रहना चाहिए। वह संसदीय कार्य मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष-- (शोर)

लगता है कि सदन के माननीय सदस्य यह नहीं चाहते हैं कि आज यह सदन चले, मैं एक बार कहे देता हूं, अगर कोई सदस्य व्यवधान डालेंगे तो आज की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा। यह जिस प्रकार आप चीत्कार करते हैं यह अत्यन्त अशोभनीय है। सदस्यों को जाना है तो शान्ति के साथ जायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामधर मिश्र--

आपकी आज्ञा हो तो मैं फिर कहे देता हूं। अब तो सुनिए। मैं आपकी आज्ञा से फिर दोहरा दे रहा हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

यह संसदीय परम्परा के विरुद्ध है।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं यह कह रहा हूं कि इस सदन के आहूत करने के सम्बन्ध में नियमावली की धारा ४ को मैंने पढ़ा और यह पढ़ा कि १४ दिन का समय आहूत करने का समय दिया है, १४ दिन पहले आहूत करना चाहिए। दूसरे, धारा २२ में लिखा हुआ है कि कार्यक्रम १५ दिन पूर्व मिलना चाहिए। हमें जो नोटिस मिला है वह २८ तारीख को दी हुई सूचना तीन दिन पहले मिली है। मैंने विधान सभा सचिवालय से पता लगाया, १५ दिन पूर्व विधान सभा सचिवालय को सूचना नहीं मिली है बल्कि २८ तारीख को मिली है, इसके माने है कि केवल सात दिन पहले सूचना मिली। तो जैसा नियम में है १५ दिन पहले कार्यक्रम नहीं मिला। शासन द्वारा विधान सभा सचिवालय को १५ दिन पहले कार्यक्रम नहीं मिला। दूसरा यह कि चूंकि १५ दिन पहले नहीं मिला इसलिए हमें भी नहीं मिला। धारा, ४ और २२ में असंगत बातें हैं। इस सम्बन्ध में मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं ४ में लिखा है कि सचिव द्वारा सदस्यों को आवाहन पत्र इस प्रकार नियत तिथि से चौदह दिन पूर्व निर्गत किये जायेंगे। नियम २२ में कार्यक्रम की सूचना शासन द्वारा पन्द्रह दिन पूर्व दी जानी चाहिए जनरल क्लाजेज ऐक्ट के अनुसार जिस दिन के लिए सूचना दी जाय और जिस दिन सूचना दिया दोनों को निकाल दिया जाय तो जो सचिव को सूचना मिली है वह भी गलत मिली है। इस प्रकार जो इस सत्र बुलाया गया है अनियमित रूप से बुलाया गया है। शासन के द्वारा सात दिन पहले कार्यक्रम की सूचना मिली है, २८ तारीख को माननीय सदस्यों को सूचना दी गयी है। सूचना के माने केवल सूचना नहीं हैं, सूचना के माने कार्यक्रम, जो धारा २२ में लिखा हुआ है। इसलिए जो सत्र बुलाया गया है शासन द्वारा, वह न केवल आपत्तिजनक है बल्कि अनियमित है। इस सम्बन्ध में मैंने आपकी व्यवस्था चाहा है।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, जब आपके कक्ष में माननीय मिश्र जी ने इस प्रश्न की तरफ ध्यान दिलाया तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया था, उसको पुनः दोहराना चाहता हूं, कि माननीय सदस्यों को समय के अन्दर कार्यक्रम मिल जाना चाहिए, इसमें जो अभी तक गलतियां होती रही हैं जिसकी ओर ध्यान पहले लोगों ने नहीं दिया लेकिन अब यह ध्यान में लाया गया है, इसलिए प्रयत्न किया जायेगा कि कार्यक्रम भी मिल जाये जिससे माननीय सदस्यों को उसके अनुसार तैयारी करने में कष्ट न हो। जहां तक १४ और १५ दिन का प्रश्न है, उस सिलसिले में आपको स्वयं देखना पड़ेगा कि इस खामी को किस प्रकार से ठीक किया जाये।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न उपस्थित किया गया है, नियम ४ का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। १४ दिन पहले माननीय सदस्यों को समवेत की सूचना होनी चाहिए जो विधिवत हुई है। नियम । २२ के अनुसार शासन को अध्यक्ष के कार्यालय में सचिव के पास १५ दिन पहले कार्यक्रम की सूचना भेजनी चाहिए। कार्यक्रम की सूचना जब उन्हें मिल जावेगी तो शीघ्रातिशीघ्र उस कार्यक्रम को माननीय सदस्यों के पास भेजा जायेगा जहां तक माननीय सदस्यों का प्रश्न है इसमें किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। हमारे कार्यालय ने १४ दिन पहले आहूत करने की सूचना दी है जो नियम ४ के अनुसार है। मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है कि नियम २२ के अनुसार सदन का क्या कार्य है उन को सचिव के पास १५ दिन पहले भेज देना चाहिए। अगर यह सूचना मेरे पास १५ दिन पहले आ जाती तो मैं माननीय सदस्यों को कार्यक्रम की सूचना पहले भेज देता। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आगे वह इस नियम का पूरी तरह से पालन करेंगे और सचिव को १५ दिन पहले सूचना भेजेंगे :

श्री सत्य प्रकाश मालवीय द्वारा विधान सभा सदस्य, श्री गुरुदत्त सोलंकी के बारे में सूचना देने का प्रयत्न

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि खैराबाद, जिला आगरा के गुरुदत्त सोलंकी जो....

श्री अध्यक्ष--

यह बिल्कुल नियम के खिलाफ है। आप लिखकर दीजिए। सदन की मर्यादा भंग करना ठीक नहीं है। अखबार में निकला और बिना मेरे संज्ञान में लाये आप बोलने लगे। आप तो मंत्री भी रह चुके हैं। आप नियमों के अनुसार उठाएं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मालवीय जी, यह तरीका नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[× × ×

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, आप तो अनायास ही खड़े हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[× × ×]

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप नियम ३०१ में लिखकर दें और आपको क्या कहना है लिखकर दें और मैं अगर उस पर अनुमति देता तो आप उठाते । आप लिखकर दीजिए और मुझे विचार करने दीजिए जो आप कहना चाहते हैं वह नियम के मुताबिक नहीं है । इस तरह से सदन का कार्य नहीं चल सकता है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैं अनुमति नहीं देता हूं । (श्री सत्य प्रकाश मालवीय के बोलते रहने पर) मैं आध घन्टे के लिए सदन स्थगित करता हूं ।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही १ बजकर ५० मिनट पर आधे घंटे के लिए स्थगित हुई । २ बजकर २० मिनट पर मार्शल ने ३ बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा स्थगित किये जाने की सूचना दी । तदुपरान्त ३ बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

कहिये, क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

हमारा आप से विनम्र निवेदन है कि आज जो विधान सभा में हो रहा था उसके बारे में आपने जो व्यवस्थ दी, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन मैं मान्यवर, बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं, मैं आपकी बहुत इज्जत भी करता हूं । अगर मान लीजिए कोई बहुत लोक महत्व का प्रश्न हो और जिससे जन-असंतोष हो रहा हो और आप अनुमति नहीं दे रहे हैं तो आपके गुस्सा को देखकर बैठ तो जाऊंगा, तो ऐसी दशा में मेरा रोष होना स्वाभाविक है । आज श्री सोलंकी कोई हैं, तो उनके बारे में सदन स्थगित हो गया, कोई दरोगा जी हैं, उनके बारे में चर्चा शुरु हुई तो सदन स्थगित हो गया । एक महत्वपूर्ण बात है । मान्यवर, पूरे प्रदेश में कल बिजली की हड़ताल है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आप से शतरुद्र जी....

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

अगर मान लीजिए मैं नियमानुसार काम करना चाहता हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसे अनुभवी आदमी मेरी मदद करेंगे । कल ८ दिसम्बर से पूरी बिजली की हड़ताल है ।

श्री अध्यक्ष--

आपने व्यवस्था का प्रश्न रखा, व्यवस्था के नाम पर भाषण देने के लिए मैं इजाजत नहीं देता । माननीय नेता विरोधी दल ने वही प्रश्न काम रोको प्रस्ताव की नोटिस देकर किया है अगर आप कोई नियम मुझ से पूछना चाहते हैं कि नियम क्या है, मैं जानता हूं, शतरुद्र जी आप नियम स्वयं जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार आप कोई बात कहना चाहते हैं अगर ४२५ सदस्य इसी प्रकार से कहें, तो सदन का कोई भी कार्यक्रम जो निश्चित है, नहीं चल सकता है । तो इसलिए मैं आप से अनुरोध करूंगा क्योंकि आज का बहुत महत्वपूर्ण काम रह जायगा. . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा उठाइयें, क्या प्रश्न है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैंने आपके कक्ष में भी कहा, यहां भी कहना चाहता हूं कि मुझको कहने को नहीं मिल रहा है । कल से बिजली की हड़ताल है, यहां बिजली रहेगी कि नहीं रहेगी ? यह मैंने ३०१ में आपको सूचना दिया था । मैंने बहुत विनम्रता-पूर्वक आपके संज्ञान में यह बात लाई थी और मैंने यह भी कहा था कि अगर यह नियम में नहीं आता हो, तो इसे निरस्त कर दिया जाय । मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को चलाने के लिये मुझे जानकारी मिली है, पता नहीं सच है या झूठ, सेना बुलाई गयी है । कल विधान सभा में बिजली रहेगी या नहीं यह मैं नहीं जानता । कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं । माननीय नेता विरोधी दल ने कोई सूचना दी है मुझको जानकारी नहीं है, आपने जानकारी दी है कि इस पर सूचना आई है । आप विद्युत मंत्री जी से मेरी तरफ से निवेदन करें कि २, ३, ४ लाइनों का कोई वक्तव्य दें ।

श्री अध्यक्ष--

कार्यसूची की मद ४७ पर यह विषय है । आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । आप इस बात के लिये मजबूर कर रहे हैं कि यह सदन न चले । सदन की कार्यवाही चलने दीजिये ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री गणेशी लाल चौधरी--

आप सुन लीजिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री गणेशी लाल चौधरी--

मैंने इसी विषय पर नियम ५१ में सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय नेता विरोधी दल ने जो दिया है । क्या इस पर कोई वक्तव्य होगा ?

श्री अध्यक्ष--

जब समय आयेगा तब बतलाया जायगा ।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७८†

*सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७८ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । मैंने कहा यह प्रश्न ४७ वें आइटम पर लिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७८†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) अध्यादेश, १९७८†

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) अध्यादेश, १९७८ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९७८†

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९७८ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७८†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७८†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७८ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) अध्यादेश, १९७८†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, १९७८†

संसदीय वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण अध्यादेश, १९७८ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आबकारी (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, १९७८†

आबकारी मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, १९७८ को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश कोनियाल ग्राफ्टिंग नियमावली, १९७४††

संसदीय वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से चिकित्सा अनुभाग-८ की अधिसूचना सं० ४२३५ (८)/५-७५, दिनांक ५ जुलाई, १९७५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कोनियाल ग्राफ्टिंग नियमावली, १९७४ को उत्तर प्रदेश कोनियाल ग्राफ्टिंग अधिनियम, १९६४ की धारा ६ की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ की वर्ष १९७५-७६ का वार्षिक रिपोर्ट††

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दि यू० पी० स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ का वर्ष १९७५-७६ की वार्षिक रिपोर्ट को कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९-ए की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

१२-१३-१४ पर विवाद के लिए समय निश्चित कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर देदीजिए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं नोटिस दे रहा हूं ,

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर भेजिए । कार्य मंत्रणा समिति के सामने रख दिया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का अट्ठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन १९७५-७६†

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर का अट्ठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन, १९७५-७६ को कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९-ए की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट १९७५ एवं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे १९७६ तथा किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे १९७५ एवं वार्षिक रिपोर्ट लेखे १९७५-७६††

गन्ना विकास मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट, १९७५ एवं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे, १९७६ तथा किच्छा शुगर

---

†छापा नहीं गया ।

††छापा नहीं गयी ।

[श्री शिव मंगल मिश्र]

कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे, १९७५ एवं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे, १९७५-७६ को कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९-ए की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (भाग प्रथम तथा द्वितीय) वर्ष १९७८-७९*

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (भाग प्रथम तथा द्वितीय) वर्ष १९७८-७९ को इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ६१ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-२ की विज्ञप्तियां**

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-२ की दिनांक ३१ अगस्त, १९७८ के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० एस० टी० २-६६२७/दस-६(२९)-७६ उत्तर प्रदेश अधिनियम १५/४८, आदेश-७८, दिनांक ३१ अगस्त, १९७८ एवं दिनांक 13 नवम्बर, १९७८ के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० एस० टी० २-८४२६/दस-६ (१९)-७८ उत्तर प्रदेश अधिनियम १५-४८, आदेश, ७८, दिनांक १३ नवम्बर, १९७८ को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (दसवां संशोधन) नियमावली, १९७८*

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सहकारिता अनुभाग (१) की अधिसूचना सं० यू० ओ० २६८/१२-सी-१-७८, दिनांक २८ सितम्बर, १९७८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (दसवां संशोधन) नियमावली, १९७८ को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, १९०४ की धारा २३-क की उपधारा (१) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे १९७६-७७**

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे १९७६-७७ को कंम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९-ए की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

*छापे नहीं गये ।

**छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७८

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-२ की अधिसूचना सं० ५२५/सन्बी (२)--४५८-६७, दिनांक १९ सितम्बर, १९७८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७८ को उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, १९७५ की धारा ३१ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह अग्रेषण और वितरण के कारबार में लगे अभिकर्ताओं को लाइसेंस देना नियमावली, १९७८

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग-४ की अधिसूचना सं० २७५०-टी/तीस-४-४पी-७०, दिनांक २५ जुलाई, १९७८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, अग्रेषण और वितरण के कारबार में लगे अभिकर्ताओं को लाइसेंस देना नियमावली, १९७८ को मोटर वेहिकल्स एक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी करावान (संशोधन) विधेयक, १९७८ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी करावान (संशोधन) विधेयक, १९७८ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(संशोधनों के लिए देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३०७ पर)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७८, जो विधान सभा द्वारा दिनांक २८ अगस्त, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने बिना किसी संशोधन के दिनांक ११ सितम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया ।

छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, १९७८, जो विधान सभा द्वारा दिनांक २८ अगस्त, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक ११ सितम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८, जो विधान सभा द्वारा दिनांक २४ अगस्त, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १२ सितम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण और सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण और सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७८, जो विधान सभा द्वारा दिनांक ३१ अगस्त, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १२ सितम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया ।

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ जो विधान सभा द्वारा दिनांक २८ अगस्त, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १२ सितम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८ जो विधान सभा द्वारा दिनांक २४ अगस्त, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक १२ सितम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, १९७८ जो विधान सभा द्वारा दिनांक २३ अगस्त, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक ९ नवम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक विधेयक, १९७८ जो विधान सभा द्वारा दिनांक २४ अगस्त, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक ९ नवम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७८ जो विधान सभा द्वारा दिनांक ३१ अगस्त, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक ९ नवम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७८, जो विधान सभा द्वारा दिनांक ३१ अगस्त, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १३ नवम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८, जो विधान सभा से दिनांक ३० अगस्त, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १३ नवम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८, जो विधान सभा द्वारा दिनांक ३० अगस्त, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १३ नवम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २३ अगस्त, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २९ अगस्त, १९७८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ४ सितम्बर, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का २१वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७२—७३ के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७२—७३ के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७८ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २९ अगस्त, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ४ सितम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ९ सितम्बर, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का २२वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८—७९ का अनुपूरक) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८—७९ का अनुपूरक) विधेयक, १९७८ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २९ अगस्त, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ४ सितम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ९ सितम्बर, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का २३वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २४ अगस्त, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने बिना किसी सिफारिश के दिनांक ८ सितम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १६ सितम्बर, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का २४वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २४ अगस्त, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ९ सितम्बर, १९७८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १६ सितम्बर, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का २५वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २८ अगस्त, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ८ सितम्बर, १९७८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १६ सितम्बर, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का २६वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २८ अगस्त, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ८ सितम्बर, १९७८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १६ सितम्बर, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का २७वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ३० अगस्त, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ९ सितम्बर, १९७८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १६ सितम्बर, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का २८वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ३० अगस्त, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १२ सितम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १६ सितम्बर, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का २९वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ३० अगस्त, १९७८ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ७ सितम्बर, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक ३ अक्टूबर, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का ३०वां अधिनियम बन गया।

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २८ अगस्त, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक ९ सितम्बर, १९७८ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय, की अनुमति दिनांक २९ सितम्बर, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का ३१वां अधिनियम बन गया।

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने

अपने दिनांक २३ अगस्त, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २९ अगस्त, १९७८ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २६ सितम्बर, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का ३२वां अधिनियम बन गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २९ अगस्त, १९७८ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ७ सितम्बर, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक ५ अक्तूबर, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का ३३वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २४ अगस्त, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ६ सितम्बर, १९७८ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १६ सितम्बर, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का ३४वां अधिनियम बन गया।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

गत अधिवेशन के पश्चात् माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई के सम्बन्ध में जो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं, जिसकी सूचना बुलेटिन संख्या २५ से २८ द्वारा प्रसारित की जा चुकी है, वह यह है :--

१--श्री मित्रसेन (फैजाबाद),

२--श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (बहराइच),

३--श्री बाबू सिंह (अलीगढ़)।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

जो विशेषाधिकार की सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनको मैं आज नहीं ले रहा हूं, उनको कल लेंगे और उसके बाद निर्णय किया जायेगा।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की सभा के लिये पांच सदस्य तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए पांच सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में मतदान, जो दिनांक ९ सितम्बर, १९७८ को होना था और जो सदन के अपने दिनांक ८ सितम्बर, १९७८ के निश्चय के अनुसार विधान सभा के आगामी अधिवेशन के लिए स्थगित कर दिया गया था, अब ८ दिसम्बर, १९७८ को पूर्वान्ह १०·३० बजे से अपरान्ह ५ बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ के अन्दर होगा।

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय-निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य मन्त्रणा समिति ने अपनी ६ दिसम्बर, १९७८ की बैठक में अपने पूर्व निर्णय को संशोधित करते हुए सदन के दिनांक ७ दिसम्बर, १९७८ से २७ दिसम्बर, १९७८ तक के उपवेशनों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम की सिफारिश की है :

दिसम्बर, १९७८—

७ गुरुवार—प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था की निरन्तर बिगड़ती हुई स्थिति के सम्बन्ध में श्री देव बहादुर सिंह के प्रस्ताव पर चर्चा।

८ शुक्रवार—(१) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार एवं उसका पारण (अपरान्ह ४ बजे तक)।

(२) प्रदेश में खड़े गन्ने की पेराई तथा उससे उत्पन्न स्थिति पर श्री देव बहादुर सिंह सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर २ घन्टे की चर्चा।

९ शनिवार ..
१० रविवार ..
११ सोमवार (मोहर्रम का अवकाश) ..
१२ मंगलवार (मोहर्रम का निर्बन्धित अवकाश)
} बैठक नहीं होगी।

१३ बुधवार—(१) उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार एवं उसका पारण।

(२) उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार एवं उसका पारण।

(३) उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, १९७८ पर विचार एवं उसका पारण।

(४) श्री देव बहादुर सिंह द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर प्रदेश में इनसेफिलाइटिस नामक महामारी के प्रकोप पर दो घंटे की चर्चा।

१४ गुरुवार—निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :—

(१) उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (तृतीय) विधेयक, १९७८।

(२) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ ।

१५ शुक्रवार को असरकारी दिवस है ।

१६ शनिवार से २५ सोमवार तक सदन की बैठक नहीं होगी ।

२६ मंगलवार—१९७८-७९ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

२७ बुधवार—असरकारी दिवस

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से जिसकी सूचना अभी माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई है, यह सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि....

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मुझे निवेदन यह करना था कि कई प्रस्ताव मैंने भी दिये थे जो कार्यमंत्रणा समिति के सामने गये होंगे और २८-२९ तक की कार्यवाही का आपने सुना दिया । मैं यह निवेदन करना चाहता था कि क्या उन प्रस्तावों के लिए कोई समय निर्धारित हुआ या नहीं हुआ क्या हुआ ? या आगे कोई उसके लिए समय देना चाहते हैं आप, यह मैं जानना चाहता था कि आखिर उन प्रस्तावों के सिलसिले में क्या हुआ ? कई गैर सरकारी प्रस्ताव आये हैं उसके सिलसिले में मैं जानना चाहता था कि क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

१४ दिसम्बर को पुनः कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और जिन प्रश्नों को मैंने नियम १०३ के अधीन स्वीकार किया है उनको कार्य मंत्रणा समिति के विचारार्थ १४ तारीख को रखा जायेगा और उसकी सूचना माननीय सदस्यों को दी जाएगी ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, आज जो यह कानून और व्यवस्था की चर्चा अभी शुरू होगी तो मान्यवर, साढ़े तीन तो बज गया, अब कितना समय बचा है, इसके साथ कैसे न्याय हो पायेगा, क्या हम कर पायेंगे, इस पर ।

श्री अध्यक्ष—

आप जानते हैं कि आपने नियमावली में संशोधन किया है, उस संशोधन के मुताबिक जब तक सदन की कार्यवाही जो आज के एजेन्डा पर है, पूरी नहीं होगी तब तक सदन चलेगा और यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं समझता हूं इस पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष--]

आप स्वयं अधिक से अधिक समय लेने की कोशिश करेंगे तथा नियमावली में समय बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है और न मुझे कोई घोषणा करने की आवश्यकता है। तो पहले आप अपना प्रस्ताव आने दीजिये।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रण समिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसकी सूचना अभी अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नर्सेज मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

*स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश नर्सेज मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिए यू० पी० नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज आग्जिलियरी नर्स मिडवाइव्ज एण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (बी) के उपखण्ड (ii) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला हो, का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष आदेश दें, उत्तर प्रदेश नर्सेज मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिए यू० पी० नर्सेज एंड मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज आग्जिलियरी नर्स मिडवाइव्ज एण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा ४ की उप धारा (१) के खण्ड (बी) के उपखण्ड (ii) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला हो, का निर्वाचन करे।

(प्रस्ताव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, १९७७ के लिए गठित प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "चूंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, १९७७ सदन के १७ अप्रैल, १९७८ के निश्चयानुसार इस निर्देश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा के दिनांक २१ अगस्त, १९७८ के निश्चयानुसार उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया था,

और चूंकि समिति उक्त बढ़ायी गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतएव यह सदन निदेश देता है कि प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्ष १९७९ के आय-व्ययक सत्र के अन्तिम दिन तक के लिये और बढ़ाया जाय ।"

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, आप देखें कि १७ अप्रैल, १९७८ को यह प्रवर समिति के समक्ष उपस्थित किया गया था और अब फिर यह आय-व्ययक के सत्र के अन्तिम दिन तक का समय मांग रहे हैं । आय-व्ययक सत्र कब शुरू होगा, अभी जानकारी नहीं है । अन्तिम दिन का अर्थ यह है कि मई, जून तक जायगा । अब लैंड रिफार्म के बारे में और राजस्व संहिता के बारे में इतनी देर कर दी जाय, यह सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध है । मैं यह कहूंगा कि इसे आय-व्ययक के अन्तिम दिन के बजाय प्रथम दिन किया जाय ताकि लोग इसे पढ़ सकें । यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और माननीय सदस्य इसे पढ़ना चाहेंगे कि विधेयक में क्या है । इसलिए इसे अन्तिम दिन के बजाय प्रथम दिन रखा जाय नहीं तो बेकार की बात हो जायेगी । राजस्व मन्त्री जी ने भूमि सुधार की बड़ी चर्चा किया है और मैं नहीं समझता हूं कि माननीय सदस्य बैठने को तैयार नहीं हैं । इस बीच विधान सभा की बैठक नहीं होगी, इसलिए प्रवर समिति में बैठकर इसका हल निकाला जा सकता है ।

*श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जो सुझाव रखा है चूंकि यह विधेयक इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि सारे प्रदेश पर इसका प्रभाव पड़ेगा और इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए । अब इसमें जो अन्तिम दिन की बात कही गयी है उससे तो लगता है कि यह पहली अप्रैल सन् १९८० से लागू होगा, तो यह बड़ा लम्बा हो जायगा । लिहाजा नेता विरोधी दल के प्रस्ताव के मुताबिक पहले दिन तक ही यह काम समाप्त हो जाय तो इसे लागू किया जा सकेगा ।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं एक निवेदन करना चाहता था नेता विरोधी दल की सेवा में कि यह समिति सदन के द्वारा निर्वाचित की गयी थी और समिति ने अपनी बैठकें करके जितना कार्य हो सकता था उतना किया । समिति की कार्यवाही पूरी न होने के कारण माननीय मन्त्री ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और विषय के महत्व को देखते हुए जिस प्रकार यह माननीय सदन इच्छुक है इस विधेयक पर विचार करने के लिए उसी प्रकार इस समिति के सदस्य भी इच्छुक हैं और इसीलिए उसको अच्छी तरह से देख सुन कर उसे पास कराना चाहते हैं । जिससे इसमें विलम्ब होना स्वभाविक है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल तथा रियासत साहब या दूसरे लोग भी जो सुझाव देना चाहते हों समिति के सामने भेज दें ताकि समिति उन पर बैठ कर विचार कर ले ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

यह विवाद का प्रश्न नहीं है । माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन रखा है क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी उसे स्वीकार करने को तैयार हैं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शारदा भक्त सिंह—

इस प्रवर समिति में सभी दलों के सदस्य हैं जब इसे जनमत के लिए भेजा गया तो वहां से बहुत ज्यादा सुझाव आ गए और सभी माननीय सदस्यों ने उन सुझावों पर बहुत गम्भीरता से विचार किया। जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा हम पिछले दिनों में काफी बैठे हैं और विचार भी किया और यह समय उस समिति के विचार के बाद ही लिया है यह सोचते हुए कि उसके पहले ही काम खत्म कर देंगे। इसलिए आवश्यक नहीं है कि अन्तिम दिन तक जायं, जैसे ही काम समाप्त करेंगे उसी समय हम इस सदन में रख देंगे और ऐसा ही मेरा विश्वास भी है। लेकिन बार बार प्रस्ताव लाने के बजाय अन्तिम तिथि तक के लिए प्रस्ताव ले आया हूं लेकिन यह विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी तरह देर नहीं होगी और जल्दी से जल्दी उस पर विचार करके सदन में हम इसे लाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

क्या नेता विरोधी दल अब भी अपने प्रस्ताव को प्रेस करना चाहते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं राजस्व मन्त्री के आश्वासन के उपरान्त अपने प्रस्ताव को प्रेस नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन राजस्व मन्त्री के निम्नलिखित प्रस्ताव से सहमत है :

"चूंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, १९७७ सदन के १७ अप्रैल, १९७८ के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा के दिनांक २१ अगस्त, १९७८ के निश्चयानुसार उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया था ;

और चूंकि समिति उक्त बढ़ायी गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी ;

अतएव यह सदन निदेश देता है कि प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्ष १९७९ के आयव्ययक सत्र के अन्तिम दिन तक के लिये और बढ़ाया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर किये गये अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार की जांच के लिये गठित समिति का कार्यकाल बढ़ाने तथा समाप्त करने के प्रस्ताव

*श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मैं सभापति, जांच समिति, जो दिनांक १७ मार्च, १९७८ को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को श्री राज्यपाल द्वारा सम्बोधन के अवसर पर किये गये अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार की जांच के लिये गठित की गयी है, निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"चूंकि दिनांक १७ मार्च, १९७८ को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को श्री राज्यपाल द्वारा सम्बोधन के अवसर पर किये गये अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन सदन द्वारा दिनांक १७ मार्च, १९७८ को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार इस निदेश के साथ किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन १५ दिन के भीतर सदन को प्रस्तुत करे और उक्त समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण समिति का कार्यकाल सदन के ३० मार्च, १९७८ के निश्चयानुसार एक माह के लिए, उसके बाद सदन के २९ अप्रैल, १९७८ के निश्चयानुसार तीन मास के लिए और पुनः सदन के २१ अगस्त, १९७८ के निश्चयानुसार तीन मास के लिए बढ़ा दिया गया था और चूंकि समिति उक्त बढ़ाई गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी,

अतएव यह सदन यह निदेश देता है कि उक्त जांच समिति द्वारा सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्ष १९७९ के बजट सत्र के प्रथम दिन तक के लिए और बढ़ाया जाय।"

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को अर्सा गुजर चुका है, जैसा माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने बताया था कि अगला सत्र फिर शुरू होगा उसमें महामहिम राज्यपाल का भाषण भी होगा। मैं केवल एक आश्वासन चाहता हूं कि इस समिति की रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल के होने वाले भाषण से पहले आ जानी चाहिये।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, मार्च में जांच समिति नियुक्त हुई थी और काफी अर्सा उसको हो गया है। मैं समझता हूं कि इसका समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज जो माहौल है इस सदन का, इसे दृष्टि में रखते हुए इस समिति को विसर्जित कर दिया जाय और एक नये अध्याय से काम शुरू हो। मुझे विश्वास है कि गत अवसर पर जिन साथियों ने अशोभनीय व्यवहार किया वैसा वह व्यवहार नहीं करेंगे। आपने देखा है माननीय साथी श्री सुन्दर लाल जी कितने संयत सदस्य हैं। इसलिये जांच समिति को विसर्जित करने के सवाल पर नेता सदन और नेता विरोधी दल से सलाह करके इसे विसर्जित करा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गोविन्द सिंह भेगी (जिला टेहरीगढ़वाल)--

मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो प्रस्ताव का सुझाव दिया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, काफी समय उस घटना को बीते हुए हो गये। मैं समझता हूं कि उसके बाद आप भी जानते हैं कि कम से कम इस तरफ के जो हम लोग हैं कितने अनुशासित हैं। उधर की बात तो माननीय मुख्य मन्त्री जी कहेंगे। इधर की बात का जहां तक सम्बन्ध है हमने उससे सीख लिया। उधर के लोग कुछ सीख पाये हैं या नहीं मैं नहीं जानता। इन सदभावनाओं को देखते हुए उन प्रोसीडिंग को खत्म करें और एक नया अध्याय जोड़ें। जिस ढंग से हाउस चल रहा है उसे देखते हुए इसे ड्राप कर दें।

*श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, जो माननीय मैनेजर सिंह जी ने प्रस्ताव किया है उसका मैं समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि लगभग एक साल बीतने जा रहा है। जिस पक्ष के साथियों के ऊपर आक्षेप लगाये थे उसकी पुनरावृति देखने को नहीं मिली। बल्कि एक नया अध्याय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा शुरू हो रहा है। इसलिए इस समिति को विसर्जित करे और एक नये अध्याय में नयी समिति के बारे में सोचे तो ज्यादा अच्छा है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है वह सामयिक है। एक साल का समय हो गया है इतना पैसा इसमें व्यय हो गया है। जितना दंड देना चाहिये उससे ज्यादा दंड दिया जा चुका है। हमने देखा है कि अपराध रोकने के लिए १०२ की कार्यवाही होती है तो उसमें बड़ी तारीखें पड़ती हैं उससे तंग आकर अपराधी कहता है कि अब रहने दीजिये। तो उससे ज्यादा दंड मिल चुका है। इसलिए इस समिति को भंग कर दिया जाय।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

माननीय सदस्य, श्री गनेशी लाल ने जो प्रस्ताव रखा है मैं समझता हूं कि जिन परिस्थितियों में जो घटना घटी उसकी गंभीरता को देखते हुए उसकी छान-बीन के लिए कमेटी बनाई गई थी। उसका औचित्य जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए जरूरी है। मैं समझता हूं कि भाई गनेशी लाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस कमेटी के तत्वावधान में उनको समय दिया जाना चाहिये जिससे जिन लोगों ने पिछले सत्र में इस हाउस के अन्दर जो स्थिति पैदा की थी आइंदा उस तरह की स्थिति पैदा करने की जुर्रत न कर सके और यह सदन इस मामले में एक कड़ा कदम उठाने के लिए अपना निर्णय ले सके।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

श्री द्विवेदी जी की तरफ से मैनेजर सिंह जी के प्रस्ताव के विरोध में जो विचार आया है, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। जिस भावना से वह बात कह रहे हैं, उस भावना को ले कर अगर चलेंगे तो हम में से कोई भी व्यक्ति अपने आचरण में खरा नहीं उतरेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि बीती हुई बातों को बिसरा कर एक नये और सद्भावनापूर्ण वातावरण के निर्माण का हमें प्रयास करना चाहिये। किन्तु यदि इस बात पर आप लोग आमादा हैं कि इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

विषय पर विभाजन हो तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, वह भी होगा और एक स्वर से सब लोग मैनेजर सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं दुविधा में था कि मुझे इस सम्बन्ध में कोई निवेदन करना चाहिये या नहीं, क्योंकि उस प्रकरण में मुझे भी भागीदार बनाये जाने की बात थी। लेकिन मैं वास्तव में अपने वरिष्ठ सदस्य, वरिष्ठ साथी बलिया का, सम्मानित सदस्य और सिता बदियारा से आने वाले जो हमारे सर्वोदयी विचारों से ओतप्रोत सदस्य हैं, उनका मुझे बड़ा ही ख्याल है, जो उन्होंने बड़ी ही एक नई भावना से, बड़ी प्रजातान्त्रिक भावना से प्रस्ताव रखा है। जैसा हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी माननीय सदस्य का यह अभिप्राय कभी नहीं हो सकता है कि यहां राज्यपाल महोदय का कोई अनादर हो। उनके अभिभाषण का अपना एक महत्व है, हमारा केवल शासन की नीतियों से विरोध हो सकता है। उनका तो सम्पूर्ण आदर होना चाहिए। वह है और होना चाहिए इस भावना से अभिभूत होकर मैनेजर सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें मान्यवर आपको निर्णय लेना है। लेकिन सदन की भावना को देखते हुये और अधिकांश सदस्यों के इसके पक्ष में जो भाषण हुए, यह सारे सदन का प्रश्न है। हमें भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी और सदन की मान-मर्यादा बनाए रखें। इसलिए आप द्वारा इस कमेटी को विघटित कर दिया जाए, 'विसर्जन' तो, एक बड़ा वैज्ञानिक शब्द है, जिसका उन्होंने प्रयोग किया है, मैं उसे तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप इसे विघटित कर दें तो उससे यह अभिप्राय पूरा हो जाता है। माननीय सदस्यों और गनेशी लाल ने इस समिति के काम में बड़ी मेहनत की है, मैं उसका ध्यान रखते हुए..

एक सदस्य--

आप क्षमा याचना कर लें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह एक अच्छी बात है, मुझे भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह एक पार्लियामेन्ट्री पद्धति है और क्षमा याचना करना सीख लें तो आए दिन की समस्याओं का हल हो सकता है मैंने कोई गलती की हो, तो अनेक बार जैसे कहा है, मैं क्षमा याचना करने के लिए तैयार हूं। मैं आग्रह करूंगा कि आप इसे विघटित करने का निर्णय ले लें, तो यह सर्वोचित होगा।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)--

मान्यवर, यहां एक गम्भीर प्रश्न पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं। अभी-अभी माननीय तिवारी जी को सुन रहा था। मैं श्रीमन्, निवेदन करूं तिवारी जी से मेरा बहुत पुराना सम्पर्क है और मैं जानता हूं कि वह इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ और गम्भीर व्यक्ति तथा अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति सदैव से रहे हैं, उनके प्रति मेरा बहुत आदर है। लेकिन श्रीमन्, मुझे बहुत दुख के साथ उनके निवेदन के प्रति अपना गम्भीर मतभेद प्रकट करना पड़ रहा है कि यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त--]

कहते हुए कि जब हम राज्यपाल के अभिभाषण के समय उपस्थित थे तो मुझे गहरे दुख के साथ यह दृश्य देखना पड़ा । जहां वह कहते हैं कि राज्यपाल महोदय के प्रति आदर का व्यवहार करना चाहिए, वहां इस सदन के तिवारी जी जैसे वरिष्ठ सदस्य ने जो व्यवहार किया था, वह अत्यन्त अशिष्ट था । वह अत्यन्त अशोभनीय था, जो कुछ मैंने उस दिन देखा, मैं अपनी आंखों का विश्वास नहीं कर सकता ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय कन्हैयालाल जी, आप इस प्रश्न के गुण-दोषों पर जा रहे हैं । यह विषय जांच समिति के सुपुर्द है । केवल आप यह बतलाइये कि जो माननीय सभापति ने प्रश्न रखा है, आप उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं ?

श्री कन्हैया लाल गुप्त--

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव समिति के सभापति महोदय द्वारा किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं इस शर्त के साथ कि हम यह निश्चय करेंगे कि समिति का समय और अधिक कदापि बढ़ाया नहीं जायगा । यह समिति समय बढ़ाने की परिधि पार कर चुकी है । यह दुख की बात है (व्यवधान) श्रीमन्, मुझे कहने दिया जाय । मैं अधिक समय अनेक बार लेता नहीं हूं । मैं दो बात कहना चाहता हूं । यह बड़े दुख की बात है कि इस समिति को इतना लम्बा समय दिया गया, उसके समय की वृद्धि इतनी बार की गयी और वह अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकी । मुझे ऐसा संशय होता है कि सम्भवतः उसने अपने समय का ठीक-ठीक उपयोग नहीं किया । समिति को चाहिए था कि बिना देर किये हुए वह अपनी रिपोर्ट दे दे । माननीय मैनेजर सिंह ने जिस भावना का उल्लेख किया है वह भावना हमारे सबके लिए बहुत कीमती है । मैं उसका आदर करता हूं । लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के समय जो यहां पर व्यवहार हुआ, उसको दरगुजर करते हैं तो निश्चित रूप से उचित नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष --

आप फिर टिप्पणी करने लगे । अब आप कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री कन्हैयालाल गुप्त--

अगर सच्ची बात बर्दाश्त नहीं है, अगर राज्यपाल के अभिभाषण के समय जैसा व्यवहार हुआ है उससे इस सदन के सम्मान को जो ठेस पहुंची है, अगर इन सब बातों को दरगुजार करते रहेंगे.

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

अगर बहस करा रहे हैं तो रिपोर्ट पर करा लीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष ---

अब आप कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री कन्हैयालाल गुप्त---

इस तरह से मैं बैठने वाला नहीं हूं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

अनुशासन समिति के सदस्य हैं । बैठ कैसे जायेंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां---

आपके लिए कह रहे हैं कि मैं ऐसे बैठने वाला नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय कन्हैयालाल जी अपनी बात कह चुके ।

माननीय नेता सदन ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

माननीय मैनेजर सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है ।

श्री अध्यक्ष ---

पुरुषोत्तम जी, आप इस प्रकार से बार-बार खड़े होते हैं, यह उचित नहीं है ।

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)---

मान्यवर, सुन्दरलाल जी के सम्बन्ध में जो इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं, जो जांच समिति गठित की गयी थी, जैसा कि सभी सदस्यों ने विचार प्रकट किया, काफी विलम्ब हो गया है और इस बीच में मैं समझता हूं कि श्री सुन्दर लाल जी ने यह अहसास किया होगा और हम यह भी अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में सदन में दिन की कार्यवाही ठीक ढंग से चलने के लिए सभी माननीय सदस्य, इसके गौरव को ध्यान में रखेंगे और विशेष रूप से सुन्दरलाल जी अवश्य ही सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए अवश्य ही आचरण करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं और इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि विपक्ष के नेता तिवारी जी ने अपनी भावना व्यक्त की और भी सम्मानित सदस्यों ने भावना व्यक्त की है, उस आधार पर अध्यक्ष महोदय, यह कहूंगा कि इस प्रकरण को समाप्त किया जाना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) इसमें ही सदन की मर्यादा, गौरव और लोकतांत्रिक परम्परा की बात होगी ।

श्री रघुवर राम मिश्र (जिला खीरी)---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष —

आप बैठिए । माननीय नेता सदन, यह कमेटी सदन के प्रस्ताव द्वारा गठित की गयी थी और सदन ही इसको प्रस्ताव के द्वारा विघटित कर सकता है । आज हमारे सामने प्रश्न यह था कि अगर इसका समय न बढ़ाया गया तो समिति अपने आप समाप्त हो जाती है । माननीय नेता सदन यह चाहते हैं कि यह प्रकरण समाप्त किया जाये तो ज्यादा उचित होगा कि वह स्वयं यह प्रस्ताव रखें कि यह जो जांच समिति है उसका विघटन कर दिया जाये । आप यह प्रस्ताव रखें तो मैं उसको ले लूंगा ।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मेरा यह प्रस्ताव है कि अब इस जांच समिति का समय आगे न बढ़ाया जाये और उसको समाप्त किया जाये ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि जो जांच समिति इस सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय हुए अशोभनीय व्यवहार के सम्बन्ध में गठित की गयी थी, उसके बारे में यह सदन निश्चय करता है कि उस जांच समिति का समय आगे न बढ़ाया जाये और उसको समाप्त किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री राघव राम मिश्र —

मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि जो आपने अभी निर्णय दिया उसके आधार पर क्या भविष्य में कोई विधायक यहां माइक तोड़ कर किसी का सर फोड़ देगा और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष —

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

विशेषाधिकार समिति में लम्बित कतिपय विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि, चूंकि श्री भगवती सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री कुंवर बहादुर मिश्र, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत तथा श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हरिकेवल प्रसाद, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न, श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री डी० पी० वरुण, तत्कालीन सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न, श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री वेद प्रकाश गौतम, थानेदार नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न, श्री मुनीन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पीलीभीत की बस नं २२५५ के ड्राइवर एवं कन्डक्टर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न, श्री राम गोविन्द, सदस्य, विधान सभा द्वारा गोरखपुर के ट्रैफिक पुलिस कान्स्टेबिल नं० २७३ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न, विशेषाधिकार समिति को माननीय अध्यक्ष द्वारा समय-

*कर्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

समय पर वर्ष १९७७ एवं वर्ष १९७८ में निर्दिष्ट किए गए थे और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा के २३ अगस्त, १९७८ के निर्णय के अनुसार उक्त प्रश्नों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया था, और चूंकि श्री शत्रुद्ध प्रकाश, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित श्री गुलाब सेहरा, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध सदन में कथित जाली अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ३० अगस्त, १९७८ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था, और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २६८ के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को अपना प्रतिवेदन ३० सितम्बर, १९७८ तक प्रस्तुत कर देना था, और चूंकि समिति को इस समय के भीतर उपर्युक्त छहों प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हो सकेगा। अतः यह सदन निश्चय करता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय १९७९ के बजट सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अभी माननीय सभापति विशेषाधिकार समिति ने, विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय १९७९ के बजट सत्र के अन्तिम दिन तक के लिये बढ़ा दिये जाने का जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर किये गये अशोभनीय व्यवहार पर गठित जांच समिति का समाप्ति से पूर्व हुई बैठकों को नियमित करने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष —

मैं सदन की अनुमति के लिये एक और प्रश्न रखना चाहता हूं। जांच समिति जिसके विघटन का प्रस्ताव इससे पूर्व स्वीकृत हुआ है, की अवधि ३१ अक्तूबर, १९७८ तक ही थी। इसके बाद भी इस समिति की बैठक होती रही हैं इस अपेक्षा में कि सदन की अनुमति समय बढ़ाने की मिल जायेगी। तो प्रश्न यह है कि ३१ अक्तूबर के बाद जो समिति की बैठकें हुई हैं वे विधिवत मानी जाय और समिति का समय आज तक बढ़ा हुआ माना जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरीनाथ त्रिपाठी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

दिनांक 12 दिसम्बर, 1978 के असाधारण गजट के विधायीपरिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, १९७८

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे --

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (तृतीय) विधेयक, १९७८

शिक्षा मन्त्री (श्री कालीचरण)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (तृतीय) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक)(तृतीय) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

† दिनांक ७ मार्च, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री काली चरण —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (तृतीय) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन को अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करता हूं।

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†दिनांक 12 दिसम्बर, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

‡ दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७८

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश के प्रशासन की अयोग्यता अक्षमता के कारण प्रदेशमें प्रशासनिक अराजकता की स्थिति के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल ने कार्य स्थगन एक प्रस्ताव की सूचना उत्तर प्रदेश के प्रशासन की अयोग्यता अक्षमता के कारण प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता की स्थिति के उत्पन्न होने के सम्बन्ध में दिया है।

---

†दिनांक ७ दिसम्बर, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं :--

'प्रदेश की प्रशासन की घोर अयोग्यता अक्षमता. . . .'

श्री अध्यक्ष--

आप इसकी ग्राह्यता के बारे में बोलें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, ग्राह्यता के बारे में तब कहूंगा जब मैं इसे पढ़ दूं।

'प्रदेश के प्रशासन की घोर अयोग्यता, अक्षमता एवं जनता पार्टी के विभिन्न घटकों द्वारा परस्पर विरोधी दबाओं के कारण प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिए यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।'

उपरोक्त प्रशासनिक अराजकता (एडमिनिस्ट्रेटिव वो आस) के मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं :--

१--अलीगढ़ जैसे विख्यात शिक्षा केन्द्र में बार-बार उपद्रव होने तथा सरकार में प्रभावी तत्वों के उकसाने पर नियोजित ढंग से उपद्रव होने के परिणाम स्वरूप बीसियों निर्दोष जानें गयीं तथा सैकड़ों हताहत हुये। पुलिस की अंधाधुंध गोलियों के प्रयोग से निर्दोष लोगों को गोलियों का शिकार बनाया गया, जिसका असर चंदौसी एवं प्रदेश के अन्य भागों पर भी पड़ा। सभी दोषी व्यक्ति अभी भी नहीं पकड़े जा सके हैं।

२--बिजली बोर्ड एवं सिंचाई विभाग आदि के जूनियर इंजीनियर एवं अन्य कर्मचारियों को दिए गए आश्वासनों की पूर्ति न किए जाने से प्रदेश व्यापी हड़ताल की संभावना बढ़ गई है। इस संभावित हड़ताल से रबी की बुआई एवं औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। मिट्टी तेल, डीजल, गैस व पेट्रोल तथा सीमेन्ट आदि के वितरण सम्बन्धी व्यवस्था न होने के कारण प्रदेश में शहरों में रहने वाली जनता व किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें घंटों प्रतीक्षा के बाद भी मिट्टी का तेल या डीजल उपलब्ध नहीं हो पाता है।

३--पंतनगर व गढ़वाल विश्वविद्यालय बन्द है। दिशाहीन नीतियों के कारण अध्यापकों व विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ा है। विद्यार्थियों में आपसी झगड़े बढ़े हैं व वरिष्ठ अध्यापकों को असामाजिक तत्वों ने घायल किया है, जिससे कि अध्यापक भी हड़ताल पर हैं। विद्यार्थियों को अनेक स्थानों पर नकल करने के लिए मजबूर किया गया। फिर भी इलाहाबाद जैसे अनेक स्थानों पर ऐसे हजारों छात्र हैं कि

---

*बताने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जिनको दो साल से परीक्षायें नहीं पाई हैं तथा विद्यार्थियों का दो वर्ष का बहुमूल्य समय बर्बाद हो गया है। होम्योपैथी छात्र आज भी जेलों में बन्द हैं तथा होम्योपैथी शिक्षा ठप्प पड़ी है।

४---प्रदेश में शहरों व गांवों में हत्याओं, डकैतियों एवं अन्य जुर्मों का बोलबाला बढ़ रहा है। बदायूं जिले के सम्मानित विधायक श्री शिवराज सिंह, गाजियाबाद जिले के भूतपूर्व विधायक श्री प्यारे लाल शर्मा व लखनऊ के पत्रकार श्री विश्वनाथ शर्मा आदि लोगों की हाल ही में की गई निर्मम हत्यायें इस अराजकतापूर्ण स्थिति का द्योतक हैं। लखनऊ में बच्चों को गुम किए जाने की घटनाएं दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं।

५---इन्सेफ्लाईटिस की बीमारी से प्रदेश में हजारों लोगों की जानें गयीं हैं, लेकिन शासन स्थिति पर काबू नहीं कर पाया है।

श्रीमन्, यह कुछ मुख्य उदाहरण हैं कि आज जो एडमिनिस्ट्रेटिव केआस, प्रशासनिक अराजकता प्रदेश में छाई हुई है, तो यह इतना अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न है कि सदन को अपना समस्त कार्य रोककर प्राथमिकता देकर इस पर विचार करना चाहिए। श्रीमन्, अलीगढ़ के बारे में मैंने इसमें चर्चा की है। इससे हमारे प्रदेश की स्थिति सारे देश, केन्द्र के सामने आज किस प्रकार धूमिल हुई है, धूमिल चित्र हमारे सामने आया है, उसे देखकर भी शर्म आती है। श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। केन्द्र के माइनारिटीज कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है, वह प्रदेश में जो अराजकता की स्थिति है, उसके लिए काफी है। माइनाइरिटीज कमीशन जो केन्द्र सरकार का है, जिसको बड़ा महत्व दिया गया है, उसने स्वयं कहा है कि किन तत्वों ने अलीगढ़ में यह तनाव बढ़ाया, इसके लिये कौन जिम्मेदार था। जनता पार्टी की ओर से केन्द्रीय बोर्ड की ओर से, जो संसदीय समिति गयी थी, उसने बताया कि किन प्रकार के लोगों ने यह तनाव बढ़ाया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री अध्यक्ष---

क्या है?

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, कार्य स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी बोल रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि वह विषय के विस्तार में बढ़ते जा रहे हैं। केवल ग्राह्यता पर बोलने की आवश्यकता है। मान्यवर, नियम ५८ को देखने की कृपा करें? नियम ५८(२) में कहा गया है कि 'एक प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी।'

मान्यवर, जो कार्य स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य ने पढ़ा है, उसमें अनेक समस्याओं के बारे में विस्तार से कहा गया है। मान्यवर नियमों के अधीन यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रस्ताव स्वीकार करने का नहीं है । माननीय सदस्य केवल ग्राह्यता पर बोलें तर्क देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं ग्राह्यता के बारे में ही कह रहा हूं । सेन्ट्रल माइनारटीज कमीशन की रिपोर्ट यह साबित करती है कि प्रदेशीय सरकार की जिम्मेदारी है और प्रदेश सरकार की अयोग्यता के कारण ही अलीगढ़ में उपद्रव हुआ है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मेरा इस पर व्यवस्था का प्रश्न है । मेरी जहां तक जानकारी है, वह यह कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव केवल एक निश्चित विषय पर ही हो सकता है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, निश्चित विषय है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलाल । उसके उदाहरण मैं दे रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अनेक समस्यायें नहीं होनी चाहिए और एक निश्चित विषय होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नियम ५८(२) के अनुसार एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी । आगे नियम ५८(६) में है कि प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लिया जा सकेगा, जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो, किन्तु इस आधार पर प्रस्ताव को अग्राह्य करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्रत्याशित विषय पर चर्चा उचित समय के भीतर सदन के समक्ष आने की सम्भावना है । इसलिये यह प्रस्ताव में आ ही नहीं सकता । जो श्री देव बहादुर सिंह ने प्रस्ताव रखा है 'शांति एवं व्यवस्था,' तो व्यवस्था के माने क्या है ? उसके माने प्रशासन की व्यवस्था और शांति । तो नेता विरोधी दल आपको इस प्रस्ताव पर इन सब प्रश्नों को रखने का अवसर मिलेगा । लेकिन आपका यह कथन कि मेरा प्रस्ताव केवल प्रशासन के बारे में है और उदाहरण उसके दिये हैं, तो यह मान लिया जाय कि नियम ५८ के उप नियम (२) और उप नियम (३) प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निबद्ध रहेगा । तो हाल की एक-एक घटना को ले सकते हैं, जैसे कि पन्त नगर कांड, बिजली या हत्याकांड लें, लेकिन श्री देव बहादुर जी का प्रस्ताव विस्तृत है, जिसमें इन सब बातों का समावेश हो जाता है । इसलिए मैं आपको उसमें बोलने का पूरा अवसर दूंगा । लेकिन आपके प्रस्ताव को मैं ग्राह्य नहीं करता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आपके कक्ष में मैंने सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया था और लिखने की कला में, माननीय सदस्य, सीतापुर और फैजाबाद यदि आपके साथ बैठने के लिए तयार हों, यदि नियम के बाहर हो तो आप मान्यवर, सदन के बाद अपने कक्ष में बुला लें, तो विचार विमर्श कर लें कि मैंने प्रस्ताव नियमों के अनुसार बनाया है और एक ही विषय पर तथा निश्चित एवं तात्कालिक विषय का है। प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, उसके उदाहरण मैंने दिये हैं। लिखा हुआ न मानें, तो बोला हुआ ही मान लिया जाय। मैंने माननीय सदस्य, सीतापुर और फैजाबाद की सुविधा के लिए लिखकर दे दिया है कि जिसके उदाहरण यह हैं। लेकिन मुख्य विषय प्रशासनिक अराजकता है, जिसका उल्लेख सेन्ट्रल माइनरटीज कमीशन ने किया है। कमीशन अलीगढ़ गया और उन्होंने कहा कि अराजकता है। प्रधान मन्त्री, श्री देसाई ने कहा है कि पी० ए० सी० ने अलीगढ़ में ज्यादती किया है। इससे बड़ा कंडेम्नेशन क्या हो सकता है। प्रधान मन्त्री ने कहा है कि वाकई पी० ए० सी० ने अलीगढ़ में ज्यादती किया है। गोली चली पांच आदमी जिससे मरे। प्रधान मन्त्री ने कहा....

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल तो मैं यह समझूं कि आप देव बहादुर जी के प्रस्ताव पर अपना कोई भाषण नहीं देंगे। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अगर मेरे निर्णय को ठीक नहीं समझते तो आप आकर के मेरे कक्ष में मुझे समझा दीजिए। निर्णय तो मुझे ही देना है ग्राह्यता का। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, नियम ५८ के उप नियम (६) की ओर जिसमें कहा गया है 'प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लिया जा सकेगा, जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो," और आज इस पर बहस है। मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। माइनारटीज कमीशन की रिपोर्ट, प्रधान मन्त्री के अवजरवेशन, बिजली की हड़ताल, पन्त नगर के अन्दर अव्यवस्था, ये जितने प्रश्न हैं वे सब बिगड़ती हुई शान्ति व्यवस्था में आ जाते हैं। इसलिये मैंने इस पर अपनी व्यवस्था दी कि यह काम रोको प्रस्ताव अग्राह्य है और मैंने चूंकि आपसे पहले श्री देव बहादुर जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, उसके बाद आपको पर्याप्त अवसर इन सारे प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट करने को मिलेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं अभी अपना निवेदन पूरा नहीं कर पाया था। आपने मुझे इजाजत दी, मैंने प्रस्ताव पेश किया।

श्री अध्यक्ष—

[illegible] विरोधी दल आप मेरी मदद कीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं अपनी बात कह नहीं पाया बीच में व्यवस्था का प्रश्न ....

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था के प्रश्न को मैं नहीं रोक सकता। जब उन्होंने यह कहा कि आपका प्रश्न व्यवस्था के खिलाफ है तो मुझे उनको सुनने का मौका देना था और उस पर मैंने ग्राह्यता के प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित किया। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि इस पर देव बहादुर जी के प्रस्ताव पर विचार होने जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा है, अतः बिजली की हड़ताल और तमाम चीजें सम्बन्धित हैं मेरी निश्चित जानकारी है मान्यवर, कि नियम ५१ का बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये नियम ५१ में कोई निर्णय आप लें, तो इसके पहले इसके सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष—

ओझा जी मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आप बिना किसी नियम के यह सब करते हैं। मेरे सामने विचार के लिये यहां पर केवल काम रोको प्रस्ताव है। उस पर मैंने कहा। जो आप कहते हैं कि मैंने कहा, उस पर सारे विषय आ सकते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मैनेजर सिंह—

इस विषय को समाप्त कीजिए आपने श्री देव बहादुर सिंह का स्वीकार कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो लोग मेरी व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं, वह इसका अंग नहीं होगा।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के कुछ कहने पर।)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे बार-बार कह चुका हूं, ओझा जी, आप सदन में इस तरह की आजादी न लीजिए। जब आपकी मर्जी हो आप उसी वक्त कार्य को रोक कर खड़े हो जायं। यह नियम के अनुसार नहीं है। मैं अनुमति नहीं देता। कृपा कर के आप सदन का समय और अन्य सदस्यों का समय इस प्रकार प्रश्न ला कर नष्ट न करें।

श्री राज बृज राज सिंह (जिला खीरी)—

मैं नियम ५८ की उप नियम (१) की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

इस पर कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर निर्णय दिया जा चुका है। आप बैठ जाइए।

एक सदस्य--

माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष--

आप किस नियम पर बोलना चाहते हैं ?

एक सदस्य--

नियमावली के नियम ५९ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

५८ पर व्यवस्था दे चुका हूं, ५९ पर कोई प्रश्न नहीं है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, जो बिजली की हड़ताल से सम्बन्धित था, लेकिन आपने बिठा दिया था। नेता विरोधी दल ने बिजली की हड़ताल के सम्बन्ध में ५६ में सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने नियम ५६ में प्रशासनिक अराजकता पर सूचना दी। बिजली की हड़ताल पर हल्का-फल्का जिक्र किया। जिसको आपने अग्राह्य कर दिया और ठीक किया। लेकिन इतने अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर, मान्यवर, आप मेरा मार्गदर्शन करें कि इस सम्बन्ध में किसी भी तरह माननीय विद्युत् मन्त्री जी वक्तव्य देंगे कि नहीं। कल से हड़ताल होने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल रहेगी। नलकूप नहीं चलेंगे। नक हफ्ते से वार्ता असफल रही। आज रात से ही हड़ताल शुरू हो जायेगी। तो इस सम्बन्ध में गुजारिश है कि आखिर हम लोग यहां पर ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करते हैं तो इतने व्यापक सवाल पर और लोक महत्व के प्रश्न पर, नियम चाहे जो भी हों, आप मान्यवर, निर्देश दें कि माननीय विद्युत मन्त्री जी इस पर अपना बयान दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, आश्चर्य है कि मैं अपनी पूरी बात नहीं कर पाया और....

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं। तमाम सदस्य व्यवस्था के नाम पर खड़े होना चाहते हैं। व्यवस्था पर कहना चाहते हैं, इसलिए उनको रोकने में कठिनाई हो जाती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं संक्षेप में केवल जानना चाहता हूं कि क्या सारे देश में जिस कान्ड की चर्चा (अलीगढ़ कान्ड) हो रही है, जिसकी चर्चा पार्लियामेन्ट में रही है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोक सभा में बात हो चुकी है, क्या इस सदन में उसका नाम लेना पाप है ? मैंने केवल इसका उदाहरण दिया । पुलिस कमीशन की रिपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेन्ट और जनता पार्टी की पार्लियामेन्ट्री कमेटी ने भी जिस बिजली की हड़ताल का उल्लेख हुआ आखिर वह मसला इस सदन में कब उठाया जायेगा ? ये सारे प्रमाण हैं । इसके बारे में कमीशन बिठाया गया, लेकिन इसको उन लोगों ने ठुकरा दिया । ८०,००० कर्मचारी आज रात १० बजे से हड़ताल पर जाने वाले हैं । मान्यवर, शासन की ऐसी परम्परा रही है, शासन इस प्रकार के मामलों पर बयान खुद देता रहा है । सदन के सामने स्टेटमेन्ट देता रहा है कि शासन क्या करेगा । लेकिन, आश्चर्य है कि कोई भी बयान, स्टेटमेन्ट शासन की ओर से नहीं रखा गया । इससे बड़ी अयोग्यता क्या हो सकती है ? इतनी बड़ी हड़ताल होने का रही है, इसके बारे में आखिर शासन का क्या दृष्टिकोण है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, इस प्रकार नेता विरोधी दल को नहीं रोका जा सकता । मैं इस तरह से बैठने वाला नहीं हूं ।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

आप इस पर व्यवस्था दे दें कि. . .

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मिट्टी के तेल के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं । आखिर यह क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपके प्रस्ताव पर व्यवस्था दी, । मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप भी यही प्रस्ताव दे देते, जो देव बहादुर सिंह जी ने दिया है । मैं आपकी चिन्ता समझता हूं । मैं यह कह रहा हूं कि नियम ५८ के उप नियम (६) के अनुसार जब मैंने कहा, जिस विषय को पहले मैंने स्वीकार कर लिया और मैं कहता हूं कि जितने विषय आपके हैं, यह सब इसके अन्दर आ जाते हैं और श्री देव बहादुर सिंह जी द्वारा प्रस्ताव पेश करने के बाद आपको अवसर मिलेगा इन सब बातों पर बोलने का ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं प्रस्ताव कर चुका ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसको स्वीकार नहीं किया । मेरे निर्णय के बाद भी आप इस पर जोर दे रहे हैं । मैं कहता हूं थोड़ा धैर्य रखिये और देव बहादुर जी के प्रस्ताव पर आप जितना बोलना चाहें आपको अवसर मिलेगा । अब रहा बिजली का प्रस्ताव आज मेरे पास कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव इस विषय पर नहीं है । यह विषय महत्वपूर्ण अवश्य है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि श्री शतरुद्ध प्रकाश जी ने कहा कि हम कैसे लायें, आप इस प्रश्न को ला सकते थे, कार्य-स्थगन में मेरे सामने तो नहीं रखा । नियम ५१ के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में अन्य विषयों के साथ बिजली का भी प्रश्न है, जब उन पर निर्णय करूंगा तब मैं विद्युत् मन्त्री जी को निर्देश दूंगा कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे दें, इसलिये आप इस पर निश्चित रहें ।

एक सदस्य--

आप विद्युत् मन्त्री जी से बयान दिलवा दें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रश्न यह है कि मैंने एक निश्चित प्रस्ताव आपके सामने रखा है ।

(व्यवधान--कई सदस्य एक साथ बोलते रहे ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, मैं यह समझता हूं कि सदन गम्भीरता के साथ, शान्ति के साथ आज विचार नहीं करना चाहता है ।

(पुनः कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्ति से बैठें ।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, हमने एक प्रस्ताव अलग से दे रखा है काम रोको प्रस्ताव । विषय एक ही है । आपने इस पर तो निर्णय दे दिया । अलीगढ़ के बारे में हमने पहले भी एक प्रस्ताव दिया था और आज भी आपकी सेवा में दे रखा है और चुप होकर बैठा हूं । इस प्रस्ताव पर तो आपने निर्णय दे दिया, लेकिन उस प्रस्ताव के बारे में आपने कुछ नहीं कहा । लगता है उसको हटा दिया गया ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरा भी ईमान है और धर्म है । अगर उसके बारे में मेरी इज्जत पर आयेगी तो मैं जान दे दूंगा । सिंगापुर में छेड़-छाड़ करने वाले इस मुल्क में अब लोगों की जान से छेड़छाड़ कर रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

आप यह आक्षेप कर रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

आक्षेप क्यों न करूंगा। यह मार कर आये हैं और मैं चुप रहूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न अनावश्यक रूप से उठाया गया है। अलीगढ़ के प्रश्न के बारे में एक कामरोको प्रस्ताव.... (व्यवधान)....आप मुझे सुनना नहीं चाहते। कृपा करके बैठें। इससे सदन के समय का कोई उपयोग नहीं होगा। श्री आरिफ ने एक आक्षेप किया। उसका तरीका यह है कि अगर किसी मंत्री के खिलाफ कोई अभियोग लगाना चाहते हैं तो उसे लिखकर दें और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित मंत्री को भेजी जाय। अगर आप यह चाहते हैं कि यह प्रणाली हो कि आरोप प्रत्यारोप हों तो उसकी प्रामाणिकता तो होगी नहीं। तो इस तरह से आप एक मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाते हैं तो इधर के सदस्य आपके विरुद्ध भी आरोप लगा सकते हैं। इसलिए इसका निर्णय हाउस ही कर सकता है, न्यायालय कर सकता है। अगर आप किसी मंत्री के खिलाफ या किसी सदस्य के खिलाफ आरोप लगाते हैं तो आप अध्यक्ष को लिखकर दें। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं यह विधान सभा की शिष्टता और सभ्यता के खिलाफ है। यह आदर्श आप उपस्थित कर रहे हैं? मैंने माननीय नेता विरोधी दल को पूरा अवसर दिया और उन्होंने प्रस्ताव को पढ़कर सुना दिया, ग्राह्यता के बारे में कहा। मैंने कहा कि इस प्रस्ताव को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

मैं यह अपेक्षा करता हूं और मैंने आपको आश्वासन भी दिया कि शान्ति और व्यवस्था के बारे में एक प्रस्ताव है उस पर आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। फिर गुलाब सेहरा का एक संशोधन भी है इस प्रस्ताव पर, उस संशोधन को भी मैंने मान लिया है। उस संशोधन पर भी आपको बोलने का मौका मिलेगा। फिर एक कामरोको प्रस्ताव माननीय ऊदल का है, उस पर मैंने अभी कुछ नहीं कहा (व्यवधान) और जितने भी प्रस्ताव हैं उनको आगे लूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

एक मेरा था उसे आपने स्वीकार नहीं किया। मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप भी नहीं लगाया था। उस पर भी आप सुनने को तैयार नहीं हैं, मैं बिजली की हड़ताल पर आ रहा था। सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी? डेढ़ घंटे आपके कमरे में बातचीत हुई, बहुत से मुद्दों पर बात हुई। शान्ति-व्यवस्था वाला प्रश्न अलग है।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरी रूलिंग को चुनौती दे रहे हैं। मैं व्यवस्था दे चुका कि आपका प्रस्ताव ग्राह्य नहीं है। मैंने उसे पढ़ कर भी सुनाया और यह कहा कि निश्चित विषय होना चाहिये। आप मेरे कक्ष में आ कर बताइये इस किस्म का कोई प्रस्ताव मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में दिया हो या कौल व शकधर में दिया हो। मैं सदन में आ कर अपनी व्यवस्था को संशोधित कर दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं तैयार हूं । आप सदन स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

सदन अभी स्थगित करने का सवाल नहीं है । मैं रूलिंग दे चुका ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कोई सीमा भी होती है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अपना निर्णय दे दिया । आप मेरी अवज्ञा करना चाहते हैं तो कीजिये । मेरी बिना इजाजत के आप बोलिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप चाहते हैं कि इस विषय पर मैं न बोलूं और मौन धारण कर लूं ?

श्री अध्यक्ष--

आपको पूरा अवसर मिलेगा देव बहादुर जी के प्रस्ताव पर बोलने का ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

व्यवस्था का प्रश्न है । मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

आप देखें कि सिर्फ आर० एस० एस० वाले ही उत्तेजित हो रहे हैं और सब लोग खामोशी से सुन रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय नारायण दत्त तिवारी नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो उन्होंने कहा (व्यवधान)

(सर्वश्री आरिफ मोहम्मद खां तथा गुलाब सेहरा द्वारा एक साथ खड़े हो कर व्यवधान करने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसे अस्वीकार किया और अब यह विषय समाप्त हो गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं....।

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता । अब आप बैठ जायं ।

श्री ऊदल

मान्यवर, आगे चलें ।

अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध मे कार्य-स्थगन प्रस्ताव का सूचना

श्री अध्यक्ष--

दूसरा श्री ऊदल, श्री देव कुमार यादव, श्री श्यामधर मिश्र, श्री हामिद रजा खां, श्री राम आसरे वर्मा ने दिया है जिसमें कहा है कि ५ अक्तूबर, १९७८ को अलीगढ़ में सांप्रदायिक दंगे के कारण प्रदेश की जनता में आतंक व्याप्त है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी) --

मान्यवर, यह जो मैंने तथा और माननीय सदस्यों ने कामरोको प्रस्ताव दिया है यह निश्चित विषय से सम्बन्धित है और विषय भी इतना महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा लोक सभा और राज्य सभा में भी हो चुकी है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री भी मौके पर अलीगढ़ आ चुके हैं, उनका भी ध्यान इस सम्बन्ध में आ चुका है। इस घटना में जो ५ अक्तूबर को हुई, मैं बाहर था वहां पढ़ने को मिला, इसका प्रचार दुनिया भर में हुआ है, १८ लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार पहले मारे हैं और नवम्बर में फिर घटना हुई उसमे १०-११ लोग मारे गये। अभी दो-तीन दिन की रिपोर्ट है कि एक व्यक्ति को काट कर फेंक दिया गया है। आज भी बाहर से देखने में अलीगढ़ में शांति मालूम होती है लेकिन अंदर-अंदर उत्तेजना का वातावरण है, शांति का वातावरण नहीं है। तो श्रीमन्, यह बात निश्चित है कि यह विषय एक निश्चित घटना से सम्बन्धित है। आप शांति-व्यवस्था के बारे में कहेंगे कि देव बहादुर सिंह जी का प्रस्ताव है उसमें आ जायेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस घटना के साथ जोड़ना न्याय नहीं होगा। साम्प्रदायिक सौहार्द्र देश के अंदर कायम करना जरूरी है जिसकी अपील माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के लोगों से की है। विरोधी दल के लोगों से भी और सभी दलों के लोगों की एक मीटिंग १७ दिसम्बर को बुलाई है। मैं चाहता हूं कि इसमें लम्बा भाषण न करके इस अलीगढ़ वाले मसले को आप अलग से कामरोको प्रस्ताव के रूप मे स्वीकार करें क्योंकि यह ऐसी घटना है जिसका देश के पैमाने पर साम्प्रदायिक सौहार्द्र की बात जुड़ी हुई है। हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, उस नीति को किस प्रकार कायम रखा जायेगा, उसका भी सम्बन्ध इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे भी और नेता सदन से भी है कि अगर आप इसे स्वीकार करेंगे तो जो कुछ मेरी जानकारी में है और जो माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिया है। जो तथ्य हैं जिनको मैंने प्रस्ताव में रखा है वह सब सामने आयेंगे और उस पर विचार करने से भविष्य में किस तरह से साम्प्रदायिक सौहार्द्र देश के अंदर कायम किया जा सकता है, साम्प्रदायिक एकता को कायम किया जा सकता है, इससे मैं समझता हूं मदद मिलेगी। और भविष्य में साम्प्रदायिक दंगे न हों उनके लिए भी सरकार को सुझाव मिलेंगे और उनको रोका जा सकता है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं और मेरा नम्र निवेदन है कि यह एक निश्चित विषय है और ऐसा विषय है जो अहम घटना से जुड़ा है और लोक महत्व का प्रश्न है। श्रीमन्, जहां २८, २९ लोग मारे जायं, महीनों से करफ्यू लगा हो, उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव को नेता सदन स्वीकार करेंगे उसका विरोध नहीं करेंगे और आप उसे स्वीकार करेंगे।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, माननीय ऊदल जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैंने भी वही प्रस्तुत किया है और माननीय सदस्यों ने भी प्रस्तुत किया है। उस सम्बन्ध में केवल ग्राह्यता के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा। कृपया आप जो प्रस्ताव आज श्री देव बहादुर जी ने शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में रखा है, उससे सम्बन्धित होते हुए भी, उससे सम्बन्धित न करें, उसके साथ न जोड़ें। निश्चय ही यह शांति-व्यवस्था में आयेगा लेकिन यह साम्प्रदायिक अव्यवस्था है।

साम्प्रदायिक दंगा इस तरह से हमारे देश के लिए कलंक बन गया है और जो अलीगढ़ में वीभत्स काण्ड हुआ, दोहराया जो काण्ड हुआ, उसका अलग से आप बहस नहीं कराते तो यह देव बहादुर जी के प्रस्ताव में मिल जाएगा और इसके साथ न्याय नहीं हो सकेगा। धारा ५६ और ५८ में साफ बात है कि निश्चित विषय होना चाहिए और एक विषय होना चाहिए। तो हम लोगों ने अलीगढ़ के दंगे के बारे में स्पष्ट रूप से एक विषय रखा है। ला ऐन्ड आर्डर का विषय तो एक व्यापक विषय है और यह विषय तो एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो न केवल देश में है, प्रदेश में, बल्कि पूरी दुनिया की आंखें उस ओर लगी हुई है। संसद में एक दिन उस पर चर्चा हुई, तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में उस पर दो घंटे तक अलग से चर्चा न हो। इसको कम से कम अलग किया जाए। देव बहादुर जी का प्रस्ताव मेरी समझ से आज आएगा नहीं और इतना ज्यादा अराजकता के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को कहना है कि उसमें यह बात डूब जाएगी।

*श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)--

इस पर एक दिन की चर्चा हो जाए, तो अच्छा रहे। प्रदेश में जम्हूरियत को जिन्दा रखना है तो प्रदेश में अक्लियत को खुश और खुर्रम रखना होगा। आप चाहते हैं कि जम्हूरियत पनप रही हो, फल रही हो और आपकी कुर्सी बनी रहे यानी प्रजातन्त्र कायम रहे तो उनकी तरफ आपको पूरा ध्यान देना होगा। आज वह खौफ और खतरे के आलम से गुजर रही है। आप उसकी बहबूदी के लिए कम से कम एक दिन का मौका रखें, ताकि अलीगढ़ के मामले पर पूरे एक दिन यहां बहस हो सके।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

अलीगढ़ की घटना हमारे देश, प्रदेश और समाज के लिए कलंक की बात है। उस पर माननीय सदस्यों की जो भावनाएं हैं वह व्यक्त भी होनी चाहिए, लेकिन एक बात की ओर आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अलीगढ़ के मसले को लेकर काफी भाषण और वक्तव्य आए हैं, बहुत से नेताओं के आए हैं और मैं समझता हूं कि इससे वातावरण सुधरने के बजाए बिगड़ा है। आज अलीगढ़ में ईश्वर की कृपा से शान्ति है, अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस शान्ति को कायम रखने के लिए इस विवाद को इस समय स्थगित रखा जाए और वहां की शान्ति में यहां के सभी सदस्यों को अपना योगदान करना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि वह शान्ति पुनः भंग हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मैनेजर सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा एक व्यवस्था चाहता हूं, क्योंकि अलीगढ़ की उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि सारी दुनिया में उसकी चर्चा है, लोक सभा में उसकी चर्चा हुई, राज्य सभा में उसकी चर्चा हुई, दूसरे देशों में भी हो रही है। अलीगढ़ में २८ लोग तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मारे गये, लेकिन हमारी रिपोर्ट यह है कि ४ लोगों को आर० एस० एस० और पी० ए० सी० वालों ने जिन्दा जलाया और ३६ लोग कम से कम मारे गये। जनता पार्टी की कमेटी ने कहा, अध्यक्ष ने कहा और महामंत्री ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग इस बात को कह रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कम से कम एक दिन चर्चा होनी चाहिए। (शोर)

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

एक मिनट चाहता हूं। कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो खतरनाक हो। (व्यवधान) देखिए, मान्यवर, देखिए।

एक सदस्य---

इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

*श्री आरिफ मोहम्मद खां--

अलीगढ़ के पूरे कांड को साम्प्रदायिक कहना गलत बात है। अलीगढ़ के साम्प्रदायों में, हिन्दू-मुसलमानों में कोई लड़ाई नहीं है। बल्कि हकीकत यह है कि पिछले तीस सालों में पहली बार अलीगढ़ के उन मोहल्लों में जहां पर मुसलमानों की तादाद कम थी, उन मोहल्लों में हिन्दू भाइयों ने, घर से निकल कर, गली में खड़े हो कर, डंडे ले कर, बलवाइयों को रोका, मुसलमानों के घरों में आग लगाने से रोका।

(शोर)

श्री नेम सिंह चौहान--

माननीय अध्यक्ष महोदय, घटना पर यह चर्चा किस नियम के अन्तर्गत हो रही है?

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मैं चन्द मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

श्री नेम सिंह चौहान--

अध्यक्ष महोदय, मैं अलीगढ़ से स्वयं सम्बन्धित हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मैं खत्म कर रहा हूं । एक मिनट चाहता हूं ।

श्री नेम सिंह चौहान--

अगर आप अनुमति दे रहे हैं चर्चा की इस समय तो अनुमति हम को भी दी जाय । जो लोग दूरदर्शी हैं उनको किस नियम के अनुसार इजाजत दी जा रही है ? उन्होंने अलीगढ़ को आज तक नहीं देखा । यह समस्तीपुर और फतेहपुर में सारा झगड़ा (शोर) ।

एक सदस्य--

जिन लोगों का प्रस्ताव है उनसे ग्राह्यता के बारे में सुन लीजिये ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मुझे बोलने दें ।

एक सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, हम को भी सुन लिया जाय ।

श्री श्याम धर मिश्र--

आपने इन को बुलाया है । (शोर)

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मैं अपनी बात खत्म कर दूं ।

श्री नेम सिंह चौहान--

जब यह बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे ।

(श्री आरिफ मोहम्मद खां तथा श्री नेम सिंह चौहान, दोनों ने एक साथ घोर शोर के बीच बोलना प्रारम्भ किया ।)

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

यह बलवाई हैं, बलवाई, जिन्होंने दंगा कराया है, यह आर० एस० एस० वाले नहीं चाहते (व्यवधान) यह हिन्दू-मुसलमानों की लड़ाई नहीं है ।

श्री नेम सिंह चौहान--

अब कोई झगड़ा नहीं हो रहा है ।

(शोर) (श्री श्याम देव भी खड़े हो कर बोलने लगे)

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

यह बलवाई हैं, बलवाई ।

(व्यवधान तथा शोर) ।

एक सदस्य--

न्यायिक जांच हो रही है ।

एक सदस्य--

यह अलीगढ़ में फिर आग लगाना चाहते हैं ।

[कांग्रेस (आई) तथा कांग्रेस के बहुत से सदस्य खड़े हो गये ।]

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिए ।

(श्री मंजूर अहमद तथा श्री आरिफ मोहम्मद खां, सदन के बीच खाली जगह पर प्रतिवेदकों की मेज के पास आ गये ।)

(श्री मंजूर अहमद तथा आरिफ मोहम्मद खां ने नारे लगाये, सदन नहीं चलने देंगे ।)

(कुछ क्षणों के बाद श्री आरिफ मोहम्मद खां तथा श्री मंजूर अहमद वापस गये ।)

(व्यवधान जारी)

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मैं अपनी बात समाप्त करके ही बैठूंगा । मान्यवर, आप व्यवस्था कीजिए । यह [× ×] नहीं बोलने देना चाहते हैं ।

(व्यवधान व शोर)

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

घूंसा दिखाते हो । मान्यवर, मेरी जान खतरे में है । यह कह रहे हैं मारेंगे ।

[कांग्रेस (आई) के कई सदस्य श्री आरिफ व श्री मन्जूर अहमद मंच के सामने आ गये] ।

(व्यवधान जारी)

श्री मन्जूर अहमद--

ये गांधी के हत्यारे हैं । ये गांधी के हत्यारे हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मुर्दाबाद-मुर्दाबाद ।

(ये गांधी के हत्यारे हैं, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे श्री आरिफ तथा मंजूर अहमद ने लगाये ।)

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठ जाइये ।

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

इन्होंने मुझे धमकी दी है। कह रहे हैं गोली मारूंगा। इन्होंने मुझे धमकी दी है।

श्री अध्यक्ष--

आरिफ जी, जरा बैठिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

औरों को मार दिया मुझे भी मारो।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए। मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है कि सदन में जो गम्भीरता होनी चाहिए वह नहीं है। अलीगढ़ के प्रश्न पर माननीय विरोधीदल के सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव रखा है। लोक सभा और राज्य सभा में भी इस पर चर्चा हुई है। अगर इस प्रकार से चिल्लाकर और धमकी देकर सदन की कार्यवाही होगी तो यह सदन नहीं चल सकता है और गम्भीरता के साथ आप अपना पक्ष रख सकते हैं। जहां तक इस काम रोको प्रस्ताव का प्रश्न है इस पर एक ही मत है, एक निश्चित विषय है यह नियमों की ग्राह्यता की परिधि में आता भी है। लेकिन मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में, माननीय श्यामधर जी भी थे, और सभी लोग थे।

श्री अवस्थी--

हम नहीं थे।

श्री अध्यक्ष--

रियासत साहब भी मौजूद थे, मैंने यह प्रश्न उसमें उपस्थित किया था कि पहले दिन अलीगढ़ का प्रश्न उठेगा। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहा था। तो माननीय सदस्यों को यहां इस प्रकार से उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो सब लोगों ने यह अन्डरस्टैंडिंग दी थी कि यह प्रस्ताव, जो आज के लिये था, ले लिया जाये उसमें उसकी भी चर्चा हो जायेगी। अगर यहां सदन में उत्तेजना होगी और धमकियां दी जायेंगी तो सदन कैसे चलेगा? मुझे अत्यन्त खेद है क्योंकि मैं माननीय नेम सिंह जी से ऐसी आशा नहीं करता था। आज उनका जैसा व्यवहार रहा है उसकी मुझे उनसे आशा नहीं थी (व्यवधान) आप देवी जी, बैठ जाइये, मैं बोल रहा हूं। देश में आज हिंसा का वातावरण बढ़ता चला जा रहा है। अगर सदन में ही इस प्रकार की भावनायें होंगी तो बाहर क्या हाल होगा? दो माननीय सदस्यों की अभी हत्या हो गयी है। जब तक आपकी भावनायें अहिंसात्मक नहीं होंगी, आप स्वयं समझ सकते हैं कि अलीगढ़ के प्रश्न पर बहस कैसे शान्तिपूर्वक हो सकती है। (व्यवधान)।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मेरा निवेदन है कि आज अगर सम्भव न हो तो आप किसी दूसरे दिन २ घंटे का समय इसके लिये दे दें।

एक सदस्य--

एक दिन का पूरा समय मिलना चाहिये ।

श्री नेम सिंह चौहान--

मुझे नम्रतापूर्वक निवेदन करना है कि माननीय आरिफ साहब ने यहां यह शब्द कहे कि [× ×] (व्यवधान) हमने अलीगढ़ में शान्ति के लिये दिन-रात काम किया है । मैंने शब्द [× ×] पर विरोध किया था और अभी भी उसका विरोध कर रहा हूं । उन्हें अपने वे शब्द वापस लेना चाहिये ।

*श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी थी और आपकी इजाजत से मैं जब बोल रहा था तो उधर से माननीय सदस्य टोक रहे थे, घूंसा उठा-उठा कर दिखा रहे थे, धमकी दे रहे थे (व्यवधान) मैंने तो केवल इतनी बात कही थी (व्यवधान) यह बहुत अर्जेन्ट मामला है । अलीगढ़ में अभी भी कर्फ्यू है। इसलिए इस मामले को अब कल रखिये ।

(श्री उदित नरायन का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री शफीकुर्रहमान वर्क--

अलीगढ़ के लिए एक दिन का समय रख दें । इसमें अवश्य बहस आना चाहिए और इसके लिए आप टाइम अवश्य निश्चित कर दें ।

*श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता के साथ आपके माध्यम से दोनों ही पक्षों से एक निवेदन करना चाहता हूं । श्रीमन्, इसमें कोई संदेह नहीं कि अलीगढ़ की जो दुर्घटना हुई है, वह हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, सभी के लिए निःसंदेह एक लज्जा की बात है । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती । प्रश्न यह है कि अब जब हम इसके ऊपर विचार करेंगे, तो हमारा दृष्टिकोण यह होगा या नहीं होगा । एक बात जो हो गयी है और अब करीब-करीब सामान्य स्थिति को पहुंच गयी है, जो आग एक मर्तबा बुझ गयी है, कम से कम हम ऐसा कोई काम न करें, जिसकी वजह से बाहर सामान्य लोगों को यह कहने की गुंजाइश हो कि राजनीति के दलदल में फंसे हुए लोग अपनी राजनीति को अच्छा बनाने के लिए, चाहे वह इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों, जो एक बात समाप्त हो गयी थी, जो लोग भूल गये, उसको वह इस तरह से ताजा कर रहे हैं । किसी का दोष हो, उसको दण्ड दिया जाय । हम किसी को एक्यूज करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं । हम और आप ठंडे दिमाग से यहां पर बैठकर अगर इस तरह से बात करेंगे कि जिसमें तर्क का, जिसमें संयम का, जिसमें हमारे विचारों का आदान-प्रदान की गुंजाइश होगी, तब तो कुछ हो सकता है, तब तो हो सकता है कि उससे कुछ लाभ हो, कुछ नतीजा निकल सकता है । अगर यहां पर घूंसा दिखायेंगे, तो बाहर तलवार लोग दिखायेंगे और कहेंगे कि विधान सभा और विधान

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री उदित नरायन--]

परिषद् में बैठने वाले लोगों के कार्यकलाप इस सम्मानित सदन के अन्दर ऐसे होते हैं। इसलिए श्रीमन् मेरा एक निवेदन इसी संदर्भ में और है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके बारे में मैंने एक पत्र उनको लिखा था कि इसमें आपने एक प्रशंसनीय कार्य किया है। आपने एक आयोग बैठा दिया है जो इसकी जांच करेगा। उसके बारे में मैंने एक यह भी बयान मुख्य मंत्री जी का पढ़ा था कि जैसे ही अलीगढ़ की स्थिति सामान्य हो जायगी, वैसे ही मैं प्रारम्भ कर दूंगा। यदि आप उस आयोग के कार्य को आरम्भ कर देंगे, तो वह स्थिति के सामान्य होने में सहायक होगा। वायदे-वायदे जायते तथ या बोधः माननीय हमारे नेता विरोधी दल का ध्यान एक तरफ दिलाऊं। इसी सदन में पहले सम्भल के एक दुःखद काण्ड की चर्चा हुई थी। उस समय का मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, उसके लिए हमारे विरोधी दल के नेता ने भी यह कहा था कि इसके ऊपर विवाद करके हम फायदा नहीं कर सकते बल्कि जो चीज बुझ गयी है उसको बढ़ाना है। इस पर चर्चा न की जाय। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में बैठकर अपनी-अपनी राजनीति को चलाने के लिये इस घटना को अपना-अपना रंग देकर अगर यहां पर रखेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। आयोग गठित हो गया है उसको अपना काम करना है। वह कहेगा कि कौन दोषी है। हम और आप आपस में किसी को दोषी और किसी को निर्दोष साबित कर सकें यह असम्भव है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस पर इजाजत भी देना चाहें तो आप कृपा करके इस पर २-४ रोज का समय छोड़ कर समय दें जिससे लोगों की तबीयत शांत हो जायगी और शांत वातावरण में यह होगा।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

दूसरी बात मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह तत्काल ऐसा प्रयास करें कि जिसमें कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो नरसों, २, ४ रोज के भीतर यह आयोग अपना कार्य आरम्भ कर दे। उसके बाद यह चर्चा अपने आप समाप्त हो जायगी। न्यायिक जांच तो पड़ी हुयी है, वैसे आपको इस पर इजाजत नहीं देना चाहिये।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, यह एक गम्भीर विषय है, इसको माननीय सदस्य गम्भीरता से ले रहे हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि दुःख सिर्फ इस बात का है कि २ महीने हो गये, ५ अक्तूबर से लेकर ५ दिसम्बर तक दो महीने हो गये इस सारे काण्ड को हुये। जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि कमीशन की घोषणा हो गयी है। तो कमीशन की घोषणा लखनऊ के लिये हुयी, कानपुर के लिये हुयी, बनारस के लिये हुयी। लेकिन कमीशन की घोषणा के बाद भी यह क्रम रुका नहीं है। बराबर चल रहा है। इसमें एक प्रश्न जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं इसमें माइनारिटीज कमीशन की कुछ न कुछ रिपोर्ट आ गयी है। करीब-करीब हर राजनीतिक दल के जो डेपूटेशन वहां गये हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है जो अखबारों में भी निकली है। प्रधान मंत्री ने अलीगढ़ जाकर कुछ न कुछ कहा है। खेद सिर्फ इस बात का है, मुख्य मंत्री जी भी वहां हो आये हैं, तकलीफ इस बात की है कि इन सारी चीजों के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की इसका अभी तक किसी को पता नहीं है। किसी भी अखबार में इस तरीके की कोई घोषणा नहीं हुयी है। सारे लोगों को फाइडिंग्स हुयी हैं लेकिन इस प्रदेश की सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है, चाहे पी० ए० सी० के सम्बन्ध में हो या अधिकारियों के सम्बन्ध में हो या लोगों के सम्बन्ध में हो, वह बिल्कुल डार्क में है। मैं समझता हूं कि इसकी गम्भीरता को आप स्वयं महसूस करेंगे, मुझे प्रतीत हो रहा है कि आप ग्राह्य करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ के विषय में सरकार ने आज तक क्या किया, वह सदन के सामने आना चाहिये। महज कमीशन की घोषणा करने से, लखनऊ, कानपुर, बनारस में घटनायें हुयीं, इस तरीके से हम संतुष्ट नहीं होते। अब तक यह कहा जाता था कि जुडीशियल कमीशन एपाइंट कर दीजिये। लेकिन अब माननीय सदस्यों को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि जुडीशियल कमीशन से आगे चलकर कौन सी चीज होगी जिससे इन चीजों को रोका जा सके। माननीय ऊदल जी ने जो प्रस्ताव दिया है वह गम्भीर है। उस पर आप विचार करें और कम से कम एक दिन का समय दें ताकि सब चीजें सामने आ जायें। इसलिये इस पर एक दिन चर्चा का समय अवश्य दें।

श्री फजलुलबारी--

मान्यवर, श्री उदित नारायण शर्मा ने जो बात कही वह बिल्कुल ठीक कही है। हम जिम्मेदार लोग यहां बैठे हुये हैं। हम चाहते हैं कि जम्हूरियत मजबूत हो। जम्हूरियत की मजबूती के लिये जरूरी है कि अक्लियत खुशहाल रहे। जो हम चर्चा की मांग कर रहे हैं वह इसलिये नहीं कि बतायें कि कौन मुजरिम हैं बल्कि जो लोग यहां बैठे हैं और जिन पर सरकार चलाने की जिम्मेदारी है वह लोग इस मसले को यहां बैठकर विचार करें कि जो साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं वह कैसे बन्द हों? अलीगढ़ में जो हुआ उसको रोकने का क्या तरीका है? देश और प्रदेश के लिये यह जरूरी है कि वह इस मसले पर गम्भीरता से सोचें और इस गम्भीर मसले को इसी तरह हवा में न छोड़ दिया जाय बल्कि इस मसले पर बैठकर चर्चा करके एक हल तैयार करें।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, शिकायत और सच्चाई के बीच में सच्चाई पिस जाती है। मैं किसी की नियत पर शक नहीं करता हूं। श्री आरिफमोहम्मद से मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि शायद आपका देश को बनाने में बड़ा योगदान रहेगा। मान्यवर, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि अलीगढ़ का सवाल महत्वपूर्ण है, इसमें शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अलीगढ़ में जो हुआ, क्या वह फिर बनारस में नहीं होगा, इलाहाबाद में नहीं होगा या उसकी पुनरावृत्ति सूबे में नहीं होगी? अलीगढ़ तो केवल एक छोटे से अभिशाप का उदाहरण है। सबसे बड़ी चीज तो फिरकापरस्ती है। उससे जो दंगे हो रहे हैं उस पर हमको सोचने की बात है कि यह दंगे कैसे रुकें और यह क्यों हो रहे हैं? मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दिया न्यायिक जांच के लिये और वह हो जायेगी, बनारस, कानपुर और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खान गुफरान जाहिदी--]

अलीगढ़ में हो जायेगी । लेकिन क्या इससे दंगे रुक जायेंगे ? यदि नहीं तो कैसे रुकेंगे ? अलीगढ़ के सवाल पर विचार हो या नहीं इस पर मतभेद नहीं है । मैं दिमागी लचक रख सकता हूं तो यदि सब की राय हो जाय तो गोपनीय बैठक बुला लें । लेकिन उत्तर प्रदेश की बदनामी हुई है । तो जिसकी बदनामी होगी वह सूबा आगे नहीं बढ़ सकता है, जहां मतभेद रहेंगे वह आगे नहीं बढ़ सकता । १० करोड़ के सूबे को एक रखने के लिये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । इसलिये मैं चाहूंगा कि आज जो प्रस्ताव रखा गया है, श्री ऊदल द्वारा, उसमें मेरी गुजारिश है, चाहे अलीगढ़, बनारस और कानपुर को भी उसमें शामिल कर लें, कि हम सारे लोग बैठकर इस पर विचार करें कि यह साम्प्रदायिक दंगे कैसे रुकेंगे और साम्प्रदायिकता कैसे समाप्त होगी ? यह समाप्त होने पर ही देश और सूबा आगे बढ़ सकता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस नाजुक मसले पर बहुत ही गम्भीरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ विचार करके साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक दंगे पर एक दिन या दो दिन चर्चा करलें क्योंकि सारे जो दृश्य उपस्थित हो रहे हैं । यह एक तरह से घुटन की अभिव्यक्ति है । मान्यवर, यहां पर मौका ही नहीं मिल पाता अपनी बात कहने का । चाहे बनारस में दंगा हुआ, गोली चली, अलीगढ़ की बात हो जाय संसदीय परम्परा में ऐसे नियम हमें दे दिये हैं कि हम मूल बातों को, बुनियादी बातों को नहीं रख पाते । जो बुनियादी बात है वह है साम्प्रदायिकता की समस्या । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विषय पर इस सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश में जो साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं वे बन्द हों ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)--

मान्यवर, आज काम रोको प्रस्ताव के सिलसिले में जो बातें आई और उस पर जो गर्मागरमी हुई वह बड़ी तकलीफदेह थी । वह इसलिए कि जब गरम से गरम बात की जाय यदि वह नरम लहजे से की जाय तो शायद बात ज्यादा समझ में आयेगी । सवाल यह है कि सिक्यूलेरिज्म के लिए हमको, आपको विचार करना है । इसके लिए यह सदन है और इससे बड़ा सदन दिल्ली में है । हमें इस पर विचार करना होगा ताकि सिक्यूलेरिज्म को ताकत मिलेगी । शासन कहां पर फेल होता है, लोग कहां पर फेल होते हैं, मैं समझता हूं कि यह बड़ा गहरा मामला है । ग्राह्यता में समझता हूं कि तय हो जानी चाहिए थी उसी वक्त । दो घंटे इस में व्यर्थ गये लेकिन सबरे मोहतरम में चाहता यह हूं कि इसके लिए मुकम्मल एक दिन रखा जाय और निहायत संजीदगी और नभंदिली से मर्ज को मालूम किया जाय तभी मर्ज दूर होगा ।

इन शब्दों के साथ में अर्ज करना चाहता हूं कि एक दिन इस के लिए रखा जाय ताकि इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर किया जा सके ।

*श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला मैं समझता हूं बहुत गम्भीर और राष्ट्र का बहुत बड़ा सवाल है । सदन में जो ४२५ विधान सभा के सदस्य बैठे हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इन सबमें कोई साम्प्रदायिकता नहीं हो सकती । मान्यवर, राष्ट्र के पैमाने पर पार्लियामेंट में बहस हो चुकी है, भारत के प्रधान मन्त्री वहां जा चुके हैं और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो अलीगढ़ नहीं गया । तीन-चार मेम्बर हम गये । सभी पार्टियों की कमेटी अलग गयी । परन्तु अलीगढ़ के हिन्दू और मुसलमान सब नागरिकों ने कहा कि मान्यवर, आप लोग ऊपर से हमारी सहायता कीजिए यहां पर ज्यादा बयान नहीं दीजिए । वहां पर जाकर हम ने खुद देखा है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं खास तौर पर तिवारी जी से कि यह प्रश्न राष्ट्र का है । हमारी आपकी राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता दूसरी बात है । हम समझते हैं राष्ट्र विधान सभा से और लोक सभा से बहुत बड़ा होता है । अलीगढ़ में शान्ति हो चुकी है । इस पर सद्भावना के वातावरण में बात होनी चाहिए । इसे ज्यादा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । यह जो ग्राह्यता का सवाल है इस मामले पर मुझे कोई एतराज नहीं है ।

अगर यह करते हैं तो एतराज नहीं है । लेकिन मामला इतना नाजुक है कि उस पर अच्छा होगा कि यहां बात न उठायें । उसके लिये उचित होगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी, नेता विरोधी दल, और १०, २० या २५ जागरूक विधायक और दलों के नेताओं से बात कर लें, उसमें इनकी एक कमेटी बनावें जो इस समस्या के बारे में बैठकर आपस में बात कर लें, लेकिन इतने नाजुक मामले पर सदन में, मान्यवर, बहस न होने दें ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, क्या काम रोको सवाल पर और उसकी ग्राह्यता पर जिन सदस्यों ने प्रस्ताव नहीं रखा है, क्या वे भी बोल सकते हैं ?

अध्यक्ष--

श्री बोल सकते हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, आपने अब इसे स्वीकार तो कर ही लिया है । अब केवल इसकी ग्राह्यता की बात रह गयी । तो जब स्वीकार कर लिया है । तो फिर अग्राह्यता की बात क्या रह गयी ?

श्री अध्यक्ष--

श्री देव बहादुर सिंह ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, मैंने कहा है कि यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसको अग्राह्य करार दिया जा सके लेकिन किस वातावरण में इस पर बहस हो, यह देखना है । इसीलिये मैंने इसकी अनुमति नहीं दी । मैंने कहा कि ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो अग्राह्य हो लेकिन जिस वातावरण में यह होना चाहिये वह वातावरण नहीं है । इसीलिये मैं चाहता हूं सभी नेताओं से परामर्श कर लें और अलीगढ़ तथा प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे के प्रश्न पर गम्भीरता के साथ विचार किया जाय । लेकिन आज जैसा कि आप लोगों के स्वभाव को देख रहा हूं, यह उचित नहीं प्रतीत होता । अगर एक तरफ से कुछ कहा जाय और दूसरे लोग शोर मचाकर उनको रोकें और सुनना न चाहें तो बहस चलना मुश्किल होगा । तो मैं इस विषय को रोक नहीं रहा हूं लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं ५.३० बज रहे हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल, कम्युनिस्ट दल के नेता, कांग्रेस दल के नेता तथा अन्य सभी दलों के

नेताओं से बातकर लें। मैं इसके लिये समय देने के लिये तैयार हूं। मैं सोचता हूं कि इन सभी नेताओं की एक बैठक बुलाऊं और मैं कल ही बैठक बुलाऊंगा और तब उनके परामर्श पर इस प्रश्न पर बहस के लिये समय दिया जायेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बिजली की हड़ताल के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब काम रोको प्रस्ताव लेता हूं।

सहकारिता, स्वायत्त शासी संस्थाओं एवं कृषि उत्पादन मंडी समिति में सदस्यों की नामजदगी के प्रश्न, गन्ने के मूल्य तथा महामारी आदि के प्रश्न पर समय निश्चित कर देंगे।

(व्यवधान)

आप अव्यवस्था न करें।

श्री नारायन दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, बिजली की हड़ताल आज होने वाली है।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से नहीं।

अब दूसरा है लखनऊ में कुछ संदिग्ध विदेशियों द्वारा चित्र लिये जाने का काम रोको प्रस्ताव जिसको मैंने अग्राह्य कर दिया है।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें से पहला श्री शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री डी० पी० बोरा, श्री रवीन्द्र सिंह, श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा, श्री अशोक बाजपेयी का शुक्ला गंज जिला उन्नाव के निवासी नवयुवक श्री प्रकाश त्रिपाठी उर्फ मुन्ना तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ द्वारा १० अक्तूबर, १९७८ का हत्या सम्बन्धी है इसको मैंने स्वीकार किया है। माननीय गृह मंत्री जी, इसको मैंने स्वीकार किया है आप इस पर अपना वक्तव्य दें। दूसरा प्रश्न है उन्नाव के थाना अजगैन में हरिजनों को पीटना तथा उनके घरों में डकैती, इसमें चूंकि एक प्रश्न आ गया, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का प्रश्न है विद्युत् कर्मचारियों के ७ दिसम्बर, १९७८ की रात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का आह्वान किये जाने के सम्बन्ध में, इसको मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। श्री जनार्दन प्रसाद का भी इसी प्रकार का प्रश्न है इस पर विद्युत् मंत्री जी वक्तव्य दें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

आप बैठिये । आप बैठ जाइये पुरुषोत्तम जी । मुझे अत्यन्त खेद है कि आप बार-बार सदन में व्यवधान डालते हैं । आप कृपया बैठें । माननीय विद्युत् मंत्री जी, यह आज एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, यह मैंने स्वीकार किया है इस पर आप कब वक्तव्य दीजियेगा ?

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ५ विधायकों ने जो नोटिस आपको दिया था, कृपया उसमें तारीख बता दें कि मुख्य मंत्री कब वक्तव्य देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कम से कम ऐसे प्रहार न कीजिये जो पब्लिक मीटिंग में करते हैं, थोड़ा सदन की मर्यादा का ध्यान रखें । मैंने इस प्रश्न को स्वीकार किया है और गृह मंत्री को आदेश दिया है वक्तव्य देने को ।

प्रदेश के विद्युत् कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

*विद्युत् मंत्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)--

मान्यवर, वैसे बिजली कर्मचारियों ने आज रात्रि के १० बजे से हड़ताल पर जाने का नोटिस दे रखा है उसमें जो इंजीनियर वर्ग है वह तो काम करेगा लेकिन बाकी लोग हड़ताल पर जायेंगे । मान्यवर, इसके बारे में आपकी आज्ञानुसार कल मैं विस्तृत वक्तव्य दे दूंगा कि कौन सी मांग हैं, किस तरह की व्यवस्था है, किन मजबूरियों में हम उन मांगों को नहीं मान रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

माननीय मंत्री जी केवल यह बतायें कि इन्होंने आज के लिये क्या इन्तजाम किया है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

संक्षेप में बात यह है कि विद्युत् कर्मचारियों के वेतन के पुनरीक्षण के लिये १९७४ में पुनरीक्षण होना ड्यू था । आपात स्थिति के बीच में और पिछली सरकार जिस तरह चलती रही वह आप सबको पता है । वह वेतन पुनरीक्षण के लिए आदेश नहीं जारी किये गये । पिछली सरकार ने जाते-जाते एक वेज कमेटी की नियुक्ति कर गयी थी । जनता पार्टी की सरकार ने आते ही, उस कमेटी की आयु समाप्त हो गयी थी, वेज रिवीजन के प्रश्न को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया और वह कमेटी पुनर्जीवित कर दी गयी । इस मामले को लेकर विद्युत् परिषद् के कर्मचारी जो तानाशाही से मुक्त हुए थे, वे इस बात पर जोर देने लगे कि हमें कोई अन्तरिम सहायता दी जाय । हमारा सन् १९७४ में रिवीजन हुआ था । पिछली सरकार ने किया नहीं...

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री जी ने स्वयं कहा कि कल विस्तार से वक्तव्य देंगे । आज दस बजे रात से कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं तो वे सिर्फ यही बता दें कि प्रदेश में दस बजे रात के पश्चात् बिजली मिलेगी या नहीं ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, ३५ ब० की एक अन्तरिम रिलीफ उन्हें दी गयी और कहा गया कि २० अक्तूबर, १९७८ तक वेज कमेटी अपना फैसला दे दे ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

आप केवल यह बता दें कि आज रात दस बजे के बाद बिजली देंगे या नहीं ?

श्री शत्रुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, वेज बोर्ड ने जो नया वेतन मान तय किया है वह अप्रैल सन् ७४ से है या उसके पहले का है । यह स्पष्टीकरण देकर आगे बढ़ें ।

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

तानाशाही से तो मुक्ति मिल गयी । लेकिन यह बतायें कि क्या बिजली से भी मुक्ति मिलने वाली है ?

श्री अध्यक्ष--

विद्युत मंत्री जी, आप कल विस्तार से वक्तव्य देने को कह रहे हैं तो कल दीजिए । केवल इस वक्त एक प्रश्न है जो श्री रियासत हुसेन ने कही हड़ताल पर जाने के बाद आज बिजली की क्या स्थिति होगी और आपने क्या वैकल्पिक व्यवस्था किया है केवल यही बता दीजिए बाकी कल आप वक्तव्य दे दीजिएगा ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, हड़ताल की बात, वेज कमेटी की फाइंडिंग के बाद उन्होंने कहा कि हम यह निर्णय नहीं मानेंगे, यहीं से शुरू हुई है । ११ करोड़ रुपया...

श्री अध्यक्ष--

माननीय विद्युत मंत्री जी, आप अपना वक्तव्य कल दीजियेगा । आज सिर्फ यह बता दीजिए कि हड़ताल का क्या नतीजा होगा ? ऐसा तो नहीं है कि अन्धेरा हो जायगा और विषय पर आप मत जाइये ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, इसके बावजूद कि लगभग लाख कर्मचारी हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं फिर भी हमारे प्रदेश के इंजीनियर विद्युत उत्पादन के कार्य में जी जान से जुटे हैं और इस बात की व्यवस्था की गयी है कि दूसरे प्रदेशों से हमको कितनी बिजली मिल सकती है और ट्रान्समिशन लाइंस को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिससे बिजली का कार्य अविरल चलता रहे । सुरक्षा की दृष्टि से भी सारी व्यवस्था कर ली गयी है । फिर भी मुझे विश्वास है कि हमारा श्रमिक वर्ग जो कुछ मुट्ठी भर नेताओं के इशारे पर हड़ताल की बात कर रहा है वह अपनी हड़ताल कहीं न कहीं वापस कर लेगा ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

आज अगर किसी वजह से अन्धेरा हो जायेगा और बिजली चली गयी तो पूरे प्रदेश के जानवरों की रक्षा कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष—

मंजूर साहब करेंगे । अब इस पर विद्युत् मंत्री कल अपना वक्तव्य देंगे ।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ :
७ दिसम्बर, १९७८ ।

सत्यप्रिय सिंह
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

मुद्रण प्रतिबंधित सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८५ पर)

उन काश्तकारों की सूची जिनके कनेक्शन १५ नवम्बर, १९७४ से ३१ मार्च, १९७५ के मध्य काटे गये थे।

क्रम-संख्या	उपभोक्ताओं का नाम व पूरा पता	अश्व शक्ति तथा प्रयोग	कनेक्शन काटने की तिथि	अन्य विवरण
१	२	३	४	५
१	सर्व श्री छेदी राम, ग्राम नेवारी पो० लालगंज	१० अश्व शक्ति कृषि/औद्योगिक	३१-१२-७४	
२	ठाकुर प्रसाद शुक्ल, ग्राम बाघापार पो० बनकटी	७.५ अश्व शक्ति नलकूप मात्र	३/७५	
३	हृदय नरायण, ग्राम पो० अजगैरा जंगल	१० अश्व शक्ति नलकूप औद्योगिक	२-१-७५	
४	दयाराम शुक्ल, ग्राम पुरवा पो० बस्ती	१ अश्व शक्ति चाप कटर	६-१-७५	
५	राम भरोद, ग्राम निबिया पो० बोलहरा	७.५ अश्व शक्ति नलकूप मात्र	१६-१-७५	
६	हरि हर सिंह, ग्राम महरी पुर, पो० बस्ती	३ अश्व शक्ति नलकूप मात्र	२६-३-७५	
७	रामसूरत पाडेय, ग्राम मदनपुर पो० टिजिब	७.५ अश्व शक्ति नलकूप मात्र	२८-१२-७४	
८	शक्ति नाथ पांडेय, ग्राम पो० हापो० पिपरा	७.५ अश्व शक्ति नलकूप मात्र	२५-१-७५	
९	अवधबिहारी लाल, ग्राम बड़ावा, पो० कफान	१० अश्व शक्ति नलकूप मात्र	२२-२-७५	
१०	मातादीन गनेशपुर	७.५ अश्व शक्ति नलकूप मात्र	१३-१२-७४	
११	विश्व नाथ पान्डेय, ग्राम पकड़ीमेई, पो० मलेयापीर	१० अश्व शक्ति नलकूप मात्र	१५-३-७५	
१२	राम नेवल चौ०, ग्राम बेबन्दा कला, पो० मुन्डेरवा	७.५ अश्व शक्ति नलकूप मात्र	२१-३-७५	
१३	त्रिभुवन कंशर महादेव, पो० कास्टरगंज	७.५ अश्व शक्ति नलकूप मात्र	२३-१-७५	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १८६ पर)

संलग्नक

सी० पी० एम० टी० १९७७ में विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों के प्रतिशत का विवरण

श्रेणी	आवेदन-पत्रों की संख्या	आवेदन-पत्रों का प्रतिशत
सामान्य श्रेणी		
सामान्य (पुरुष)	१४,८४८	७५.८५
सुरक्षित श्रेणी		
सामान्य (महिला)	३,१३०	१५.९८
अनुसूचित जाति	८७९	४.४९
अनुसूचित जनजाति	५७	०.२९
पहाड़ी क्षेत्र	३४६	१.७६
उत्तराखंड (पुरुष)	१७८	०.९०
उत्तराखंड (महिला)	२७	०.१३
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चे	१०८	०.५५
युद्ध में शहीद सेनानियों के बच्चे	१	०.००
कुल ..	१९,५७४	

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९० पर)

नाम	किस प्रकार पुरस्कृत किया गया चरित्र पंजी में विशिष्ट प्रविष्ट/उल्लेख
सर्वश्री	
१—आर० के० शर्मा, अधिशासी अधिकारी	नगरपालिका, हाथरस ।
२—के० एल० चित्तौडिया, स्वास्थ्य अधिकारी	नगरपालिका, हाथरस ।
३—एस० बी० मिश्रा, मुख्य सहायक निरीक्षक	नगरपालिका, हाथरस ।
४—एम० डी० अग्रवाल, सहायक निरीक्षक	नगरपालिका, हाथरस ।
५—एस० के० पी० शर्मा, सहायक निरीक्षक	नगरपालिका, हाथरस ।
६—आर० सी० गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता	नगरपालिका, हाथरस ।
७—सुरेन्द्र चन्द्र शर्मा, कर अधीक्षक	नगरपालिका, हाथरस ।
८—दया शंकर जौहरी, स्वास्थ्य निरीक्षक	नगरपालिका, सिकन्द्राराऊ ।
९—एम० एन० शर्मा, अधिशासी अधिकारी	नगरपालिका, अलीगढ़ ।
१०—के० एम० शर्मा, स्वच्छता निरीक्षक	नगरपालिका, अलीगढ़ ।
११—एच० पी० गंगवार, स्वच्छता निरीक्षक	नगरपालिका, अलीगढ़ ।
	एक वेतन वृद्धि द्वारा पुरस्कृत
सर्वश्री	
१२—फकीर चन्द्र, सफाई नायक	नगरपालिका, सिकन्द्राराऊ ।
१३—मुश्ताक अली, सफाई नायक	नगरपालिका, सिकन्द्राराऊ ।
१४—इस्माइल खां, सफाई नायक	नगरपालिका, सिकन्द्राराऊ ।
१५—मेकसिवा, झाड़ू कर्मचारी	नगरपालिका, सिकन्द्राराऊ ।
१६—मैचरना, झाड़ू कर्मचारी	नगरपालिका, सिकन्द्राराऊ ।
१७—लट्टी, मेहतर कर्मचारी	नगरपालिका, सिकन्द्राराऊ ।
१८—बाबू खां, भिश्ती	नगरपालिका, सिकन्द्राराऊ ।

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९१ पर)

क्रम-सं०	नाम सड़क	व्यय धनराशि	प्रगति
		रु० पै०	
१	पंच मरम्मत कोटला रोड, जलेसर रोड, मेन रोड, कंजर रोड (शिव जी मार्ग), हनुमान रोड (जनाना रोड)	४६,१२०.००	कार्य शुरू हो गया है।
२	पुनर्निर्माण कोटला पंजाबा गढ़ैया रोड	४३,२६०.००	कार्य शुरू हो गया है।
३	पुनर्निर्माण सरकुलर रोड (बड़े डाकखाने के चौराहे से दुली चौराहे तक)	२१,०६६.००	वर्क आर्डर ठेकेदार को दे दिया गया है, कार्य शीघ्र ही शुरू हो जायगा।
४	पुनर्निर्माण पेशेश्वर गेट रोड (उर्वशी टाकीज के सामने वाली)	२७,९०७.५०	तदैव
५	नि० महावीर नगर रोड (जैन धर्मशाला वाली)	४१,८३०,६९	तदैव
६	निर्माण जैन नगर रोड	४७,४४४.३३	तदैव
७	पुनर्निर्माण करबला रोड	७१,३२०.१४	तदैव
८	पुनर्निर्माण मु० हुसैनी रोड	४८,३००.००	पुनः टेंडर मांगे गये हैं।
९	पुनर्निर्माण मु० हाजीपुरा रोड	४३,५०४.००	पुनः टेंडर मांगे गये हैं।
	योग ..	३,९०,७५३.१६	

अध्यक्ष सभा पटना

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९३ पर)

आय के मद वर्ष १९७६–७७

क्रम-सं०	मदवार आय	धनराशि
१	सी० पी० टैक्स	१७,१३६.६०
२	टोल टैक्स	७०,७१२.००
३	सबसीडी वेतन के सम्बन्ध में	३३,६५१.४२
४	विविध लाइसेंस, बधशाला, नीलाम तालाब तहबाजरी आदि	३९,५००.२१
५	जमा तथा अग्रिम	४२०.६०
६	सड़क अनुदान	५०,०००.००
	आय का कुल योग ..	२,११,४२३.८९
	पिछला बैलेन्स	७०,०९९.८७
	योग ..	२,८१,५२३.७६

व्यय के मद वर्ष १९७६–७७

क्रम-सं०	मदवार व्यय	धनराशि
१	वेतन कर्मचारी कार्यालय	१८,४०४.१८
२	सफाई एवं रोशनी	४७,००९.८४
३	निर्माण सड़क तथा मरम्मत	१८,५४७.६८
४	वेतन कर्मचारीगण पथकर	५७,८८५.६४
५	नालियां	८,६८५.२९
६	मुतफर्रिक, एरिया कर्मचारी, खरीदारी सामान बिजली, टी० ए० बिल, स्टेशनरी आदि	२६,३३८.७७
७	वापसी जमानत	१,३०५.९०
	व्यय का कुल योग ..	१,७७,९६८.०१
	आगे बैलेन्स गया १९७७–७८ में	१,०३,५५५.७५
	योग ..	२,८१,५२३.७६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आय के मद वर्ष १९७७-८८			व्यय के मद वर्ष १९७७-७८		
क्रम-सं०	मदवार आय	धनराशि	क्रम-सं०	मदवार व्यय	धनराशि
१	सी० पी० टैक्स	८,१७०.७८	१	वेतन कार्यालय	२३,५१८.०७
२	टोल टैक्स	६४,१८१.९०	२	सफाई एवं रोशनी	४४,९४९.५५
३	सबसीडी वेतन के सम्बन्ध में	३५,३४४.३५	३	निर्माण सड़क तथा मरम्मत	५४,५७६.२९
४	विविध, तहबाजारी, लाइसेंस, बधशाला नीलामी, तालाब आदि	२७,५०७.५४	४	वेतन कर्मचारी पथकर	७९,०७९.११
५	जमा तथा अग्रिम	..	५	अन्य व्यय (खरीदारी सामान बिजली, टी० ए० बिल, स्टेशरी आदि)	११,१५७.३५
६	सड़क अनुदान	११,५००.००	६	वापसी जमानत तथा टी० ए० पंतेपुर का अनुदान	६७२.००
	आमदनी का कुल योग	१,४६,७०४.५७		व्यय का कुल योग	२,१३,९५२.३७
	पिछला बैलेंस ..	१,०३,५५५.७५		आगे बैलेंस गया	३८,३०७.९५
	योग ..	२,५०,२६०.३२		योग ..	२,५०,२६०.३२

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०१ पर)

परिशिष्ट १

क्र० संख्या	पद नाम	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
१	अधिशासी अभियन्ता	१
२	सहायक अभियन्ता	४
३	मंडलीय लेखाकार	१
४	मुख्य लिपिक	१
५	मानचित्रक	२
६	अवर अभियन्ता	१६
७	आशुलिपिक	१
८	आलेखक एवं लेखक	३
९	नैत्यिक लिपिक	४
१०	दफ्तरी	१
११	अर्दली/चपरासी	७
१२	जीप ड्राइवर	१
१३	अल्पकालिक जमादार	१
	योग ..	४३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट २

अस्थायी निर्माण शाखा, जल निगम, आजमगढ़ के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ की जो योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं उनका प्रगति विवरण निम्न प्रकार है—

योजना का नाम तथा अनुमानित लागत	प्रगति विवरण
१	२
१—मऊनाथ भंजन जल सम्पूर्ति पुनर्गठन योजना, अनुमानित लागत रु० ३२.५४० लाख	इस योजना के अन्तर्गत ३ नलकूपों का छिद्रण एवं विकास किया जा चुका है जिसमें से एक नलकूप दिनांक २-१०-७८ से चालू भी किया जा चुका है। शेष २ नलकूपों में पम्प गृह के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
२—आजमगढ़ पेय जल योजना अनुमानित लागत रु० ६.३१७ लाख	इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित २ नलकूपों में से एक नलकूप का छिद्रण पूर्ण कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्रगति पर है।
३—मुबारकपुर पेय जल योजना, अनुमानित लागत रु० १८.८८७ लाख	इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दोनों नलकूपों का छिद्रण एवं विकास पूर्ण कर लिया गया है, पम्प गृह बनाया जा चुका है एवं पम्पिंग प्लांट भी स्थापित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टर्स का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। २० कि० मी० की लम्बाई में पाइप लाइन भी डाली जा चुकी है।
४—कोपागंज पेय जल योजना, अनुमानित लागत रु० ८.२१ लाख	इस योजना के अन्तर्गत नलकूप का छिद्रण एवं विकास पूर्ण किया जा चुका है। पम्पिंग प्लान्ट लगाया जा चुका है। पम्प हाउस बनाया जा चुका है। पम्पिंग प्लान्ट स्थापित किया जा चुका है तथा साढ़े आठ कि० मी० लम्बाई में पाइप लाइन भी डाली जा चुकी है। स्टाफ क्वार्टर्स का कार्य प्रगति पर है।
५ मुहम्मदाबाद गोहना पेय जल योजना, अनुमानित लागत रु० ८.२८२ लाख	इस योजना के अन्तर्गत एक नलकूप का छिद्रण एवं विकास पूर्ण किया जा चुका है। पम्प गृह बनाया जा चुका है तथा ११ कि० मी० पाइप लाइन डाली जा चुकी है।

अदेश संसदीय

१	२
६ निजमाबाद पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु० ५.२५५ लाख	इस योजना के अन्तर्गत नलकूप के छिद्रण एवं विकास का कार्य पूर्ण किया चुका है। पम्प गृह बनाया जा चुका है तथा पाइप लाइनें बिछाई जा चुकी हैं।
७ आजमगढ़ सीवरेज योजना, अनुमानित लागत रु० २१.२७ लाख	इस योजना के अन्तर्गत ८०० एम० एम० व्यास का ४५० मीटर मेन सीवर बिछाया जा चुका है। पम्पिंग स्टेशन बनाया जा चुका है। पम्पिंग प्लान्ट भी लगाया जा चुका है तथा अधिकांश सीवर लाइनें भी डाली जा चुकी है। सीवेज फार्म की भूमि प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
८ कसारा ग्राम समूह पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु० १८.६१४ लाख	क्रमांक ८ से २१ तक ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। सामग्री का प्रबन्ध किया जा चुका है। पाइप लाइनों के बिछाने, नलकूपों के छिद्रण एवं विकास का कार्य भी जारी है।
९ मधुबन ग्राम समूह पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु० १२.९२० लाख	
१० दुबारी ग्राम समूह पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु० १४.९७३ लाख	
११ गोठा ग्राम समूह पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु० १२.१२० लाख	
१२ जीयनपुर ग्राम समूह पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु० १६.०६० लाख	
१३ घोसी ग्राम समूह पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु० १५.३२० लाख	

१	२
१४ महुवार ग्राम समूह पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु० १४.२६ लाख	
१५ वलीदपुर ग्राम समूह पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु० १६.०२ लाख	
१६ जगदीशपुर ग्राम समूह पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु० १५.११ लाख	
१७ रानी की सराय ग्राम समूह पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु० १६.९५४ लाख	
१८ गहुनी ग्राम समूह पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु० २२.२७ लाख	
१९ बहादुरपुर ग्राम समूह पेयजल योजना अनुमानित लागत रु० १५.६ लाख	
२० फरेहा ग्राम समूह पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु० १५.८७१ लाख	
२१ लालगंज ग्राम समूह पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु० १४.८३३ लाख	

विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०५ पर)

टाउन एरिया कमेटी सैदपुर में कुल २६ कर्मचारी कार्यरत हैं जिनकी नियुक्तियां वर्ष १९७४ के पूर्व की गई हैं जिनमें से कुल १९ कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं ।

टाउन एरिया कमेटी सादात में कुल ६ कर्मचारी इस समय कार्यरत हैं जो वर्ष १९७६-७७ के पूर्व से नियुक्त हैं । इनमें से ४ कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं ।

टाउन एरिया कमेटी जंगीपुर में कोई नियुक्ति अभी नहीं की गई है । वहां पर कुल २४ कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं जिनमें ६ अनुसूचित जाति के हैं । माह अक्तूबर, १९७८ में शासन से १३ कर्मचारियों की नियुक्ति का आदेश प्राप्त हुआ है जिनकी नियुक्ति चयन समिति के माध्यम से कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०६ पर)

अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पद	पद जिस पर अवकाश कालीन रिक्त में प्रोन्नत किये गये
सर्वश्री--	
(१) पी० के० श्रीवास्तव, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी	मुख्य कार्मिक अधिकारी
(२) केशव सरन, प्रवर वर्ग सहायक	अनुभाग अधिकारी
(३) आर० के० भट्ट, प्रवर वर्ग सहायक	अनुभाग अधिकारी
(४) आर० के० शर्मा, प्रवर वर्ग सहायक	अनुभाग अधिकारी
(५) ग्यासुद्दीन अहमद, प्रवर वर्ग सहायक	अनुभाग अधिकारी
(६) आर० सी० वर्मा, अवर वर्ग सहायक	प्रवर वर्ग सहायक
(७) हरीश चन्द्र, अवर वर्ग सहायक	प्रवर वर्ग सहायक
(८) कु० सिया रानी, संदर्भ लिपिक	प्रवर वर्ग सहायक
(९) गोपाल जी श्रीवास्तव, अवर वर्ग सहायक	प्रवर वर्ग सहायक
(१०) महबूब आलम, अवर वर्ग सहायक	प्रवर वर्ग सहायक
(११) लाजपत राय श्रीवास्तव, संदर्भ लिपिक	प्रवर वर्ग सहायक
(१२) एम० ए० अब्बासी, अवर वर्ग सहायक	संदर्भ लिपिक
(१३) हरनाम सिंह, अवर वर्ग सहायक	संदर्भ लिपिक
(१४) टी० ए० हारिसी, अवर वर्ग सहायक	संदर्भ लिपिक
(१५) कु० चन्दा बैरली, अवर वर्ग सहायक	संदर्भ लिपिक
(१६) राम सागर, अवर वर्ग सहायक	संदर्भ लिपिक
(१७) राम निरंजन श्रीवास्तव, अवर वर्ग सहायक	संदर्भ लिपिक
(१८) एस० के० बोस, अवर वर्ग सहायक	संदर्भ लिपिक
(१९) एम० एस० परिहार, अवर वर्ग सहायक	संदर्भ लिपिक
(२०) आर० पी० शुक्ला, अवर वर्ग सहायक	संदर्भ लिपिक
(२१) एम० एम० पाल, अवर वर्ग सहायक	संदर्भ लिपिक
(२२) सी० के० दीक्षित, अवर वर्ग सहायक	संदर्भ लिपिक
(२३) ए० बी० अवस्थी, अवर वर्ग सहायक	जर्नलिस्ट-कम-प्रेस असिस्टेन्ट

नत्थी 'झ'

(देखिए पीछे पृष्ठ २४७ पर)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ में विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४७ के अन्तर्गत किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण :—

(१) खण्ड ३ द्वारा मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली प्रथम अनुसूची के भाग 'ख' के अनुच्छेद आठ की पंक्ति ३ में अन्तिम शब्द "अयन्था" के स्थान पर शब्द "अन्यथा" रख दिया गया है।

(२) खण्ड ३ द्वारा मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली प्रथम अनुसूची के भाग 'ग' स्पष्टीकरण की मद (३) की पंक्ति २ में शब्द "घटाकर" और शब्द "जा सके" के बीच में शब्द "निकला" के स्थान पर शब्द "निकाला" रख दिया गया है।

पी० यस० यू० पी०—७९ वि० सभा—२३-१-७९—८३५ (पी० डी०)